लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३९, १९६०/१८८१ (शक)

[२२ फरवरी से ४ मार्च १९६०/३ से १४ फाल्गुन १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३९ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३९—अंक ११ से २०—२२ फरवरी से ४ मार्च १९६०/३ से १४ फाल्गुन, १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११—सोमवार, २२ फरवरी, १९६०/३, फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६७ से २७१, २७३ से २७९, २८१ और २८२ ९५३–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २८० और २८३ से ३०० . . ९७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०९ से ३३९ और ३४१ से ३५३ . ९८५—१००५

काउन्टैस माउन्ट बैटन का निधन १००५

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १००५—०९

(१) आसाम की मिकिर पहाड़ियों में ३,००० विस्थापित व्यक्तियों का कथित निष्कासन ।

(२) लद्दाख में चीनियों द्वारा नमक झील पर कथित अधिकार ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १००९–१०

राज्य सभा से सन्देश १०१०

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक १०११

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

लोक लेखा समिति १०११

तेइसवां प्रतिवेदन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १०११–१२

भरत पुर के निकट शरणार्थी शिविर में अग्नि कांड ।

त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . . १०१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . १०१२—३५

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९–६० . . . १०३५—४३

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . १०४३—६३

कार्य मंत्रणा समिति १०६३

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ।

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १०६४—६९

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १२—मंगलवार २३, फरवरी, १९६०/४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ से ३०५, ३०७, ३०८ और ३१० से ३१६. १०७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०९ और ३१७ से ३४४ . . १०९७–१११०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३९१ . . १११०–२६

सभा पटल पर रखा गया पत्र ११२७

प्राक्कलन समिति—

तिहत्तरवां प्रतिवेदन ११२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कामगरों द्वारा अचानक हड़ताल . . ११२७–२८

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ११२८–२९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९–६० . . . ११२९—५९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . . ११६०—७१

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ११७२–७३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११७४—७८

अंक १३—बुद्धवार, २४ फरवरी, १९६०/५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३५२ और ३५४ से ३६० . ११७९—१२०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५३ और ३६१ से ३७२ . . १२०२—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४२५ . . . १२०८—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२२७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १२२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटना १२२८

विषय-सूची

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर की शुद्धि . . . १२२९

विनियोग विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित १२२९

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य. . . १२२९–३०

निर्यात तथा आयात नियंत्रण (संशोधन) विधेयक . . . १२३०—५०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२३०—४९

खंड १ से ५ . . . . . १२५०

पारित करने के लिये प्रस्ताव १२५०

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२५०—७१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२७२—७५

अंक १४—गुरुवार, २५ फरवरी, १९६० / ६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७७, ३८०, ३८१ और ३८३ से ३८९ १२७७—१३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . १३०२—०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८, ३७९, ३८२ और ३९० से ४१० . १३०४—१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४७४ . . . १३१५—३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८–३९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १३३९

विनियोग विधेयक, १९६०—पारित . . . . १३३९—४१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १३४१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३६८—७२

अंक १५—शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६० ७, फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ से ४१६, ४१८, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२९, ४३०, ४३१, ४३३ और ४३४ . . . १३७३—१४००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . १४००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४११, ४१७, ४२०, ४२५, ४२६, ४२८, ४३२ और ४३५ से ४४८ . . . . १४०२—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७५ से ५०९ . . . १४१२—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४२७–२८

विषय-सूची पृष्ठ

राष्ट्रपति से सन्देश १४२८

राज्य सभा से सन्देश १४२९

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १४२९

लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—

पहला प्रतिवेदन १४२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा में जंगली चूहों के उपद्रव के कारण उत्पन्न स्थिति . . १४२९—३१

सभा का कार्य १४३१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १४३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १४५२

भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . . . १४५२—७८

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १४७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४७९—८४

अंक १६—सोमवार, २९ फरवरी, १९६०/१० फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ से ४५७, ४५९ से ४६६ और ४७१ . १४८५—१५०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . १५०९—१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५८, ४६७ से ४७० और ४७२ से ४८४ १५११—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१० से ५५६ और ५५८ से ५६५ . . १५१९—४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५४०—४२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १५४२

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ के उत्तर की शुद्धि . . . १५४३

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १५४३—८६

सामान्य आय व्ययक, १९६०-६१—उपस्थापित . . . १५८६—१६०६

वित्त विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित. १६०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६०७—१०

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १७—मंगलवार, १ मार्च, १९६०/११ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४९३ . . . १६१३—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ से ५२३ . . . . १६३५—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३२ . . . . १६५०—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६८०

सदस्य का निरोध और रिहाई १६८१

मुरादनगर में दूध इकट्ठा और ठंडा करने के केन्द्र में फर्श के बैठ जाने के बारे में वक्तव्य १६८१–८२

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६८२—१७२१

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९६०–६१ . . . . १७२१–५०

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १७५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७५४—५९

अंक १८—बुधवार, २ मार्च, १९६०/१२ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ५२९, ५३३, ५३४, ५३६ से ५३८ और ५४२ . . . . . १७६१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५३२, ५३५, ५३९ से ५४१ और ५४३ से ५६६ . . . . . १७८५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६७९ . . . १७९८—१८१७

स्थगन प्रस्ताव—

पुनर्वास मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं का खत्म किया जाना १८१७—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८२०–२१

राज्य-सभा से सन्देश १८२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन १८२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में चावल तथा धान के मूल्यों में वृद्धि . १७२१–२२

आसाम के मिज़ो डिस्ट्रिक्ट में खाद्य की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . १८२२–२५

विषय-सूची।	पृष्ठ
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों से सहमति . . .	१८२५–२६
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१	१८२६—७२
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	१८७२—८३
दैनिक संक्षेपिका	१८८४—८९
अंक १९—गुरुवार, ३ मार्च, १९६० / १३ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७४ और ६०७ . .	१८९१—१९१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७५ से ६०६ और ६०८ . .	१९१३—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६९१ और ६९३ से ७२० . .	१९२६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९४१–४२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दंडकारण्य में ट्रेक्टरों के बेकार पड़े होने से कथित हानि . .	१९४३–४४
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०-६१	१९४४—८६
सदस्य की गिरफ्तारी	१९५५
दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में प्रस्ताव . . .	१९८७—२००१
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	२००१—०६
दैनिक संक्षेपिका	२००७—१२
अंक २०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०/१४ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१४, ६१६ से ६२०, ६२२ से ६२६, ६२८ और ६२९	२०१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०९, ६१५, ६२१, ६२७ और ६३० से ६४३	२०३७—४५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७६६	२०४५—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०६८–६९
राज्य सभा से सन्देश	२०६९
भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	२०६९
सदस्यों की गिरफ्तारी	२०६९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण रलवे पर गाड़ियों की टक्कर . . .	२०७०
सभा का कार्य	२०७०
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित . . .	२०७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें–रेलवे, १९५९–६० . . .	२०७१—७९

विषय-सूची **पृष्ठ**

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव २०७९—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन २०९३–९४

सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार अ० सिं० सहगल का) राय जानने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना २०९४–९५

पिछड़ी जातियां (धार्मिक संस्करण) विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) विचार करने के लिये प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . २०९५—२१०९

पूर्त तथा धार्मिक—न्यास (संशोधन) विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन तथा नई धारा ७-क तथा ७-ख का रखा जाना) (श्री रामकृष्ण गुप्त का)

—वापस लिया गया २१०९—१९

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . . २१०९—१९

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक (श्री पु० र० पटेल का) विचार करने के लिये प्रस्ताव . . २११९–२०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१२१

दैनिक संक्षेपिका . . . . २११२—२७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, २२ फरवरी, १९६०

३, फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना

+

†*२६७. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री उ० च० पटनायक :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है ऐसे सैकड़ों सरकारी कर्मचारी हैं जिनके दिल्ली / नयी दिल्ली में या तो खुद अपने मकान हैं या जिनकी माता-अथवा पिता के मकान हैं लेकिन वे स्वयं नियमानुसार पात्रता के प्रमाण पत्र दिये बिना सम्पदा निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में ठीक ठीक स्थिति का पता लगाने के लिये सरकारी क्वार्टर पाने वालों से विशेष रूप से कुछ विवरण मांगा गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो, तो क्या अब ऐसा विवरण मांगने का प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं । जनरल पूल में ऐसे लगभग ९० मामले हैं जिन में सरकारी क्वार्टरों के पात्र होने के संबंध में अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). सभी सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर के लिये वार्षिक आवेदन भेजते समय और सरकारी क्वार्टर स्वीकार करते समय एक विहित प्रपत्र में यह जानकारी देनी होती है । यदि मकान बाद में लिया जाय तो ७ दिन के भीतर सूचना देनी होती है । कोई विवरण मांगना आवश्यक नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि जो सरकारी कर्मचारी, अपने माता-पिता जिनके दिल्ली अथवा नयी दिल्ली में मकान होते हैं , साथ रहने में असमर्थ होते हैं उन्हें पात्रता का प्रमाण-पत्र देने में काफ़ी वक्त लग जाता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : आम तौर पर ऐसा प्रमाण पत्र देने से पहले कई बातों पर विचार करना होता है । अक्सर ऐसे मामलों में मौक़े पर जा कर जांच भी करनी होती है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ मामलों में ६ से १० महीने तक की देर हो जाती है । क्या सरकार इस विलम्ब को कम करने वाली है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हम तो यथासंभव शीघ्रतापूर्वक कार्य करना चाहते हैं लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि कभी कभी तो हक्क विलेख की कानूनी जांच भी करनी पड़ जाती है और इस में वक्त लगना लाज़मी है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या नियमों में परिवर्तन कर प्रमाण पत्र देने की अवधि दो मास निश्चित नहीं की जा सकती ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्रालय की विशेष पुनर्गठन यूनिट ने इस प्रक्रिया की जांच की है या उन्हें इस का निर्देश किया गया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे खेद है कि मुझे इस सम्बन्ध की वास्तविक स्थिति का पता नहीं है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या सरकार को पता है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने निजी मकान तो ऊंचे किराये पर दूसरों को उठा रखे हैं और वे खुद सरकारी क्वाटरों में रहते हैं ; यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह प्रश्न वास्तव में इसी मसले के बारे में है। १९५७ में जिस समय नये नियम बनाये गये थे हमें १६० ऐसे मामलों का पता चला था । क्रमशः उन की जांच की जा रही है और ९० मामलों की जांच होनी अभी शेष है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और नयी दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के माता-पिताओं के कितने मकान हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां । उत्तर में मैं बता चुका हूं कि हर वर्ष सरकारी क्वार्टर पाने वाले अथवा उन के लिये आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक विहित फार्म पर यह जानकारी देनी होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाला दूसरा कारखाना

+

†*२६८. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाला दूसरा कारखाना कब और किस स्थान पर स्थापित किया जायगा ; और

(ख) क्या इस परियोजना के बारे में कोई कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में चेकोस्लोवाक सहायता से बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाले एक कारखाने की स्थापना का निश्चय किया जायगा । इस परियोजना के लिये चेकोस्लोवाकिया द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध किये गये २३.१ करोड़ रुपयों के ऋण के, जिस के सम्बन्ध में २४ नवम्बर, १९५९ को करार हुआ था, एक अंश का उपयोग किया जायगा । इस करार की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ की सरकार द्वारा प्रस्तावित १५० करोड़ रूबल के ऋण के अधीन स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं में बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाले एक और कारखाने को भी शामिल कर लिया गया है ।

उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरे की बातों का चेक और सोवियत विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किया जाना अभी शेष है ।

चेक और सोवियत विशेषज्ञों से वार्त्ता में सरकार को सलाह देने के लिये भारतीय विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर ली गयी है ।

†**श्री स० चं० सामान्त** : क्या सरकार इस बात का कुछ अन्दाज बता सकती है कि इन दोनों कारखानों के चालू हो जाने के पश्चात् कितना उत्पादन होने की आशा है ?

†**श्री कानूनगो** : बातचीत अभी बिल्कुल आरम्भिक अवस्था में ही है और कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : जिस दूसरे कारखाने का उल्लेख किया गया है क्या उसे भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक निश्चय नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने अपनी आरम्भिक बातचीत में इन दोनों बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाले कारखानों की स्थापना के लिये कोई स्थान तय किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं बता चुका हूं कि अभी यह केवल विचार रूप में ही है और चेको-स्लोवाक तथा सोवियत विशेषज्ञों से बातचीत चल रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस देश में बिजली के भारी उपकरणों के आयात पर कितना व्यय किये जाने की संभावना है और बिजली के भारी उपकरणों के आयात में होने वाली कमी के किस प्रकार से पूरे किये जाने की आशा है ?

†**श्री कानूनगो** : हम अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते ।

†**श्री तंगामणि** : तृतीय योजना में बिजली के भारी उपकरणों का जो दूसरा कारखाना स्थापित किया जा रहा है उस पर चेकोस्लोवाकिया के २३.१ करोड़ रुपयों के ऋण का कितना अंश व्यय होगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह पूरा मसला अभी बिल्कुल आरम्भिक अवस्था में है, अभी पूंजी व्यय तथा इसी प्रकार की अन्य बातों का हिसाब नहीं लगाया गया है ।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार इस कारखाने को राजस्थान के, जहां बिजली बहुतायत से मिल सकती है, किसी उपयुक्त स्थान पर लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : पहले कारखाने की बात तो तय होने दीजिये ।

†**श्री पुन्नूस** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस समय पहले कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव था उस समय केरल का नाम लिया जा रहा था, कम से कम दूसरे कारखाने की स्थापना करते समय केरल के साथ न्याय किया जायगा ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे आशा है कि जिन स्थानों के बारे में विचार किया जायेगा उनमें केरल भी एक होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी सुझाव मंत्री महोदय के पास भेज दिये जायें ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में दो कारखानों का जिक्र किया गया है, एक चेकोस्लोवाकिया के और दूसरे रूसी । बिजली के उपकरणों सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं का अन्दाज किये बिना मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि तृतीय योजना के अन्त तक हमें दो या तीन कारखानों की जरूरत होगी ? इसके बारे में कुछ तो भी अन्दाज होगा ही ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : बातचीत चल रही है । हमने बनने वाले उपकरणों को इन तीन कारखानों में बांट दिया है । वास्तविक स्थानों के सर्वेक्षण के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गयी है ।

†**श्री बासप्पा** : बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाले दूसरे कारखाने के सम्बन्ध में अस्थायी कार्यालय क्या दिल्ली में रहेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कार्यालय तो वहीं रहेगा—भोपाल का बिजली के भारी उपकरणों का कार्यालय । लेकिन दिल्ली में भी एक सहायक कार्यालय होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण में कहा गया है कि भारतीय विशेषज्ञों के एक दल का संगठन किया गया है। इसके कितने और कौन-कौन सदस्य हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के चेयरमैन श्री हायन के नेतृत्व में सात व्यक्ति हैं ।

डालमिया के संस्थापनों संबंधी जांच आयोग

+

†*२६९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डालमिया के संस्थापनों के कार्यकलाप की जांच में जांच आयोग ने कितनी प्रगति की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : १ फरवरी, १९६० की सार्वजनिक सुनवाई में आयोग ने चार और कम्पनियों, अर्थात् सर शापुरजी ब्रोचा मिल्स लिमिटेड, माधोजी धरमसी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, वस्त्र व्यवसाय लिमिटेड और डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड से सम्बन्धित बहुत से सौदों के विस्तार के विवरण दिये जिन के सम्बंध में उन्होंने सम्बन्धित व्यक्तियों से विशदीकरण अथवा स्पष्टीकरण मांगें हैं। इससे दस में से सात कम्पनियों की जांच की तफतीश सम्बन्धी प्रावस्था पूरी हो गयी है । शेष तीन कम्पनियों के मसलों सम्बन्धी विवरण और साथ ही एलेनबरी एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के व्यवसाय के अवशिष्ट अंश के विवरण भी तैयार किये जा रहे हैं और आशा की जाती है कि आगामी मार्च के अन्त तक वे सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचा दिये जायेंगे ।

इन मसलों के विवरणों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मंत्री महोदय ने बताया कि मेसर्स डालमिया तथा अन्य लोगों को विवरण दे दिये गये हैं। क्या उन्होंने विवरणों में किये गये आरोपों के उत्तर भेज दिये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवस्था यह है कि मार्च के अन्त में अन्तिम विवरणों के दिये जाने के बाद वे दो सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजे देंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इन कम्पनियों में जनता के कितने धन की हानि हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : इसका पता तो जांच पूरी होने के बाद ही लगेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आयोग अपना प्रतिवेदन लगभग कितने समय में दे देगा ? १९६० में ही दे देगा या नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, आशा है कि सितम्बर, १९६० तक यह रिपोर्ट आ जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जांच आयोग के प्रतिवेदन के निबटारे के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : आयोग का प्रतिवेदन सरकार को दिया जायेगा और तब सरकार यह तय करेगी कि उसे क्या कार्यवाही करनी है ।

†**श्री पुन्नूस** : हम १९५५ से यह सुनते चले आ रहे हैं । यह कितने दिन चलती रहेगी ?

†**श्री कानूनगो** : आयोग दिसम्बर, १९५६ में नियुक्त किया गया था । लेकिन यह मसला अदालतों की वहज से रुका रहा । वास्तव में उच्चतम न्यायालय की अनुमति अप्रैल, १९५८ में प्राप्त हो पायी थी ।

समाचार पत्रों मे सरकारी विज्ञापन

\+

*२७०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी और एडवरटाइजिंग एसोसिएशन आफ इंडिया के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने की प्रणाली के बारे में प्राप्त ज्ञापन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : (क) और (ख). प्रश्न में बताये हुए पत्र के बाद इन संस्थाओं के साथ कुछ बातचीत हो चुकी है जोकि कुछ और समय तक चालू रहने की संभावना है ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया ।]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि समाचारपत्रों की इस संस्था की ओर से जो मांग की गई है वह क्या है, और इस बारे में निर्णय कब तक हो सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : चूंकि इस मामले में बातचीत चल रही है और डिसकशन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो निर्णय हो सकता है उस के बारे में अभी कोई तफसील रखना उस निर्णय के लिये हानिकारक होगा । लेकिन इतना मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि वे मुख्यत: आटोनामस कारपोरेशन्स जो गवर्नमेंट चलाती है उस के बारे में हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सत्य है कि जो आटोनामस अंडरटेकिंग्स हैं उन के विज्ञापनों के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं रही है, और क्या गवर्नमेंट यह विचार भी कर रही है कि इन के भी जो विज्ञापन समाचारपत्रों को दिये जायें वे इसी मंत्रालय के द्वारा दिये जायें ?

डा० केसकर : जी हां, दोनों बातें सत्य हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : विभिन्न अखबारों को जिन दरों पर विज्ञापन के लिये भुगतान किया जाता है क्या वह एक सी हैं या प्रत्येक अखबार की बिक्री के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं ?

†**डा० केसकर** : सभी अखबारों के लिये समान दर रखना संभव नहीं है । दर केवल बिक्री ही नहीं वरन् अखबार की प्रतिष्ठा पर भी निर्भर करती है ; यह बात केवल सरकारी विज्ञापनों पर ही नहीं वरन् वाणिज्यिक विज्ञापनों पर भी लागू होती है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : पिछले वर्ष अखबारों को विज्ञापन की कीमत के रूप में कितनी राशि दी गयी थी ?

†**डा० केसकर** : खेद है कि ये आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं । एक दूसरा अतारांकित प्रश्न भी है जिस में इस का उत्तर दिया गया है ।

†**श्री च० द० पाण्डे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में विज्ञापन आम-तौर पर स्वशासी निकायों और सरकारी परियोजनाओं के टेंडरों की शक्ल में होते हैं—अखबारों में विज्ञापनों में अधिक भाग इन्हीं का रहता है —क्या सरकार ऐसे बुलेटिन निकालने की, जिन में ये सभी टेंडर दिये हुए हों, संभावना पर विचार करेगी ताकि जिन लोगों की टेंडरों में दिलचस्पी हो वे इन्हें मंगा लें और जनता को अखबारों में इन विज्ञापनों से छुट मिल जाय ।

†**डा० केसकर** : यह एक दिलचस्प सुझाव है और मुझे निश्चय ही इस पर विचार करने में प्रसन्नता होगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर सोसायटी को उद्योगपतियों का सबल नेतृत्व प्राप्त है और ऐसोसियेशन औफ इण्डियन एडवरटाइजिंग एजेन्सीज़ में विदेशी विज्ञापन दाताओं का प्रभुत्व है । क्या अपेक्षाकृत निर्बल अखबारों की मदद करने के बारे में सरकार की अपनी कोई स्पष्ट नीति है या वह इन्हीं दोनों शक्तिशाली निकायों के दिखाये रास्ते पर चलती है जो सभी कुछ अपने लिये रख लेते हैं और जिन के अखबारों में विज्ञापनों की भरमार रहती है ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य को पता है कि निर्बल अखबारों की सहायता के लिये हम सभी कुछ करते हैं, हालांकि इतने पर भी वह सन्तुष्ट नहीं है । चर्चाओं के दौरान में मैंने यह समझाने का प्रयास किया है कि हम क्या कर रहे हैं । दूसरी बात यह है कि यह जानते हुए भी कि कोई संगठन-विशेष सभी अखबारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि वह काफ़ी बड़ी संख्या में अखबारों का प्रतिनिधि होता है, इसलिये यदि वह कोई चीज सरकार के समक्ष रखता है तो सरकार को उस पर विचार करना ही पड़ता है ।

†**श्री त्यागी** : विभिन्न राजनीतिक दलों को, जब वे अपनी बैठकें करते हैं और उन की स्मृति में पुस्तिकायें आदि निकालते हैं, विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या निश्चित नीति यह है कि सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से ऐसे विज्ञापन दिये जायेंगे या कुछ विशेष राजनीतिक दलों पर सरकार की अनुकम्पा रहती है ?

†**डा० केसकर** : खेद है कि यहां मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा क्योंकि मुझे ब्यौरे की कुछ बातें देखनी होंगी । मेरा ख्याल है कि इस विषय पर एक सवाल आया है और उस के उत्तर में मैं सभी बातें बता दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सच है कि राज्यों के अंग्रेज़ी अखबारों को प्रादेशिक भाषाओं के अखबारों की तुलना में भारत सरकार के अधिक विज्ञापन मिलते हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार को अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की कोई शिकायत मिली है ?

†**डा० केसकर** : मुझे ऐसी किसी शिकायत का तो पता नहीं है कि राज्यों के अंग्रेज़ी अखबारों को ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, लेकिन आम तौर पर देखा जाय तो यह बात संसद् में उठायी गयी है कि प्रादेशिक भाषाओं के अखबारों को विज्ञापनों से कम आय हो रही है और यह सच भी है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : जहां तक सरकारी विज्ञापनों का प्रश्न है क्या भारतीय विज्ञापन फर्मों को प्राथमिकता दी जाती है ?

†**डा० केसकर** : हम भारतीय विज्ञापन अभिकरणों की सहायता का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं । यह सही है कि इस बात का ज्यादा कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ ऐसे विज्ञापन दाता हैं जिन की अपनी पृथक परम्परा होती है इसलिये हम सदैव ही भारतीय विज्ञापन अभिकरणों की सहायता नहीं कर पाते । इस काम को करने के लिये भारतीय विज्ञापन कर्ताओं को भी पर्याप्त प्रतिष्ठा और अनुभव प्राप्त होना चाहिये, लेकिन मोटे तौर पर हम यह काम कर रहे हैं और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि कई विज्ञापन अभिकरण प्रगति कर रहे हैं और उन का व्यवसाय निरन्तर जमता जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मुझे मालूम है, जिस संस्था की ओर से यह ज्ञापन सरकार को दिया गया है वह अंग्रेज़ी के कुछ बड़े-बड़े समाचारपत्रों की ही संस्था है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय करते समय क्या इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि उस निर्णय से अंग्रेज़ी समाचारपत्रों की तरह हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को भी समान लाभ पहुंचेगा ?

†**डा० केसकर** : यह कहना सही नहीं है कि जिस संस्था का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह बड़े-बड़े अंग्रेज़ी समाचारपत्रों की संख्या है । बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि वह संस्था करीब डेढ़ सौ के दैनिक पत्रों की संस्था है जिस में केवल एडवरटाइजमेंट के लिये काफी हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के पत्र सम्मिलित हैं ।

†**श्री मुरारका** : स्वाशासी निगम स्वयं विज्ञापन देते हैं या सरकार उनके विज्ञापन देती है ?

†**डा० केसकर** : इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है । कुछ विज्ञापन सरकार की ओर से दिये जाते हैं और कुछ निगम अपने विज्ञापन स्वयं देते हैं ।

तम्बाकू का निर्यात

†*२७१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **उद्योग तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने तम्बाकू के निर्यात के पिछले सभी रेकार्ड तोड़ दिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले वर्ष विभिन्न किस्मों के कितने-कितने तम्बाकू का निर्यात किया गया और

(ग) निर्यात का रूझान बढ़ती की ही ओर बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५८ में तम्बाकू का निर्यात सबसे अधिक रहा ।

(ख) और (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से पता चलता है कि सरकार जर्मनों को रुचिकर तम्बाकू पैदा कराने के उद्देश्य से जर्मन-सहायता से एक तम्बाकू-उत्पादन परियोजना आरम्भ करने वाली है। क्या इस तम्बाकू उत्पादन परियोजना की स्थापना की जायगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : एक जर्मन विशेषज्ञ लगभग $1^1/_2$ वर्ष पहले भारत आये थे और हमने गुण्टूर जिले में ५ एकड़ का एक फार्म बनाकर कुछ प्रयोग कर देखे थे। इस वर्ष यह प्रयोग १००—१५० एकड़ के एक और भी बड़े क्षेत्र पर आजमाया जा रहा है। यदि संतोषप्रद परिणाम निकले तो हम संभवतः जर्मन बाजारों को उपयुक्त तम्बाकू पैदा करने लगेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापारिक मेलों में तम्बाकू का प्रदर्शन किया जाता है। इसका प्रदर्शन अब तक कहां-कहां किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इसका प्रदर्शन ऐसी प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी और मेले में किया जाता है जिसमें भारत भाग लेता है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच है कि १९५९ की दूसरी छमाही में तम्बाकू का निर्यात, विशेष रूप से जापान को होने वाला निर्यात, घटा है, और यदि ह , तो जापान को, जो परम्परागत रूप से भारतीय तम्बाकू का खरीददार है, निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९५९ के तम्बाकू के निर्यात में कुछ कमी हुई है, लेकिन इसकी वजह जापान को होने वाले निर्यात में कमी उतनी नहीं है जितनी ब्रिटेन को होने वाले निर्यात में कमी है। उसने रोडेशिया, न्यासालैण्ड और अन्य अफ्रीकी देशों से अपेक्षाकृत ज्यादा तम्बाकू खरीद लिया है। इस के फलस्वरूप नाटू तम्बाकू का स्टाक जमा हो गया है। वास्तव में निर्यात अधिकांश रूप से 'फ्लू-क्योर्ड (धूम्र-शोधित) वर्जीनिया तम्बाकू का किया जाता है।

†**श्री नंजप्पा** : खाने वाली तम्बाकू का किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : खाने की तम्बाकू का निर्यात जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक ७५ लाख पौंड का था। देशों के नाम मैं अभी नहीं बता सकूंगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** : विवरण के पहले भाग में यह कहा गया है कि विदेशों के तम्बाकू के एकाधिकारी व्यापारियों और सिगरेट निर्माताओं को तम्बाकू के नमूने भेजे जाते हैं। पूर्णतः भारतीय पूंजी और प्रबन्ध वाले वास्तव में भारतीय सिगरेट निर्माता तो केवल एक दो ही हैं और विदे-

---

†मूल अंग्रेजी में

शियों का पूर्ण प्रभुत्व है। फिर तम्बाकू के एकाधिकारी व्यवसायी हैं। क्या सरकार इस ढंग से स्थिति पर निगाह रख रही है जिस से तम्बाकू के एकाधिकारी व्यवसायी और सिगरेट निर्माताओं को हम से उचित मूल्य पर मिले ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : तम्बाकू केवल भारत में ही पैदा नहीं होता। यह देश के अनेक देशों में पैदा होता है और काफी हद तक इस देश में तम्बाकू के मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का भी असर होता ही है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां के निर्यात करने वाले व्यवसायी उसे खरीदने से इंकार कर रहे हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य का अनुमान सही नहीं है। कोई विशेष संकट नहीं है। कुछ नाटू तम्बाकू जमा हो गया था। लेकिन मैं बता चुका हूं कि कुछ समय पहले जो ८० लाख पौंड तम्बाकू जमा हो गया था उसमें से अब तक ७० लाख पौंड उठायी जा चुकी है। अब मुश्किल से १० लाख पौंड तमाखू स्टाक में है।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि वर्जीनिया फ्लू-क्योर्ड तम्बाकू का निर्यात ९ करोड़ रुपये से घट कर ६.५ करोड़ रुपये का रहा गया है। १९५८ में ९.०३८७ करोड़ पौंड का निर्यात किया गया था जिसकी कीमत १३५५ लाख रुपये थी। १९५९ में यह घट कर ६.५ करोड़ पौंड रह गया है जिसकी कीमत ११६६ लाख रुपये है। इस कमी की क्या वजह है और किस देश को होने वाला निर्यात घटा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली तो यह है कि फसल में घट बढ़ होती रहती है। इस वर्ष एक विशेष काल में अत्यधिक वर्षा होने के कारण तम्बाकू की कुछ फसल नष्ट हो गयी। दूसरे, मैं बता चुका हूं कि ब्रिटेन ने इस वर्ष रोडेशिया और न्यासालैण्ड में अधिक तम्बाकू खरीद लिया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पाइपों के मिक्सचर तैयार करने में किसी भारतीय तम्बाकू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता ? इस प्रयोजन के लिये भारतीय तम्बाकू के इस्तेमाल के सिलसिले में क्या किया जाने वाला है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: यदि कोई पार्टी इस मिक्सचर का उत्पादन करने के लिए आगे आये तो हम निश्चय ही उसे लाइसेंस दे देंगे।

सियालदह स्टेशन पर विस्थापित व्यक्ति

\+

*†२७३. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सियालदह स्टेशन से विस्थापित व्यक्तियों को कहीं और हटा दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, इस प्रकार कितने परिवार वहां से हटाये गए हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** (क) और (ख). २७ नवम्बर, १९५९ को सियालदाह स्टेशन की सीमा के भीतर धरना देने वाले विस्थापित व्यक्तियों के ४७९ परिवारों में से ८७ परिवारों को वहां से हटा दिया गया है। राज्य सरकार से सूचना मिली है कि सियालदह स्टेशन से ८२ परिवार शीघ्र ही हटा दिये जायेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि लगभग ४००—५०० परिवार अभी वहां रह गए हैं। सियालदह स्टेशन के उन शरणार्थियों के पुनवर्वास में कितना समय और लगेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि ५०० परिवारों में से लगभग ८७ परिवार हटाये जा चुके हैं। और ८२ परिवार भी हटा दिये जायेंगे। अतः ३१० कुल परिवार हटाने के लिये रह जाते हैं। राज्य सरकार भी सियालदह स्टेशन से उन्हें हटाने के लिये यथासंभव प्रयत्न कर रही है। विस्थापित परिवार स्टेशन छोड़ने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे वहां से कुछ कमा भी लेते हैं।

†**श्री तंगामणि** : पिछले प्रश्न के उत्तर में हमें बताया गया था कि केन्द्रीय और राज्य सरकार में न केवल सियालदह स्टेशन के शरणार्थियों के बारे में अपितु अन्य शरणार्थियों के बारे में भी कुछ निर्णय हुआ है। वह निर्णय किस प्रकार का है जो सियालदह स्टेशन के सारे शरणार्थियों को वहां से हटाकर अथवा उन्हें कोई वैकल्पिक रोज़गार दिलाने के बारे में किया गया है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : वह निर्णय यह है कि राज्य सरकार सियालदह स्टेशन पर धरना देने वाले विस्थापित परिवारों को उनके अपने निवास स्थान वापस भेजने के लिये समझाये बुझायेगी। जहां तक उन विस्थापित व्यक्तियों का प्रश्न है, जो शरणार्थी नहीं हैं अर्थात् जिनके पास इस बारे में लिखित प्रमाण नहीं है, उन्हें सियालदह स्टेशन से हटाने के बारे में राज्य सरकार की अपनी योजना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चूंकि यह मामला बहुत समय से चल रहा है, इसलिय क्या मैं यह जान सकता हूं कि सियालदह स्टेशन से शरणार्थियों को हटाकर स्टेशन को साफ करने के बारे में सरकार के मार्ग में क्या रुकावट हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह मामला बहुत दिनों से लम्बित नहीं है। एक वर्ष पहले वहां, १,००० से भी अधिक परिवार धरना दिये थे। अब उनकी संख्या केवल ३०० रह गई है। अतः एक वर्ष में हमने लगभग ७०० परिवार हटा दिये हैं। जहां तक शेष ३०० परिवारों का प्रश्न है राज्य सरकार उन्हें शिविर में रहने वालों से अधिक प्राथमिकता नहीं दे सकती।

†**श्री विमल घोष** : क्या माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसमें स्टेशन को मिलाने वाली सड़कों पर बसाये गये शरणार्थि शामिल हैं और यदि नहीं तो उनका क्या होगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पुनर्वास मंत्रालय का संबंध केवल उन ४०० के लगभग परिवारों से है जो सियालदह स्टेशन पर रहते हैं। अन्य शरणार्थियों से मंत्रालय का संबंध नहीं है।

†**श्री विमल घोष** : ये विस्थापित व्यक्ति स्टेशन के ठीक सामने धरना दिये हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : क्या मैं इस समस्या को दो भागों में बांट सकता हूं? एक विस्थापित व्यक्तियों के बारे में है और दूसरी स्थानीय लोगों के बारे में है। हमारा संबंध केवल विस्थापित लोगों से है। जहां तक स्थानीय लोगों का संबंध है, उनकी संख्या विस्थापित व्यक्तियों से अधिक है, और राज्य सरकार को इस तथ्य का पता है। वह भी कार्यवाही कर रही है। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं।

कपड़े के दामों में वृद्धि

\+

†*२७४ श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हाल्दर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधारमण :
श्री वाजपेयी :
श्रीमती रेणुका राय :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री अमजद अली :
श्री राम गरीब :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े के दामों में अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है ;

(ख) वृद्धि का कारण क्या है ; और

(ग) मूल्य को कम करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा जाता है।

टिप्पण

(क) जी हां। यह सच है कि हाल के कुछ महीनों में कपड़े के थोक और फुटकर दोनों के भाव बढ़ गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस वृद्धि के कारण ये बताए गए हैं :—

(१) भारतीय और विदेशी कपास के भाव का चढ़ जाना ;

(२) अनेक कारणोवश जिसमें बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता भी शामिल है, निर्माण लागत का बढ़ जाना ; और

(३) व्यापार में सट्टे का होना ।

(ग) सट्टे का एक प्रमुख कारण पिछली फसल में भारतीय कपास के उत्पादन में कमी होना है । इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने छोटे और लम्बे दोनों प्रकार के रेशे वाली विदेशी कपास की पर्याप्त मात्रा में आयात की व्यवस्था की है और वस्त्र उद्योग को यह आश्वासन दिया गया है कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन को कोई नुक्सान नहीं होने पायेगा । भारतीय कपास के वितरण के लिये भी प्रबन्ध किया गया है । सरकार उद्योग के प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाये रखती है, जो सट्टेबाज़ी को खतम कर भावों को कम करने के लिये कार्रवाई कर रहे हैं । उद्योग के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि यदि ऐसी परिस्थिति आ गई तो वे कपड़े के भाव उस पर छाप देंगे और बुनकरों को सूत का वितरण करने के लिये महत्वपूर्ण केन्द्रों में अपने डिपो खोल देंगे । इस कार्रवाई का बाज़ार पर काफी असर पड़ा है और आशा यह की जाती है कि आगामी सप्ताहों में कपड़े के दाम और अधिक कम हो जायेंगे । सरकार स्थिति पर अधिक ध्यान दे रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** कपास के भाव में जितनी वृद्धि हुई है उसे देखते हुए कपड़े के भाव म कहां तक वृद्धि करना उचित होगा और कहां तक यह वृद्धि इस व्यापार के मुनाफाखोरों के कारण हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** औसतन अधिक से अधिक वृद्धि लगभग १५ से १६ प्रतिशत हुई है । अलग अलग किस्म का भाव बताना कठिन है । किन्तु कपास, कोयला और भाड़े आदि में हुई वृद्धि की दृष्टि से वृद्धि का अधिकांश भाग उचित ही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** विवरण के पैरा (ख) (२) में बताया गया है कि वृद्धि का एक कारण मंहगाई भत्ता भी है । क्या सरकार को विदित है कि यदि मजूरी बोर्ड की सिफारिश मंजूर कर ली जाती है तो मूल्य और अधिक बढ़ जायेगा जिसका परिणाम यह होगा कि उपभोक्ताओं को अधिक दाम देने पड़ेंगे और हमारे निर्यात व्यापार को भी धक्का पहुंचेगा ?

†**श्री कानूनगो :** आवश्यक नहीं है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** विवरण में बताया गया है कि उद्योग के प्रवक्ता ने कहा है कि यदि परिस्थित आ गई तो वह कपड़े पर भाव छाप देंगे । यह सट्टेबाजी निर्माता, कपास की मिल अथवा कपड़े की मिल के स्तर पर कहां तक होती है ?

†**श्री कानूनगो :** पिछले पखवाड़े में अधिक कपास का सरकार द्वारा आयात करने के कारण भाव में काफी कमी हुई है ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में बताया गया था कि सट्टेबाज़ी चल रही है । वह कहां तक हो रही थी ?

†**श्री कानूनगो :** यह बता सकना कठिन है । कपास में सट्टा होता है । वितरण में भी सट्टा चल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उद्योग के एक प्रवक्ता ने घोषणा की थी कि यदि परिस्थिति आई तो कपड़े पर मूल्य छाप दिया जायेगा। क्या मैं यह समझूं कि इस समय कोई मूल्य नहीं छपा होता है? यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार बढ़ते हुए दामों को देखते हुए ऐसा करेगी?

†**श्री कानूनगो :** फिलहाल दाम छापने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछले तीन सप्ताहों से भावों का रुख कमी की ओर है और मुझे विश्वास है कि यह कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी :** क्या यह सच नहीं कि वायदा बाजार आयोग के सभापति ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मूल्य में वृद्धि खासकर सट्टे के कारण है? और यदि सरकार द्वारा निश्चित अधिकतम भावों का उल्लंघन किया गया तो सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है?

†**श्री कानूनगो :** अधिकतम मूल्यों का उल्लंघन जिसे आप कहते हैं वह अधिक नहीं हुआ है। सरकार ने काफी संख्या में कपास की गांठों का आयात करने के बारे में कार्रवाई की है क्योंकि पिछले दो वर्ष कपास की फसल खराब हो गई थी।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या यह सच है कि मिलों की मशीनें पुरानी होने और उत्पादन लागत अधिक के कारण भी उत्पादन कम हुआ था? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने आधुनिक ढंग की मशीनों के लगाने के बारे में मिल मालिकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको जानने का प्रयत्न किया है?

†**श्री कानूनगो :** जी हां, सरकार यथासंभव आधुनिकीकरण में सहायता कर रही है। किन्तु यह तर्क सही नहीं है कि उत्पादन में काफी अकुशलता फैली हुई है।

†**श्री दामानी :** क्या यह सच है कि पिछले चार-पांच सप्ताहों में कपड़े के भाव गिर गए हैं?

†**श्री कानूनगो :** उतने नहीं जितने कि गिरने चाहियें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह जो २० प्रतिशत वृद्धि हुई है इसका लाभ निर्माताओं को मिला है अथवा व्यापारियों को? क्या सरकार का यही निष्कर्ष है कि कपास के दाम बढ़ जाने से ऐसा हुआ है।

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि मैं कह चुका हूं प्रमुख रूप से कपास का भाव बढ़ जाने से उत्पादन लागत अधिक आई है।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं इससे एक भिन्न अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह इससे बिल्कुल ही भिन्न है तो मैं उसे पूछने की अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं?

†**श्री हेम बरुआ :** तो फिर क्या मैं इसी प्रश्न पर अनुपूरक पूछ सकता हूं?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि मैं अनेक प्रश्न पूछे जाने की पहले ही अनुमति दे चुका हूं। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यद्यपि यह कपड़े के मूल्य में वृद्धि का मामला ऐसा है कि जिसका सम्पूर्ण देश से संबंध है फिर भी कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री ने उत्तर देते समय अभी इस प्रकार की हालत के लिये व्यापार और उद्योग को इसका दोषी बताया है। इसका तो एकमात्र यही उत्तर दिया गया है कि कपास का मूल्य बढ़ जाने से ऐसा हुआ है, केवल इतना कह देने से देश तो सन्तुष्ट नहीं हो जायेगा। इस उत्तर से फिर आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि यह सदन सन्तुष्ट हो जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह मामला ऐसा है जिसमें सरकार ने चाव दिखाया है और निस्संदेह यह भी सच है कि पिछले कुछ सप्ताहों में उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ी है। हमारे लिये यह कह सकना बड़ा कठिन है कि मूल्य में वृद्धि के लिये पूर्णरूपेण ज़िम्मेदार कौन है ? यह सच है कि कपास की कमी रही है और कपास के संभरण में कमी हो जाने के कारण उन्हें अपने स्तर पर सट्टा किया। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब कि कपास की कमी थी तो कपड़े के थोक विक्रेताओं ने भी सट्टा किया और स्टाक जमा कर लिया। किन्तु ज्यों ही यह हुआ त्योंही सरकार ने उसे रोकने के लिये तत्कालिक उपाय किये और जहां तक मैं कह सकता हूं हमको इसमें काफी सफलता भी मिली है। कपास की कमी को कपास का आयात करके पूरा कर लिया गया है और ज्योंही यह घोषणा की गई थी कि अमरीका से काफी मात्रा में कपास का आयात किया जायेगा तो सट्टा करने वालों, मेरा तात्पर्य है जमा करने वालों तथा अन्य लोगों को निरुत्साह होना पड़ा और चार-पांच प्रतिशत भाव गिर गया। किन्तु इसके अलावा हमने अन्य ठोस उपाय भी किये हैं। हमने वस्त्र मिलों की मंत्रणा परिषद् से इस पर विचार विमर्श किया है और कुछ निश्चित कार्यवाही भी की है। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि निर्माताओं का पूरा सहयोग मिला है। मैं नहीं समझता कि निर्माताओं के स्तर पर बहुत कुछ किया गया है किन्तु किसी भी दशा में मुझे इसमें सन्देह नहीं कि निर्माताओं का हमें पूरा सहयोग मिलेगा। यदि उनका सहयोग हमें नहीं भी मिलता है तो भी मुझे इस बात की पूरी आशा है कि वे हमें सहयोग देंगे और अब तक उन्होंने दिया भी है। मुझे पूरी आशा है कि मूल्य कम होंगे और यदि आवश्यकता हुई; यदि कुछ और आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार उसे करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कपड़ों पर दाम छापने होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस बारे में और आगे वाद-विवाद आय-व्ययक पर चर्चा के समय कर सकते हैं।

ऊन उद्योग का आधुनिकीकरण

†*२७५. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ऊन उद्योग की पुनः स्थापना और उसका आधुनिकीकरण करने की समस्याओं की जांच करने के लिये कोई विभागीय समिति बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के अधीन नियुक्त की गई समिति भारतीय ऊनी मिलों की पुनः स्थापना करने और उनका आधुनिकीकरण करने के संबंध में सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जो शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

†**श्री दामानी** : समिति कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तीन-चार सप्ताह में। उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

†**श्री दामानी** : क्या उद्योग ने अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण और पुनः चलाने के लिये सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि ऐसा है, तो क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति की नियुक्ति ठीक इसी कारणवश की गई है। ऊनी मिल फेडरेशन ने सरकार से ऊनी मिलों के आधुनिकीकरण और उनको पुनः चलाने के प्रश्न की जांच करने के लिये निवेदन किया था और हमारे पास अनेक आये हैं। हमारी सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि अधिकांश ऊनी मिलें स्वामिगत हैं; न तो वे गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां हैं और न ही समवाय अधिनियम के अधीन सरकारी लिमिटेड कम्पनियां हैं और इसी कारण राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को ऋण नहीं दिया गया है। मामला विचाराधीन है।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार सूती वस्त्र उद्योग की भांति इस उद्योग को अपने निर्यात के बदले में कच्चा माल आयात करने के बारे में कोई प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले की निरन्तर जांच की जा रही है, किन्तु वह एक अलग प्रश्न है किन्तु ऊन उद्योग अधिकांशत : ऊन के गोलों पर निर्भर करता है। अतः तैयार ऊन का और अधिक निर्यात करना अन्य किसी भी उद्योग की अपेक्षा अधिक कठिन है ?

†**श्री दामानी** : सरकार ने देश में कच्चे ऊन की किस्म सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है और उसमें उसे कहां तक सफलता मिली है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक कच्ची ऊन का संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, उसका उपयोग वर्स्टेड बनाने वाली ऊन में नहीं किया जाता जिसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया था और जिसके ऊपर अधिकांश मिलें चल रही हैं। कच्ची ऊन का इस्तेमाल कम्बल और शाल बनाने में किया जाता है और उत्पादन तथा निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या सरकार को मालूम है कि ऊन के दाम बढ़ जाने से होज़री उद्योग पर भी असर पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले पर पहले दिन ही पूर्णरूपेण विचार किया गया था और हमने वस्तु आयुक्त के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी जो बुनकरों, होज़री निर्माताओं और शाल तथा गलीचे बनाने वालों के आवंटनों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर सकेगी। यदि किसी मामले में कोई मत भेद हुआ तो सरकार अपना अन्तिम निर्णय देगी।

†**श्री हेडा** : क्या इस समिति को मोटी ऊन की समस्या भी सौंपी जायेगी जो कि दक्षिण में पैदा होती है अथवा अच्छी किस्म के लिये ही होती है जो कि पहाड़ों पर पैदा होती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक इस प्रश्न विशेष का संबंध है, यह उन ऊनी वस्त्र उद्योग के संबंध में है, जो कि छोटे रेशे वाली कच्ची ऊन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां तक भारत में कच्ची ऊन के उत्पादन का संबंध है, इसका इस्तेमाल गलीचे और कम्बल उद्योग द्वारा किया जाता है और उन्हें प्रत्येक संभव सहायता दी जाती है।

मैंगनीज श्रमिक कल्याण निधि

†*२७६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज श्रमिक कल्याण निधि संगठन के लिये विधान बनाने की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विधान बनाने का कार्य करने की कोई संभावना है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० न० मिश्र)** : (क) से (ग). मैंगनीज़ अयस्क के मूल्य और निर्यात में कमी हो जाने के कारण विधान बनाने का कार्य स्थगित करना पड़ा था। स्थिति की निगरानी की जा रही है और मूल्यों के स्थायित्व तथा निर्यात व्यापार की दशा सुधरते ही एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वास्तव में कुछ मास पूर्व विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की पूर्व सूचना दी गई थी। क्या श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में कोई विधेयक पुरःस्थापित करने की कसौटी यह होती है कि जब कभी मंदी होती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव मज़दूरों पर पड़ेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इसमें सबसे पहले मज़दूरों पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु यह सच है कि विधेयक तैयार किया जा चुका था और सरकार उसे पुरःस्थापित करने की इच्छुक थी। किन्तु उसी बीच उद्योग को इस कारण हानि उठानी पड़ी कि मूल्य और निर्यात कम हो गया था। अतः वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इसका विरोध किया था। हमें उनकी कठिनाइयों को समझना है और इस कारण विधेयक के पुरःस्थापन को स्थगित करना है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सर्वप्रथम इस पर १९५७ में स्थायी श्रम समिति में चर्चा की गई थी। कोयला संबंधी औद्योगिक समिति ने, जो खानों से भिन्न थी, १९५८ में इस पर चर्चा की थी। क्या जिस समय हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे उस समय मन्दी नहीं थी।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : कल्याण का होना बड़ा अनिवार्य है। इस दिशा में हमें और आगे बढ़ते रहना चाहिये। किन्तु यह बड़ा आवश्यक है कि मज़दूरों की जीविका बनी रहे। आज उद्योग की दशा ऐसी है कि जीविका के भी लाले पड़ रहे हैं। उनकी विद्यमान मज़दूरी दरें खतरे में हैं। अतः हम उनके प्रमुख हितों के संरक्षण के लिये कार्रवाई कर रहे हैं। ज्योंही स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा, हम विधेयक को भी पुरःस्थापित कर लेंगे।

†**श्री काशी नाथ पाण्डे** : कच्चे माल के भाव घट-बढ़ रहे हैं। अतः कल्याण कार्य को भावों के घटने बढ़ने से जोड़ना कहां तक ठीक होगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नन्दा :** यदि कल्याण संबंधी प्रबन्ध हो जाता है तो परिस्थितियों में थोड़ा सा अन्तर हो जाने पर उसे वापस नहीं लिया जायेगा किन्तु निर्यात में कमी हो जाना और निर्यात की गई मात्रा के लिये जितना मूल्य निश्चित हो गया है, यह ऐसी ठोस चीज़ है कि कोई ऐसा नया विधेयक बनाने से पहिले जिससे कुछ थोड़ा भार पड़ेगा, हमें इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी ?

†**श्री जोकीम आल्वा :** राज्य-व्यापार निगम ने लगभग सम्पूर्ण मगनीज़ स्टाक पर आक्षेप किया है । मैंगनीज़ व्यापार की अर्थ व्यवस्था में उनका सर्वोच्च स्थान है । मैंगनीज़ का व्यापार पूर्णतः निर्यात पर किये गए अग्रिम पर ही निर्भर करता है । सरकार ने खान में काम करने वाले मज़दूरों की उपेक्षा क्यों की है और विशेषकर उस समय जब कि बहुत सी मैंगनीज़ की खानें प्राचीन तरीके पर चल रही हैं और श्रमिकों को कुछ भी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** माननीय सदस्य की धारणा बिल्कुल सही नहीं है । राज्य व्यापार निगम का एकाधिपत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है । राज्य व्यापार निगम खनन कार्य भी नहीं करता । वह खनन कार्य के लिये अग्रिम राशि भी नहीं देता है ।

†**श्री तंगामणि :** उद्योग में मंहगाई के समय में सरकार ने कल्याण योजना क्यों लागू नहीं की थी ?

†**श्री नन्दा :** दो या दस साल पहले कोई भी संभव अथवा अच्छी चीज़ नहीं की जा सकती थी । ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों हम नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उन्हें करते भी हैं ।

अशोक और जनपथ होटल

†*२७७. **श्री मुरारका :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक और जनपथ होटलों पर अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या ये परियोजनायें पूरी हो गई हैं या उन पर और धन व्यय किया जा रहा है ; और

(ग) पिछली और वर्तमान हानि की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) अशोक होटल पर कुल २, ७१, ८७, ३४१ रु० व्यय हुये हैं जिनमें उसकी भूमि, फर्नीचर, सजावट, वातानुकूलन और अन्य सामान का मूल्य भी सम्मिलित है । जनपथ होटल पर कुल ६४, ७८, १४० रु० व्यय हुए हैं और इनमें भूमि के मूल्य के अतिरिक्त फर्नीचर और सजावट की सामग्री, वातानुकूलन, हाथ मुंह धोने आदि तथा बिजली के सामान का मूल्य समिलित है ।

(क) परियोजना पूर्ण हो गई है, परन्तु सुधार तथा नवीनीकरण समय समय पर होता रहता है । जन पथ होटल में ४, ३४, ३३६ रु० की लागत इमारत वृद्धि व परिवर्तन स्वीकृत हो गये हैं ।

(ग) आज कल अशोक होटल और जन पथ होटल में कोई हानि नहीं हो रही है । सभवतः पिछली हानि की पूर्ति वर्तमान तथा भावी लाभ से हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मुरारका** : क्या अशोक होटल में हुई खुदाई के बारे में कोई विवाद है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री मुरारका** : विवाद क्या है और इस में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री अ० कु० चन्दा** : मैं पृथक् पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†**श्री मुरारका** : इन दोनों होटलों में अब तक कुल कितनी हानि हुई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जनपथ होटल में १९५७ के अन्त तक १४,००० रु० की हानि हुई और दिसम्बर १९५८ तक ६६,००० रु० का लाभ हुआ । अर्थात् दिसम्बर, १९५८ तक जनपथ होटल में लग भग ५०,००० रु० मे कुछ अधिक लाभ हुआ ?

अशोक होटल में ३० सितम्बर, १९५७ तक ३७.७६ लाख रु० की हानि हुई परन्तु इसमें ३०.५६ लाख रु० अवक्षयण विकास छूट और ब्याज के सम्मिलित हैं । आगामी वर्ष, अर्थात् ३० सितम्बर, १९५८ तक १५.७६ लाख रु० की हानि हुई और अवक्षयण विकास छूट ब्याज २३.७४ लाख रु० थे। ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त छः मासों में हानि की राशि २.२२ लाख रु० थी और इसमें अवक्षयण व ब्याज सम्मिलित है । आभास होता है कि यह वित्तीय वर्ष पर्याप्त लाभ के साथ समाप्त होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हमारे राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व के देशों की यात्रा के उपरान्त विभिन्न मन्त्रालयों को एक पत्र भेजा कि वे विलास पूर्ण इमारतें न बनायें और न ऐसे कार्य करें.....(**अन्तर्बाधा**) ? यदि हां, तो क्या अशोक और जनपथ होटलों में नवीनीकरण करने और इमारत वृद्धि करने में इसका ध्यान रखा जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : होटलों का कुछ स्तर बनाये रखना होता है और आवश्यक व्यय किया जायेगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या सरकार जनपथ होटल में एक विंग अलग करने पर विचार कर रही है ताकि मध्यम श्रेणी के लोग वहां ठहर सकें, क्योंकि वहां किराया बहुत है और वे उतना खर्च सहन नहीं कर सकते ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : होटल बहुत ही लोक प्रिय है । उदाहरणार्थ, गत मास होटल अनेक अवसरों पर पूर्णतया भरा हुआ था । एक सस्ता होटल खोलने का अन्य प्रस्ताव था ।

†**श्री आचार** : सरकार अशोक और जनपथ होटल से कितना ब्याज लेती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अशोक होटल ने ५ प्रति शत ब्याज पर ऋण लिया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री ने बताया है कि सरकार ने जनपथ होटल पर लगभग ७० लाख रु० व्यय किये हैं । जब कि आपने जनपथ होटल पर अशोक होटल पर खर्च की गई रकम की लग भग एक तिहाई राशि व्यय की है, अशोक होटल की इमारत भव्य और मज़बूत प्रतीत होती है और जनपथ होटल की खिड़कियां जीर्ण और कमरे निर्माण की दृष्टि से खराब मालूम देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उसकी सम्पूर्ण इमारत अशोक होटल की इमारत की भान्ति भव्य और मज़बूत नहीं है। जनपथ होटल की इमारत के निर्माण में मत्रांलय की क्या देखभाल है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अशोक होटल की इमारत का निर्माण-व्यय १,४२,००,००० रु० है जब कि जनपथ होटल की इमारत का निर्माण-व्यय केवल ३२ लाख रु० है।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि अशोक होटल में हाल में ही किराया आदि की दरें बदल गई हैं ? यदि हां, तो कितना परिवर्तन हुआ है और इसका क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा**: १९५९ के अन्त में होटल के खुलने के बाद किराया आदि में दो बार परिवर्तन हुआ है और प्रति बार प्रति बिस्तर पर ५ रु० बढ़े हैं। ग्राहकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

शाल और गुदमे

*२७८. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हिमाचल प्रदेश में शाल और गुदमे बड़ी संख्या में तैयार किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके निर्यात के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ मात्रा में शाल तथा गुदमे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) देश के सभी हिस्सों से सभी तरह की दस्तकारियों का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं, उनके जरिये इन शालों आदि के निर्यात की उपयुक्त व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री पद्म देव: जैसा माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब कभी यहां पर कोई प्रदर्शनी होती है तो लोग हिमाचल की चीजों को बहुत ही पसन्द करते हैं। तो क्या कोई ऐसी तजवीज है कि दिल्ली में इन चीजों का एक एम्पोरियम खोला जाय ?

श्री मनुभाई शाह : हम अलग अलग जगहों के एम्पोरियम तो नहीं खोलते, लेकिन हिमाचल प्रदेश की चीजों को लोग बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं, यह ठीक है। इस लिये उन्हें एम्पोरियम में, प्रामिनेन्स दी जाती है और माननीय सदस्य को पता है कि हैन्डीक्रैफ्ट कारपोरेशन की इमदाद की वजह से इस साल सवा करोड़ रु० का हैन्डीक्रैफ्ट्स का एक्स्पोर्ट हुआ है।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि हिमाचल में जितनी चीजें गांवों में खास तौर पर सर्दियों में, तैयार होती हैं वह मार्केट में इस लिये नहीं आ सकतीं कि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है और कौड़ियों के दामों में चीजें बिकती हैं। क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया जायेगा कि वह चीजें इकट्ठी की जा सकें और बाजार में लाई जा सकें ?

श्री मनुभाई शाह : हिमाचल प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेशन को भारत सरकार ने इस साल ४८ हजार रु० की इमदाद दी है और अगले साल १ लाख २० हजार रु० की इमदाद दी जा रही है। हमें आशा है कि इन सब प्रयत्नों से हिमाचल प्रदेश हैन्डीक्रैफ्ट्स में तरक्की करेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री पद्म देव : सरकार का यह प्रशसंनीय प्रयत्न आर्शीवाद के योग्य है । क्या इस सम्बन्ध में यह प्रयत्न भी किया गया है कि यह जितना रुपया आप देते हैं वह ठीक तरह से इस्तेमाल होता है या लोगों को फायदा पहुँचता है भी या नहीं ?

श्री मनुभाई शाह : वह तो बात यह है कि पैसा जब उनमें देते हैं तो मेम्बर साहबान की सही फरियाद होती है कि पैसा कम दिया गया लेकिन अगर जरा उदारता से बैकवर्ड ऐरियाज को डेवलप करने की कोशिश करें तो कुदरती तौर पर यह चिन्ता होती है कि वह पैसा सही ढंग से इस्तेमाल किया जायेगा या नहीं । हमें पूरा भरोसा है कि यह पैसा सही ढंग से इस्तेमाल किया जायेगा और उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को ही फायदा होगा और मेम्बर साहबान को यह जान कर भी खुशी होगी कि इस साल आल इंडिया हैंडीक्रैफ्ट्स बोर्ड हिमाचल प्रदेश की इनटेंसिव सर्वे करा रहा है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष कितने शाल और गुदमों का उत्पादन होता है और वहां की जनता की आवश्यकता क्या है ? यदि यह एक कुटीर उद्योग है तो एक मज़दूर की दैनिक आय कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितने शाल और गुदमों का उत्पादन होता है उनका संकलन करना भी उचित नहीं है परन्तु मैं प्राप्त होने वाली सारी रिपोर्टों के आधार पर यह कह सकता हूं कि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस उद्योग से मिलने वाली मजूरी वहां के अन्य उद्योगों में प्राप्त मजूरी की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है ।

उद्योगों में उत्पादन-लागत

†*२७९ { **श्री दामानी** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए उद्योगों में उत्पादन-लागत का अध्ययन करने के लिए तदर्थ अध्ययन दलों का गठन व निर्देश पद निश्चित हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री दामानी** : सरकार यह समिति और इसके निर्देश-पद बनाने का निश्चय कब तक करेगी ? क्या सरकार निर्देश-पदों में यह देखने के लिए मजूरी का सम्बन्ध उत्पादन से रखेगी कि उद्योग में उत्पादन लागत में वृद्धि न हो ?

†**श्री मनुभाई शाह**: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही कारण है कि हम योजना आयोग तथा राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं । यह देश के महत्वपूर्ण उद्योगों की लागत का अध्ययन होगा ताकि यह विदित हो सके कि कुछ उद्योगों और कुछ औद्योगिक एककों की लागत अधिक क्यों है और फिर कदाचित मजूरी को उत्पादन से सम्बद्ध करके और अधिक उत्पादिता के अन्य उपायों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जाय ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

काली मिर्च का निर्यात

+

*२८१०. श्री राधा रमण :
श्री पांगरकर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ की तुलना में १९५९ में समूचे रूप में भारतीय काली मिर्च का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यद्यपि १९५९ के ११ मासों की निर्यात-आय १९५८ के तत्स्थानी काल की आय की अपेक्षा अधिक है फिर भी इस काल में निर्यात की मात्रा में लगभग ७०० टन की कमी हो गई है ।

(ख) निर्यात-मात्रा में कमी का कारण अन्य उत्पादक देशों के साथ स्पर्धा होना है ।

(ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त काजू तथा काली मिर्च निर्यात वृद्धि परिषद् ने निम्न कार्यवाही की है:

१. परिषद् ने विदेशों में उन प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लिया जिनमें भारत सरकार ने भाग लिया था । नमना प्रदर्शन के अतिरिक्त, उपभोक्ता रुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ काली मिर्च मुफ्त बांटी गई ।

२. विदेशों में भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न भाषाओं में फोल्डर बांटे गये ।

३. १९५८ से परिषद् अमरीकी मसाला व्यापार संस्था को प्रतिवर्ष २८,६५० रु० चन्दा देती है । संस्था भारत की काली मिर्च की किस्म का प्रचार करती है कि यह इण्डोनेशियाई और साखाक किस्म की काली मिर्च से उत्तम है । उन्होंने सात कार्ड बनाये और प्रकाशित किये हैं जिनमें भारतीय काली मिर्च तथा अन्य मसालों के साथ खाना बनाने के ढंगों का उल्लेख है ।

परिषद् ने कनाडा में भारतीय काली मिर्च का प्रचार करने के लिये मसाला व्यापार संस्था को थोड़ा चन्दा दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. कृषि विपणन परामर्शदाता के परामर्श से एक नौकापूर्व निरीक्षण योजना बनाई जा रही है ।

†**श्री राधा रमण** : पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित कार्रवाई की दृष्टि से जो निर्यात बढ़ाने के लिये की गई हैं; मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई नया परिणाम निकला है या किन्हीं नये देशों को निर्यात आरम्भ हो गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कृषि वस्तुओं का निर्यात सदैव ही फसल की स्थिति के अनुसार घटता बढ़ता रहता है । इस वर्ष काली मिर्च का मूल्य बढ़ गया था और सच भी यह है कि इण्डोनेशिया और साखाक में फसल के नष्ट हो जाने के कारण हमने गत वर्ष की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन किया । कभी कभी यह स्थिति उलट जाती है मगर फिर भी हमारी मांग समाप्त नहीं हो रही है । जहां तक विदेशी मुद्रा के अर्जन का सम्बन्ध है उसमें वृद्धि हुई है ।

†**श्री राधा रमण** : अब तक की गई कार्रवाई के फलस्वरूप क्या हम इण्डोनेशिया और साखाक का मुकाबला कर सके हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इण्डोनेशिया और साखाक में संसार में काली मिर्च के उत्पादन का ६० प्रतिशत से अधिक उत्पादन होता है । उनकी काली मिर्च भारत की काली मिर्च की अपेक्षा सस्ती है । भारतीय काली मिर्च की किस्म उत्तम है और वह महंगी भी है । अतः यह सब उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर है । कुछ देशों में महंगी होने पर भी भारतीय काली मिर्च को अधिक पसन्द किया जाता है । यूरोप में अधिकतर साखाक और इण्डोनेशिया की काली मिर्च प्रयोग की जाती है जो भारतीय काली मिर्च की अपेक्षा सस्ती है । यह तो मांग उत्पन्न करने का प्रश्न है । हम आहिस्ता आहिस्ता मांग उत्पन्न कर रहे हैं ।

†**श्री आचार** : हमारे प्राचीन ग्राहक देशों में से किस किस देश ने हमारे देश से आयात कम कर दिया है और कितना कम कर दिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह स्थिति तो साधारणतया ज्यों की त्यों है । जनवरी-नवम्बर १९५९ और पिछले वर्ष तत्स्थानी काल में निर्यात क्रमशः २४०,००० हण्डरवेट और २५४,००० हण्डरवेट हुआ । इतना अन्तर तो कभी ही हो सकता है । प्रत्यक देश का कोई निर्धारित कोटा नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार निर्यात बढ़ाने के लिय अमरीकी मसाला व्यापार का वार्षिक चन्दा बढ़ाना चाहती है ? या वे सामान्य वार्षिक चन्दा ही चालू रखेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अमरीकी मसाला व्यापार संस्था को चन्दा उसके साथ हुए करार के आधार पर दिया जाता है । यदि स्थिति में परिवर्तन होता है या अधिक धन मांगा जाता है तो निश्चय ही उस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री आचार** : मंत्री महोदय ने बताया था कि निर्यात कम मात्रा में हुआ ? कौन कौन देश आजकल हम से कम माल लेते हैं और इसका क्या कारण है ? हमारा प्राचीन पण्य क्या है, किन देशों ने काली मिर्च का आयात कम कर दिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मात्रा तो रूस और अमरीका भारत से सब से अधिक लेते हैं । १९५८–५९ में अमरीका ने गत वर्षों की अपेक्षा हम से थोड़ी मात्रा ली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मिल

†*२८२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कताई व बुनाई की मिली जुली कपड़ा मिलें केवल बुनाई विभाग के रूप में चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमति देने का क्या कारण है; और

(ग) ऐसी कितनी मिलें हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान्, एक सीमित समय तक जिसके बाद मिलों से मिली जुली इकाइयों (कम्पोज़िट यूनिट्स) के रूप में काम करने की आशा की जाती है।

(ख) और (ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है :

विवरण

मिल का नाम	शक्ति चालित करघे का कारखाने के रूप में काम करने की अनुमति देने का कारण
१. मैसर्स पृथ्वी काटन मिल्स, बड़ौच .	मिल १९४९ में बन्द हो गये थे और केवल शक्ति चालित करघा का कारखाने के रूप में पुनः चालू की जा सकी क्योंकि इसके कताई विभाग में बड़े पैमाने के नवीनीकरण और पुनः समायोजन की आवश्यकता थी ।
२. मैसर्स बनारस काटन मिल्स, बनारस	मिल्स बन्द हो गई और समाप्त हो गई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पक्ष को उसका बुनाई विभाग चलाने के लिये तीन वर्ष के लिये ठेका दिया । कताई विभाग भी बड़े पैमाने के नवीनीकरण के बिना न चलने योग्य बताया गया ।
३. मैसर्स एन० के० टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली ।	मिल्स १९४८ से बन्द पड़े थे । कताई बिनाई पूर्णतया बेकार हो गया था । बुनाई विभाग ठेके पर ले लिया गया है और वह पुनः चालू हो गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : सरकार ने यह देखने के लिये क्या कार्यवाही की है कि ये मिलें संयुक्त एककों के रूप में चलें और इस काल सरकार को उत्पादन-शुल्क के रूप में कितनी हानि हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : उनके शक्तिचालित करघे वाले एककों के रूप चलने के लिए शर्त यह है कि निश्चित तारीख तक, कुछ मामलों में १९६० और अन्य मामलों में १९६१ के अन्त तक, उन्हें उनको संयुक्त एककों के रूप में चलाना है । अन्यथा उन्हें बन्द कर दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार ने अपने विशेषज्ञों द्वारा इन मिलों के सारे कताई एककों की जांच की है ?

†**श्री कानूनगो** : हां, श्रीमान्, क्योंकि कम से कम दो के मामले में कताई एककों को पूर्णतया हटाना पड़ा ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : कोयम्बटूर में संयुक्त मिलों के बुनाई विभागों को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि महिला मजदूरों को उनकी मजूरी तथा अन्य बातों से वंचित कर दिया जाये । क्या सरकार उस प्रकार की कार्रवाई रोकने के लिये कुछ कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : कोयम्बटूर में केवल एक मामला है और यह शर्त रख दी गई है कि निर्धारित काल में कौन मशीन लगानी होंगी ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कम्पोज्ड मिलों में स्पींडल सरप्लस हैं उन्हें उनके परिमाण में लूम्स बढाने की इजाज़त मांगने पर भी नहीं दी जाती हैं और कुछ कम्पोज्ड मिलों में स्पींडल बंद रखते हैं और लूम्स चलाने की इजाजत दी जाती है तो क्या ऐसा करने से कौस्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है ?

†**श्री कानूनगो** : सिद्धान्त यह है कि जहां तकुओं की संख्या मितव्ययी नहीं है, वहां उसे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है और जहां यह सख्या मितव्ययी है वहां वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने यह निवेदन किया था कि जिन कम्पोज्ड मिलों में स्पींडल सरप्लस हैं उन्हें उनके परिमाण में लूम्स बढाने की इजाजत मांगने पर भी नहीं दी जाती है और कुछ कम्पोज्ड मिलों में स्पीडल बद रखते हैं और लूम्स चलाने की इजाजत दी जाती है तो क्या ऐसा करने से कौस्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है ?

श्री कानूनगो : जिन मिलों में स्पींडल हैं उनको बन्द करने की इजाजत नहीं दी जाती है ।

†**श्री तंगामणि**: पृथ्वी काटन मिल्स, बड़ौच, बनारस काटन मिल्स, बनारस और एन० के० टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के कताई विभाग कब तक चालू होंगे ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास निश्चित तारीख नहीं है, परन्तु यह १९६० के अन्त में या १९६१ के मध्य में होगा । मुझे निश्चित तारीख विदित नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत् परियोजनायें

†*२७२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **योजना** मन्त्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना से छोड़ी गई वे १७ विद्युत् परियोजनायें कौन-कौन हैं जो १९६० में लागू की जायेंगी ;

(ख) ये परियोजनायें किन कारणों से योजना से अलग कर दी गई थीं; और

(ग) किन कारणों से ये कार्यान्विति के लिये पुनः ले ली गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९]

चलचित्रों का विवाचन[1]

†*२८०. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों ने चलचित्र विवाचन बोर्ड को बताया है कि नवयवक चलचित्रों में रेलगाड़ी में चोरी के दृश्य देख कर रेलगाड़ियों की बन्द खिड़कियां खोलना सीख रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चलचित्रों का प्रदर्शन रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सरकार को हालीवुड के एक चलचित्र के बारे में शिकायतें मिली थीं। चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ६ के अन्तर्गत आवश्यक पूछ-ताछ करने के बाद चलचित्र सम्पूर्ण भारत में ३ अक्टूबर, १९५९ के सरकारी अध्यादेश द्वारा अप्रमाणित घोषित कर दिया गया।

(ख) चलचित्र अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत दिये गये केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार अपराध का कार्य प्रणाली के रूप में व्यक्त करना आपत्तिजनक है और उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

†*२८३. **श्री विश्वनाथ राव** :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री अमजद अली :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के समाप्त होने से पूर्व टेलिविजन सेट बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

'एन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में भारत का मानचित्र

†*२८४. **श्री आसार** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री महन्ती :
श्री खुशवक्त राय :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' के नवीन संस्करण में भारत का गलत मानचित्र प्रकाशित किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Censorship of Films.

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). एशिया में वनस्पति दर्शाने वाले मानचित्र को छोड़ कर जो कि एक चीनी वनस्पति शास्त्री की पुस्तक से उद्धृत किया गया है, क्योंकि उसमें दिये गये अन्य सारे ही मानचित्रों में भारत की सीमा वही दिखाई गई है जो कि भारत के सरकारी मानचित्रों में दिखाई गई है, अतः कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

नैरोबी में अशान्ति

†*२८५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री पांगरकर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५९ में नैरोबी में भारतीयों तथा काले लोगों के बीच झगड़े हुये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). २० दिसम्बर, १९५९ को नैरोबी में छोटे पैमाने पर एशिया विरोधी दंगा हुआ था । झगड़ा तब शुरू हुआ जबकि एक भारतीय की कार से संयोगवश एक अफ्रीकी पदयात्री की टक्कर हो गई । इस दुर्घटना के तुरन्त बन्द अफ्रीकी लोगों ने आसपास की सभी कारों पर जिनमें, एशिया के लोग बैठे हुये थे, आक्रमण कर दिया ।

२. इन झगड़ों में एक एशिया निवासी मार डाला गया, एक यूरोपीय बच्चा सख्त जख्मी हो गया, १२ एशिया निवासी और ४ अफ्रीकी घायल हो गये और पत्थर फेंकने से ५४ कारें नष्ट हो गईं । अफ्रीकियों ने एशिया वालों की दूकानों को भी लूटने की कोशिश की ।

३. स्थानीय अधिकारियों ने शीघ्र कार्यवाही की, भीड़ को तितर बितर किया और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया तब से स्थिति शान्त है ।

पश्चिमी बंगाल की कपड़ा मिलों के लिये कोयला

†*२८६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की कुछ कपड़ा मिलों के समक्ष यह संकट उपस्थित हो गया है कि यदि उन्हें कोयला नहीं मिला तो वे बन्द कर दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो कोयले के नियमित सम्भरण के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पश्चिमी बंगाल की कुछ कपड़ा मिलों से कोयले की कमी का समाचार मिला ।

(ख) अतिरिक्त माल डिब्बे नियत कह दिये गये और कोयला ले जाने की व्यवस्था कर दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मिर्चों का निर्यात

†*२८७ श्री अगाड़ी :
श्री बोडियार :
श्री रामजी वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्चों के अनियन्त्रित निर्यात के कारण उसके मूल्य १९५६ ५७ के मूल्यों के मुकाबले में २००/३०० प्रतिशत बढ़ गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि १९६३ तक मिर्चों के निर्बाध निर्यात की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में निर्यात होने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) उत्पादन की मात्रा तथा आन्तरिक मूल्यों पर निर्भर प्रतिवर्ष ३००० से ४००० टन मिर्च के निर्यात की आशा है ।

आकाशवाणी

†*२८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १० सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में सहायक इंजीनियरों और प्रविधिक सहायकों के पदों की पूर्ति के लिये उपयुक्त कर्मचारी पाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). १ सितम्बर, १९५७ से संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर बत्तीस सहायक इंजीनियर तथा अट्ठाइस प्रविधिक सहायक नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रविधिक सहायकों के रूप में **तदर्थ** नियुक्ति के लिये १९ व्यक्ति (जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का भी है) चुने गये हैं और उनमें से पांच व्यक्ति आ भी गये हैं ।

अभी हाल ही में भर्ती की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी में इंजीनियरो का पदालियों के वर्तमान ढांचे का पुनरीक्षण किया गया था और सर्वप्रथम उपाय के रूप में यह निश्चय किया गया है कि प्रविधिक सहायक और सहायक इंजीनियर की श्रेणियों को सहायक इजीनियर की श्रेणी में ही मिला दिया जाये और इसके लिये वही वेतन दिया जाये जो दूर संचार विभागों में इसी प्रकार के पदों को दिया जाता है । उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने की दृष्टि से यह भी निश्चय किया गया है कि सहायक इंजीनियर के पद के लिये भर्ती संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी स्ट्रक्चरल वर्क्स

†*२८९. श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० मांझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मुरारका :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री अ० मु० तारिक :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री गोरे :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी स्ट्रक्चरल फैबरीकेटिंग वर्क्स तथा हैवी प्लेट और वेसिल वर्क्स के बारे में ब्रिटेन के मेसर्स अटकिन्स एण्ड पार्टनर्स से इस बीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). हैवी स्ट्रक्चरल फैबरीकेटिंग वर्क्स तथा हैवी प्लेट एण्ड वैसिल वर्क्स के बारे में ब्रिटेन के मेसर्स डब्ल्यू० एस० अटकिन्स एण्ड पार्टनर्स द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और इस समय सरकार उन पर विचार कर रही है ।

दिल्ली में आवास-स्थान

*२९०. श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में श्री ज० ई० दा फोनस्का को दिये गये मकान के बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, तो इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) अभी तक इस मामले का आखिरी फैसला नहीं हुआ ।

(ख) इस से सम्बन्धित काननी मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है ।

विदेशी सार्थों तथा बागानों का भारतीयकरण

†*२९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वसुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सार्थों तथा बागानों के भारतीयकरण के लिये विदेशी सार्थों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गये सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). अभी चर्चा चल रही है । मैं शीघ्र ही सभा के समक्ष उस का विवरण रखूंगा ।

आणविक शक्ति केन्द्र

†*२९२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री पांगरकर :
श्री मे० क० कुमारन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अ० मु० तारिख :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरूआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई निर्णय किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां, जहां तक पहले आणविक शक्ति केन्द्र का सम्बन्ध है ।

(ख) प्रथम केन्द्र पश्चिमी भारत में बम्बई और अहमदाबाद के बीच उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायगा । कोयला-क्षेत्रों से दूरस्थ स्थानों उदाहरणतः दिल्ली-पंजाब, मद्रास और मद्रास में आणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कॉफी बोर्ड

†*२९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफ़ी बोर्ड को प्रति वर्ष भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन देना होता है ;

(ख) कॉफ़ी बोर्ड की सब से बाद के किस वर्ष का प्रतिवेदन उपलब्ध है ;

(ग) क्या वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन में अनुचित विलम्ब होता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५८-५९ ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पाकिस्तान से पटसन की कतरनों का आयात

†२९४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन मिल्स एसोसियेशन ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि पाकिस्तान से जूट की कतरनों के आयात की व्यवस्था की जाय ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रार्थना उस समय नहीं मानी गई जबकि पाकिस्तान में उस का मूल्य कम था ; और

(ग) यदि हां, तो प्रार्थना न मानने का क्या कारण था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रार्थना न मानी गई हो । उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, १९५९ से समय-समय पर आयात की अनुमति दी गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य प्रशासन

†*२९५. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य प्रशासन में नियुक्तियों की प्रक्रिया तथा उस के नियम बना लिय गये हैं ;

(ख) ये नियम कब बनाये गये थे ;

(ग) क्या उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है ; और

(घ) क्या उन नियमों व प्रक्रिया की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नियुक्तियों के लिये जो नियम व प्रक्रिया लागू होती है वही सामान्य प्रक्रिया दण्डकारण्य प्रशासन के अन्तर्गत की जाने वाली नियुक्तियों के लिये लागू की जाती है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

थर्मामीटर

†२९६. **श्री पांगरकर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुविमन घोष :
श्री दा० रा० चावन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी फर्म के सहयोग से क्लिनिकल थर्मामीटरों को बनाने की योजना क्या इस बीच स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समझौते की अवधि में ३ वार्षिक किश्तों में वैलेंसिंग संयंत्र तथा उपकरण पर १,१८,७५० रुपये तथा टेक्निकल बातों पर ४३,००० रुपये व्यय करने होंगे ।

पंजाब में वक्फ की सम्पत्ति

†*२९७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक वक्फ की कितनी सम्पत्ति छोड़ दी गई है ; और

(ख) इस की उचित देख-भाल के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १०६ ।

(ख) जो वक्फ सम्पत्तियां छोड़ दी गई हैं उन की देख-भाल ट्रस्टियों द्वारा की जाती है। अभी तक जो वक्फ सम्पत्तियां नहीं छोड़ी गई हैं उन की देखभाल निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा की जाती है ।

अस्पृश्यता निवारण के बारे में चलचित्र

†*२९८ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण के बारे में चलचित्र के निर्माण के लिये एक चलचित्र निर्माता से हो रही बातचीत के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : निर्माता से वार्ता पूरी तरह से की जा चुकी है ।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

†*२९९ { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) नियुक्त किया गया था उस ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) उस का कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला दे दिया है ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये मकान

†*३००. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये प्राप्त किये गये रहने के मकानों को उन्हें शीघ्र ही देने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

किंग्जवे कैम्प, नई दिल्ली के निकट मकान

†३०९. **श्री गोरे** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का किंग्जवे कैम्प, नई दिल्ली के निकट ७०० क्वार्टर बनाने का विचार है ;

(ख) निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा ; और

(ग) इन क्वार्टरों को किस काम में लाया जायगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (ग). जी हां, दिल्ली नगर निगम किंग्जवे बस्ती में पुरानी बैरकों में रहने वालों के लिये क्वार्टर बनाने के हेतु क्षयरोग के अस्पताल के निकट ६० एकड़ भूमि प्राप्त कर रही है। यह आशा की जाती है कि निर्माण कार्य १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायगा ।

हिमाचल प्रदेश में मकान निर्माण समितियां

†३१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मकान निर्माण सहकारी समितियां कितनी हैं तथा इन में से कितनी समितियों न भूमि प्राप्त कर ली है अथवा मकान बनाने में सफल हुई हैं ;

(ख) इन समितियों को सरकार कौन-कौन सी सुविधायें देती है ;

(ग) क्या सरकार ने इन समितियों को विनियमित करने तथा उन की सहायता देने के लिये कोई निश्चित योजना बनाई है तथा ये समितियां अधिक अच्छे ढंग से कार्य कर सकें ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) रिफ्यूजी हाउसिंग एंड ट्रेडिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मंडी, जोकि हिमाचल प्रदेश में एक मात्र मकान निर्माण सहकारी समिति है, विस्थापित व्यक्तियों को बसाने तथा उन्हें निवास स्थान की व्यवस्था करने के लिय बनाई गई थी। समिति ने ११३ मकान बनाने के लिये बेहोली में भूमि प्राप्त की है।

(ख) अल्प आय वाले वर्ग के लिये मकानों की योजना के अन्तर्गत उन सहकारी समितियों को जिन के सदस्यों की आय ५०० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है, सरकार से बनाये जाने वाले मकानों की लागत की ८० प्रतिशत वित्तीय सहायता (ऋण) मिल सकती है किन्तु प्रत्येक मकान के लिये ८००० रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे ।

(ग) और (घ). हिमाचल प्रदेश में सामान्य रूप से सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने वाले वहां के कानून के अतिरिक्त मकान निर्माण सहकारी समितियों के लिये कोई भी विशिष्ट योजना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सिलाई की मशीनों का निर्माण

†३११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में वर्ष १९५९ में कुल कितनी सिलाई की मशीनें निर्मित की गईं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कुल ५०,३५० ।

श्रीलंका में भारतीय

†३१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों ने १ अक्तूबर, १९५९ से भारत के नागरिकता के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायुक्त को १ अक्तूबर से ३१ अक्तूबर, १९५९ तक भारतीय नागरिकता के लिये १६०२ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए । इन प्रार्थनापत्रों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति आते हैं इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ९४६ प्रार्थनापत्रों के अन्तर्गत आने वाले ११८९ व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है ।

पंजाबी भाषा के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन

†३१३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा जितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये उन में से कितने प्रतिशत मूल्य के विज्ञापन प्रतिवर्ष भारत के पंजाबी भाषा के समाचारपत्रों को दिये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये उन में से पंजाबी भाषा के समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को गत तीन वर्षों में जितने प्रतिशत मूल्य के विज्ञापन दिये गये उस का ब्यौरा इस प्रकार है :—

१९५६-५७	०·५ प्रतिशत
१९५७-५८	०·७ प्रतिशत
१९५८-५९	०·७ प्रतिशत

पाकिस्तान से हिन्दुओं का आप्रवास

†३१४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५९ से अब तक पश्चिमी पाकिस्तान से कितने हिन्दू भारत आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: १ दिसम्बर, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक की अवधि में ४६६ व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाना

†३१५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच अब तक केन्द्रीय सरकार के कितने और कार्यालय दिल्ली के बाहर ले जाये गये ;

(ग) उन के नाम क्या हैं और किन-किन स्थानों को वे ले जाये गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक कार्यालय को ले जाने में कितना व्यय हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) नवम्बर, १९५९ से अब तक केन्द्रीय सरकार का और कोई भी कार्यालय दिल्ली के बाहर नहीं भेजा गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजस्थान में खादी का उत्पादन

†३१६. **श्री ओंकर लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष १९५९-६० में अब तक (महीनेवार) कुल कितनी खादी का उत्पादन हुआ ; और

(ख) १९५९-६० के दौरान खादी के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) १९५९-६० में (३१ दिसम्बर, १९५९ तक) राजस्थान में खादी के महीनेवार उत्पादन का विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ख) उत्पादन का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

महीना	खादी का उत्पादन (लाख वर्ग गजों में)
अप्रैल	४·५०
मई	३·८७
जून	४·४९
जुलाई	२·७१
अगस्त	२·३९
सितम्बर	१·८१
अक्तूबर	१·९३
नवम्बर	१·०४
दिसम्बर	१·०३
कुल	२३·७७

†मूल अंग्रेज़ी में

राजस्थान में बड़े पैमाने के उद्योग

†३१७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष १९५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा खुद स्थापित किये गये बड़े पैमाने के उद्योगों का क्या नाम है ;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितना धन विनियोजित हुआ ;

(ग) क्या इस विनियोजन में राज्य सरकार का भी कोई अंश है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वर्ष १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में खुद कोई बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित नहीं किया है ।

(ख) से (घ), प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मैसूर में रेशम कृमि पालन उद्योग

†३१८. **श्री सिदय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में मैसूर राज्य में रेशम कृमि पालन उद्योग के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें मंजूर की गयी हैं ;

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ;

(ग) क्या यह धन पूरी तरह से खर्च कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनायें

†३१९. **श्री सिदय्या** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में अब तक मैसूर राज्य के लिये मंजूर की गयी गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के क्या नाम है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के लिये अब तक कितना अनुदान मंजूर किया गया है; और

(ग) उसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). अपनी, गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं की मंजूरी के लिये अब राज्य सरकार जिम्मेवार हैं। अभी तक मैसूर सरकार ने अपेक्षित जानकारी नहीं दी है । अपेक्षित जानकारी प्राप्त होते ही, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्म समितियां[1]

†३२०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री लैं० अचौ सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कर्म समितियों के कार्य के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जी, हां। समिति के महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं :—

१. समिति ने उन मदों की एक सूची तैयार की है जिन कार्यों को कर्म समिति करे और जिन कार्यों को न करे।

२. विभिन्न विभागों अथवा सेक्शनों के प्रतिनिधान के बारे में वर्तमान व्यवस्था जारी रहे। जहां तक निर्वाचन का सम्बन्ध है, एकमत राय यह थी कि जहां पर कोई विवाद है या विवाद की आशंका है, या जहां नियोजक या कर्मचारी समुचित सरकार से विशिष्ट प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर उस सरकार द्वारा भेजा गया एक कन्सिलियेशन अधिकारी/श्रम अधिकारी चुनावों की देखभाल करे।

३. यह तय किया गया कि नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि के बारी बारी से चेयरमैन होने के सम्बन्ध में केन्द्रीय औद्योगिक विवाद नियमों में जो उपबन्ध है उसे हटा दिया जाये। यह भी तय हुआ कि यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो, तो श्रमिकों के प्रतिनिधि को वह कार्यभार संभालने से वञ्चित न रखा जाये। यह तय किया गया कि अगले तीन वर्षों के लिये, सभापति प्रबन्धकों की ओर से हो, जो कि यथासम्भव, संगठन अथवा कारखाने का मुखिया हो। यह भी निर्णय किया गया कि इस स्थिति का तीन वर्षों के बाद पुनरावलोकन किया जाय।

सस्ते रेडियो सेट

†३२१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ते रेडियो सेटों के निर्माण के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी ;

(ख) ये सस्ते रेडियो सेट किस मूल्य के अन्दर बनाये जायेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works Committees

(ग) क्या इसमें कोई विदेशी सहयोग और टेक्निकल सहायता होगी ; और

(घ) निर्माण-केन्द्र कहां पर बनाया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाशई शाह)** : (क) इस कार्य के लिये नियुक्त की गयी समिति अपना प्रतिवेदन जल्दी ही देगी।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

चश्मों व दर्शन यंत्रों के शीशों का कारखाना [१]

†३२२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चश्मों व दर्शन यंत्रों के शीशों के कारखाने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन पर विचार करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन सरकार ने मंजूर कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जावेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

मोस्को के मेसर्ज़ टक्नो एक्सपर्ट के साथ हुए संविदा के अनुरूप ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्राप्त हो गया है।

इतने समय में, केन्द्रीय शीशा और चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्था से प्राप्त इस जानकारी के आधार पर कि उन्होंने कुछ विशेष प्रकार के चश्मों के शीशों के उत्पादन के लिए टेक्निकल 'जानकारी' का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है और १९६२ तक अन्य प्रकार के उत्पादन करना आरम्भ कर सकेंगे, रूसी अधिकारियों से चश्मों के शीशों की मद निकाल कर और उसके स्थान पर अन्य प्रकार के शीशे सम्मिलित कर के चश्मों व दर्शन-यंत्रों के शीशों की परियोजना को पुनरीक्षित करने की प्रार्थना की गयी है। पुनरीक्षित परियोजना के बारे में ब्यौरे रूसी विशेषज्ञों से प्रतीक्षित हैं।

समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यकारी दल

†३२३. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सिदय्या :

क्या **योजना** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजनाओं को सम्मिलित करने के लिये समाज

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१] Optical and Opthalmic Glass Plant.

कल्याण सम्बन्धी कार्यकारी दल का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का क्या स्वरूप है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

परिवहन नीति तथा समन्वय समिति

३२४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री तंगामणि :

क्या **योजना** मंत्री २७ नवम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति ने इस बीच क्या प्रगति की है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : २२ जुलाई, १६५६ को नियुक्त की गयी यह समिति इस समय देश में परिवहन सम्बन्धी आंकड़ें एकत्र करने तथा संबंधित लोगों से बातचीत करने में लगी हुई है। इसलिए समिति को अपना काम पूरा करने में अभी कुछ समय लगेगा।

पंजाब में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा

†३२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में सहकारी क्षेत्र में हथकरघे का कितना सामान बिना बिका पड़ा है; और

(ख) राज्य में बिना बिके कपड़े को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३० नवम्बर, १६५६ को १२,४६,४२५ रुपये के मूल्य का ५,७१,६४१ गज।

(ख) इस प्रक्रम पर किसी विशेष कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

औद्योगिक सहकारी समितियां

†३२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ नवम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चुनी हुई औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के बारे में सरकार ने कोई प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलगन है :

विवरण

राज्यों में समितियों का चुनाव पूरा हो गया है और अब विकास कार्यक्रम सब १०१ समितियों के बारे में है।

राज्य सरकारों और सरकारी बैंकों द्वारा ५५ समितियों को २२ लाख रुपये से अधिक का ऋण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, २३ समितियों को ३·३ लाख रुपय का अनुदान मिला है। सब एजन्सियों के काम का समन्वय करने के लिये आठ राज्यों में समितियां बनायी गयीं हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थाओं ने लगभग ६५ समितियों को टेक्निकल सहायता दी है और बाकी सब समितियों को भी यह सहायता देने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। इनमें से लगभग २६ समितियों को विपणन सहायता मिली है जिसमें सरकारी व्यादेश प्राप्त करने में सहायता भी शामिल है। १० समितियों को कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता दी गयी है।

विद्युदंशिक[1] मेंगनीज

†३२७. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक भारत में कितना विद्युदंशिक मेंगनीज आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय धातुशोधन प्रयोगशाला, जमशेदपुर में किये गये अनुसंधान के फल-स्वरूप देश में विद्युदंशिक मेंगनीज का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५८–५९ और १९५९–६० में भारत में आयात किये गये विद्युदंशिक मेंगनीज के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है।

(ख) अभी तक भारत में विद्युदंशिक मेंगनीज धातु का प्रयोग सीमित है। अभी तक उसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्यों के लिये किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति दिन दस टन विद्युदंशिक मेंगनीज धातु उत्पादन करने वाले संयंत्र पर ३२ लाख रुपये खर्चा होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Electrolytic

(ङ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और सरकारी क्षेत्र में विद्युदंशिक मेंगनीज बनाने का सयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेंगनीज़ डाइआक्साइड

†३२८. **श्री प्र० के० देव :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक भारत में कितना मेंगनीज़ डाइ-आक्साइड आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है !

(ग) क्या राष्ट्रीय धातुशोधक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप देश में मेंगनीज़ डाइआक्साइड का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

मेंगनीज़ धातु

†३२९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातुशोधक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप देश में मेंगनीज़ धातु का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(ख) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ;

(घ) क्या इससे किसी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी बचत होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). मेंगनीज़ धातु वही है कि जो विद्यु-दंशिक मेंगनीज़ है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान आज के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के भाग (ख) से (ङ) तक के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). क्योंकि इस समय विद्युदंशिक मेंगनीज का अधिक आयात नहीं हो रहा है, यदि विदेशी मुद्रा में कोई बचत होती है, तो वह नगण्य है।

बेल्टिंग सीमेण्ट

†३३०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने बेल्टिंग सीमेंट का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था, मद्रास में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप, देश में बेल्टिंग सीमेंट का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिए एक उद्योग स्थापित करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) बेल्टिंग सीमेन्ट के वास्तविक आयात के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह आयात व्यापार वर्गीकरण में अलग से नहीं दिखाया जाता है, तथापि 'बेल्ट सीमेन्ट' के लाइसेंस के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

१९५८-५९	७,००० रुपये
१९५९-६० (२६-१२-५९ तक)	१०,००० रुपये

(ख) यह औद्योगिक चमड़ा जैसे ट्रान्समिशन बेल्टिंग, हथौड़ा, बिना सीवन के जूतों और बिना सीवन के चमड़े के सामान में काम आता है।

(ग) जी, हां। परन्तु तभी जब कि संश्लेषित राल[१] देश में उपलब्ध हो, जो कि इस समय आयात की जाती है और जिस पर इसका उत्पादन निर्भर है।

(घ) संस्था द्वारा निकाले गये तरीके को अपनाया नहीं गया है परन्तु ३०० पौंड प्रति दिन के लघु उत्पादन के लिये लगभग १२,००० रुपये के सामान की आवश्यकता होगी।

(ङ) देश में बेल्टिंग सीमेन्ट बनाने के लिये अभी तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है।

एन्जीमे बेट्स

†३३१. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितना एन्जीमा बेट्स आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Synthetic Resin.

(ग) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था, मद्रास में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप एन्जीमा बेट्स का देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

फोम ग्लास

†३३२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने फोम ग्लास का आयात किया गया और उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) देश में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय कांच तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्था, कलकत्ता में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप फोम ग्लास का देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है ;

(घ) उसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है या क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अथवा भारतीय व्यापार आयोग की अनुसूची में कहीं पर भी फोम ग्लास के आंकड़ों को अलग रूप से नहीं दिखाया गया है इसलिये इसके आयात सम्बन्धी आंकड़े बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) यह एक हल्के वज़न की तापीय विसंवाहन सामग्री[१] है और यह ३२° फरेनहाइट ८००° फरेनहाइट के ताप के गर्म और ठण्डे विसंवाहन में इस्तेमाल होती है ।

(ग) जी, हां । केन्द्रीय कांच तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्था, कलकत्ता द्वारा आविष्कृत प्रक्रिया के आधार पर वाणिज्यिक पैमाने पर इसके उत्पादन के लिये मेसर्स ब्ल्यू स्टार इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को काम सौंप दिया गया है ।

(घ) अनुमान के अनुसार बढ़िया फोम ग्लास के प्रतिवर्ष १,००,००० घन फुट के उत्पादन के लिये लगभग ७ लाख रुपयों की पूंजी की आवश्यकता होगी ।

(ङ) फोम ग्लास के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेन्स के सम्बन्ध में हाल में कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है और क्योंकि इस कारखाने में १०० से कम कर्मचारी होंगे, इसलिये उसके लिये लाइसेन्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है । सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Light Weight Thermal Insulation Material.

प्लाटों की झूठी रजिस्ट्रियां

†३३३. { श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेंदी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्लाटों की झूठी रजिस्ट्रियों के लिये जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

†पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) उस पदाधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है और उस पर दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रूस के लिये भारतीय कपड़ा

†३३४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष रूस भारत से कपड़ा खरीद रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** रूस द्वारा भारतीय कपड़े की खरीद का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†३३५. **श्री तंगामणि:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थानों की जिन कोटियों का उल्लेख किया गया है, उनमें नियमित कर्मचारी भी सम्मिलित हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) जी हां, उसमें कुछ एक ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो कि बाद में नियमित वर्गों में स्थानान्तरित कर दिये गये थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का दिल्ली उड्डयन विभाग

†३३६. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली उड्डयन विभाग संख्या २ (देहली एवियेशन डिवीजन नं० २) का दफ्तर दिल्ली में स्थित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका सम्बन्ध पंजाब और राजस्थान के राज्यों के कार्यों से है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या इस दफ्तर को दिल्ली में रखना न्यायसंगत है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस दफ्तर को दिल्ली से हटा कर पंजाब या राजस्थान में ले जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) जी, हां । पंजाब, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में होने वाले उड्डयन सम्बन्धी कार्य में अच्छी प्रकार से समन्वय उत्पन्न करने और उस पर नियन्त्रण रखने के लिये दिल्ली जैसे केन्द्रीय स्थान पर ही हेडक्वार्टर रखना आवश्यक समझा गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मंडी में चाय का उत्पादन

३३७. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में चाय का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उसमें से कितनी चाय बेची गई; और

(ग) उसमें से कितनी शेष है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) लगभग १,८४,००० पौण्ड ।

(ख) और (ग). कितनी चाय बेची गयी तथा कितनी बिना बिकी पड़ी है, इसका ठीक-ठीक परिमाण बता सकना कठिन है लेकिन पता चला है कि १,६६,००० पौण्ड चाय बिक गयी है और फसल की लगभग १० प्रतिशत चाय बिना बिकी पड़ी है ।

भूमि अर्जन तथा विकास योजना

†३३८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन तथा विकास योजना के सम्बन्ध में किसी और राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य से क्या-क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों से चालू वित्तीय वर्ष के लिये मांगें प्राप्त हो गयी हैं।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ७१**]

---

†मूल अंग्रेजी में

बालोपयोगी फिल्में

†३३९. **श्री इ० मधुसूदन राव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालोपयोगी फिल्मों की लम्बाई पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में भारत के फिल्म फेडरेशन के संकल्प पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार को इस सम्बन्ध में भारत के फिल्म फेडरेशन से कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है । फेडरेशन के प्रतिनिधियों से मौखिक रूप से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया है कि ३५ मिलीमीटर साइज़ की ८००० फुट से अधिक लम्बी फिल्मों अथवा १६ मिलिमीटर साइज़ की उसी के तुल्य लम्बाई से अधिक लम्बी फिल्मों पर सरकार की ओर से पुरस्कार नहीं दिये जायेंगे । सरकार ऐसा नहीं महसूस करती कि इसमें छूट देना न्यायसंगत है जबकि फिल्म निर्माताओं ने इस प्रतिबन्ध की ओर केवल ध्यान ही नहीं दिया है, अपितु उन्होंने अपनी फिल्मों को उक्त लम्बाई के अनुसार सम्पादित करना भी प्रारम्भ कर दिया है ।

त्रिपुरा में ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाएं

†३४१. **श्री बांगशी ठाकुर : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना योजना के अधीन अभी तक कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर और क्या क्या कार्य किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना योजना को कार्यान्वित करने से पहले अन्य राज्यों के समान ही त्रिपुरा प्रशासन को भी कुछ एक प्रारम्भिक कार्यवाहियां करनी पड़ी हैं जैसे कि ग्रामों का चुनाव तथा सर्वेक्षण करना, चुने हुए ग्रामों के निवासियों के परामर्श से उन ग्रामों के पुनर्निर्माण के लिये नक्शे तैयार करना, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मकानों के लिये आदर्श डिजाइन तैयार करने, ऋण आदि देने के लिये विस्तृत नियम बनाना आदि ।

प्रशासन ने निम्नलिखित ग्रामों के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रारम्भिक कार्यवाहियों को लगभग पूरा कर लिया है :

ग्राम का नाम	खण्ड का नाम
१. गोकुलनगर २. सोनायमुरी	कालाशहर खण्ड

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम का नाम	खण्ड का नाम
३. प्राचीन अगरताला	नूतन हवेली तथा प्राचीन अगरताला खण्ड
४. वीरेन्द्र नगर	
५. रनीर गांव तथा नलगढ़िया	
६. बालामुखा	बेलोनिया खण्ड
७. बामखोरा	
८. मिरजापुर	

आशा है कि उक्त ग्रामों में धन के वितरण का काम शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

पाकिस्तान में भारतीय स्वामित्व वाली सीमेन्ट फैक्टरियां

†३४२. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अमजद अली :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्थित भारतीय स्वामित्व की सीमेंट फैक्टरियों को खरीद लेने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या यह किसी पारस्परिक प्रबन्ध अनुसरण में किया जा रहा है ;

(ग) क्या अभी तक कोई फैक्टरी बेची गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी कीमत पर ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) पाकिस्तान सरकार आसाम-बंगाल सीमेंट कम्पनी, लिमिटेड कलकता और एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज़ आफ़ इंडिया लिमिटेड, बम्बई की पाकिस्तान स्थित फैक्टरियों को खरीदने का विचार रखती है और इस बारे में बातचीत चल रही है ।

(ख) और (ग). जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिलाई की मशीनों के लिये निर्यात मार्केट

†३४३. **श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से तैयार की जा रही सिलाई की मशीनों को देश से बाहिर केवल कुछ एक देशों में ही बेचने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न ब्रांडों की सिलाई की मशीनों का किस-किस देश को निर्यात किया जा सकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) इस समय विदेशी सहयोग से भारत में कोई भी सिलाई की मशीन तैयार नहीं की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो सेट

†३४४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में अभी तक भारत में कुल कितने रेडियो सेट तैयार किये गये हैं ; और

(ख) उन में से कितने सेटों का निर्यात किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अप्रैल से दिसम्बर, १९५९ तक विकास विंग की सूची में सम्मिलित फर्मों द्वारा कुल १,६८,४४३ रेडियो सेट तैयार किये गये थे और जनवरी, १९६० में २०,००० सेट तैयार किये गये थे ।

अप्रैल से नवम्बर, १९५९ तक कुल १०२ सेटों का निर्यात किया गया था । दिसम्बर, १९५९ और जनवरी, १९६० के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बाबर रोड कालोनी, नई दिल्ली

†३४५. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाबर रोड कालोनी, नई दिल्ली के मकानों पर दूसरी मंजिल खड़ी करने की अनुमति दे देने की नीति का अभी तक पालन प्रारम्भ नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी, हां । बाबर रोड कालोनी, नई दिल्ली में अभी तक किसी भी मकान पर दूसरी मंजिल नहीं बनी है ।

(ख) दूसरी मंजिल के लिये अनुमति देने के सम्बन्ध में जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उन का फैसला अभी १९५९ के अन्त में ही किया गया है और उसी समय इस सम्बन्ध में पट्टाधारियों की एसोसियेशन को सूचित किया गया था । दूसरी मंजिल बनाने के लिये कुछ एक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में शर्तें निर्धारित करने में देर होने का कारण यह था कि कुछ एक पट्टाधारियों ने दूसरी मंजिल के निर्माण का विरोध किया था ।

भारी मशीनरी

३४६. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किस-किस प्रकार की भारी मशीनरी का निर्माण देश में हो रहा है ; और

(ख) इस से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) एक विवरण साथ में नत्थी है, जिस में यह जानकारी दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

१. खेती के काम आने वाली मशीनें
२. एयर कम्प्रैसर
३. बायलर—औद्योगिक
४. सीमेंट बनाने की मशीनें
५. कन्वेयर
६. इमारतें बनाने में प्रयोग होने वाली मशीनें
७. रसायन तथा औषधियां बनाने की मशीनें
८. कपड़ा उद्योग की मशीनें
९. बरमा मशीनें
१०. डीज़ल इंजन (स्थिर)
११. बिजली के मोटर
१२. मिट्टी हटाने और सड़क बनाने की मशीनें
१३. जूट मिल की मशीनें
१४. रेल के इंजन बायलरों सहित
१५. खानों पर काम आने वाली मशीनें
१६. मशीनी औज़ार
१७. तेल मिल की मशीनें
१८. शक्तिचालित पम्प
१९. चावल, दाल तथा आटा मिल की मशीनें
२०. चीनी मिल की मशीनें
२१. कागज बनाने की मशीनें
२२. चाय—उपचारण मशीनें
२३. ट्रांसफार्मर
२४. तोलने की मशीन

(ख) देश में भारी मशीनों के बनाये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की अच्छी बचत होती है। लेकिन वास्तविक बचत के ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी मकानों का सब-लैट किया जाना

†३४७. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मकानों को सब-लैट करने के सम्बन्ध में क्या क्या नियम हैं ;

(ख) क्या नियमों के अधीन पूरे मकान को सबलैट करने की अनुमति नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो पूरा मकान सब-लैट कर देने पर क्या जुर्माना किया जाता है ; और

(घ) क्या केवल एलाटी पर ही जुर्माना किया जाता है या कि उस पर भी जिसे वह मकान सब-लैट किया गया हो ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में डायरेक्टर आफ एस्टेट्स के नियंत्रण के अधीन नियमित (रेगुलर) मकानों को सब-लैट करने के सम्बन्ध में अनुपूरक नियम ३१७–ख–१७ लागू होता है, जिस की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]** 'विशेष निवास स्थानों' पर लागू होने वाले नियमों की एक प्रतिलिपि भी संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

(ख) उक्त विवरणों में निहित नियमों के उपनियम २(क) और (ख) के अनुसार पूरे मकान को सब-लैट करने की अनुमति है।

(ग) जुर्माना उस समय किया जाता है जब अनधिकृत रूप से पूरे या उस के किसी हिस्से को सब-लैट किया जाता है। जब अनधिकृत रूप से पूरा मकान सब-लैट किया जाता है तो उस स्थिति में वह एलाटमेंट रद्द किया जा सकता है और सम्बन्धित पदाधिकारी को आगामी एलाटमेंट से ६ मास से ५ वर्ष तक की अवधि के लिये वंचित किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त फंडामेंटल रूल नं० ४५–ख के अधीन उस पदाधिकारी से सब-लैटिंग की अवधि के लिये उस स्थान का विशेष किराया भी लिया जा सकता है।

(घ) जुर्माना केवल एलाटी पर किया जाता है, उस व्यक्ति पर नहीं जिसे वह सब-लैट किया गया हो।

सरकारी दफ्तरों के लिये इमारतें

३४८. श्री राम गरीब : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में इस समय किस किस स्थान पर कितनी सरकारी दफ्तरों के लिये इमारतें बन रही हैं, और इन इमारतों के पूरा हो जाने पर उन में कौन कौन से दफ्तर स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : जनरल पूल में दो बहुमंजली इमारतें तैयार की जा रही हैं, एक रायसीना रोड पर एन ब्लाक के स्थान पर और दूसरी उद्योग भवन के सामने के ब्लाक के स्थान पर। पूरी हो जाने में इनमें अभी तो क्रमशः रेलवे मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय भेजने का ख्याल है। पार्लियामेंट स्ट्रीट की सरकारी दफ्तर की इमारत जो अभी पूरी हुई है। योजना आयोग और केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था को एलाट कर दी गयी है।

सरकारी बस्तियों में मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें

†३४९. { **श्री हेम राज** :
श्री पद्म देव :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर तथा अन्य निकटस्थ बस्तियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये मनोरंजन सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस के लिये कोई उपयुक्त स्थान एलाट करने का कोई विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). सरोजिनी नगर बस्ती में तो मनोरंजन सम्बन्धी उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध हैं। निकटस्थ बस्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिपुरा में रस्सी उद्योग

†३५०. **श्री दशरथ देब :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रस्सी उद्योग प्रारम्भ करने के लिये जोगेन्द्र नगर सहकारी समिति, त्रिपुरा को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गयी थी ;

(ख) क्या वह उद्योग फायदे पर चल रहा है या कि घाटे पर ; और

(ग) यदि घाटे पर तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) :** (क) १२,२८५ रुपये ।

(ख) उद्योग फायदे पर चल रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मंडया (मैसूर) में कागज़ का कारखाना

†३५१. **श्री सिदय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) मैसूर राज्य के मंडया जिले में कागज़ मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वहां पर कागज़ का उत्पादन कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) यह मिल मैसूर के बालागुला में स्थापित की जायेगी और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई है :

(१) मशीनरी के लिये विदेशी संभरण कर्ताओं को आर्डर भेज दिये गये हैं और आशा है कि शीघ्रही मशीनरी पहुंच जायेगी ।

(२) कोई (कच्ची सामग्री) के संभरण के लिये एक चीनी की मिल के साथ फैसला कर लिया गया है ।

(३) आशा है कि उत्पादन कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा ।

(ख) १९६२ तक ।

नेफा में जनगणना

†३५२. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ की अखिल भारतीय जनगणना के सम्बन्ध में नेफ़ा में जांच कार्य अभी से ही प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेफ़ा की जनगणना शेष अखिल भारतीय जनगणना से किसी भिन्न प्रकार की होगी ; और

(ग) यदि हां, तो किस दृष्टि से भिन्न प्रकार की होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसका कारण यह है कि नेफ़ा में सब से पहली बार जनगणना करने का यत्न किया जा रहा है। इसके कई अन्य कारण भी हैं जैसे कि वहां के लोगों की निरक्षरता, उनका नेफ़ा के बाहिर के लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने में संकोच करना, वहां के अधिकांश ग्रामों के मार्गों का दुर्गम होना और इस कारण वहां पहुंचने में कोई दिन लग जाना। इन सभी कारणों से ही वहां की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। मुख्य अन्तर यह है कि जहां शेष भारत में जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में एकत्रित की जायेगी, वहां नेफा में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार की जानकारी एकत्रित की जा रही है :—

१. परिवार के मुखिया का नाम।

२. आदिम जाति का नाम।

३. बोली का नाम।

४. उस स्थान पर निवास की अवधि।

५. कुल परिवार के सदस्य।

६. विभिन्न आयु वर्गों जैसे ०–४, ५–१४, १५ से ऊपर के वर्गों के अनुसार जन संख्या।

७. ५–१४ तथा १५ से ऊपर के वर्षों की आयु के वर्गों में साक्षर व्यक्तियों की संख्या।

८. भूमि का क्षेत्र जिसमें सदा खेती की जाती है।

९. झूम काश्त की मुख्य फसल।

इस सम्बन्ध में यही अच्छा समझा गया है कि उन ग्रामवासियों से उक्त प्रश्न पूछने वाले अधिकारी वास्तविक तिथि से पूर्व ही उन स्थानों पर चले जायें ताकि उन व्यक्तियों से पहले ही मित्रता तथा परिचय प्राप्त कर सकें। इसीलिये ही जन-गणना की अवधि को बढ़ा देना पड़ा है। और कुछ एक क्षेत्रों में गणना वास्तव में प्रारम्भ भी हो गयी है। जहां तक नेफ़ा के उन गांवों का सम्बन्ध है, जहां पर डिवीजनल या सब-डिवीजनल हैडक्वार्टरों से पहुंचना आसान है, वहां पर जनगणना का कार्य देश के शेष स्थानों के समान ही १० फरवरी, १९६१ से ३ मार्च, १९६१ तक की अवधि में ही किया जायगा।

क्षेत्र प्रचार पदाधिकारी

†३५३. **श्री राम गरीब।** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्र प्रचार पदाधिकारियों को कैसे नियुक्त किया जाता है ; और

(ख) उनके वेतन-क्रम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा।

(ख) २५०–१५–४००। केन्द्रीय सूचना सेवा स्थापित हो जाने के बाद इस वेतन-क्रम को घटा कर २००–१०–२५०–दक्षता रोध –१५–४०० रुपये कर दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

काउन्टैस मांउटबैटन का निधन

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों ने लेडी माउंटबैटन की दुखद मृत्यु का समाचार समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। लार्ड और लेडी माउंटबैटन भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। लेडी माउंटबैटन ने हमारे देश की महिलाओं के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। उनकी मृत्यु पर हम दुःख प्रकट करते हैं। आशा है कि सभा लार्ड माउंटबैटन को इस अवसर पर संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी।

अपना दुःख प्रकट करने के लिये सभा के सदस्य कृपा करके एक मिनट के लिये खड़े हों।

(इसके पश्चात सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे।)

†**श्री अ० चं० गुह** (वारसाट) : हमारी सभा की सामान्य प्रथा यह रही है कि हम यहां केवल उसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं जो इस सभा का सदस्य रहा हो। किसी भूतपूर्व वायसराय की पत्नी पर यदि हम प्रस्ताव पास करें तो यह बहुत बुरा पूर्वोदाहरण होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): इंगलैंड की सभा ने तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया था। सभा की अपनी परम्पराएं होती हैं। आपको उनका पालन करना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : ऐसा करना हमारी सभा की परम्परा के विरुद्ध है। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिय कि दूसरे देशों की सभाएं हमारे यहां के व्यक्तियों की मृत्यु पर, चाहे वे कितने ही महान् क्यों न हों, शोक प्रकट नहीं करतीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि हमने केवल इस सभा के सदस्यों की मृत्यु पर ही शोक प्रकट किया है। कभी कभी हमने ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी शोक प्रकट किया है जो इस सभा के सदस्य नहीं थे। लेडी माउंटबैटन तथा उनके पति ने भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति में कुछ जल्दी करने का काफी प्रयत्न किया था। ऐसे अवसरों पर, ऐसे उल्लेख करने के लिये मैं सभा का मतदान नहीं लेना चाहता। यह प्रश्न मेरी स्वेच्छा का है कि किस व्यक्ति की मृत्यु का उल्लेख किया जाय और किस व्यक्ति की मृत्यु का नहीं। ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय। ऐसे मामलों में हम ब्रिटेन की संसद् से अलग परम्परा अपना रहे हैं। इस महिला के बारे में मैं जानता हूं कि उन्होंने भारत को आजादी दिलवाने में काफी सक्रिय भाग लिया और वह भारत की एक अच्छी मित्र थीं अतः उनकी मृत्यु का यहां उल्लेख करना मैंने ठीक समझा। अतः मैं किसी प्रथा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। भविष्य के लिये मैं ध्यान रखूंगा कि परिस्थिति विशेष में ही ऐसे उल्लेख किये जायें।

स्थगन प्रस्ताव

आसाम की मिकिर पहाड़ियों से ३००० विस्थापित व्यक्तियों का कथित निष्कासन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हेम बरुआ, श्री स० मो० बनर्जी, और श्री पाणिग्रही से मिली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार का विषय क्यों नहीं है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : यह राज्य का विषय इसलिये नहीं है कि मिकिर पहाड़ियों में रहने वाले लगभग ३००० विस्थापित परिवारों को वहां से निकालने का प्रश्न इस में निहित है। ये लोग विभाजन के पश्चात् १९४७ और १९५० में भारत में आये थे। ये लोग उस जिले के उपायुक्त के कथित आदेशों के अनुसार वहां रह रहे थे। इन परिवारों ने मरुभूमि को धान लगाने वाली भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब वहां की जिला परिषद् के पदाधिकारी इन लोगों को निकालना चाहते हैं और इनको निकालने के लिये उन्होंने हाथियों का प्रयोग प्रारम्भ किया है। साथ ही इनके लिये कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की है। इनको निकालने से तो हमारी खाद्य समस्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा निवेदन है कि जब तक इनके रहने के लिये दूसरे स्थान की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पुनर्वास मंत्रालय उनमें रुचि ले और उनके निष्कासन को रोके। कुछ दिन हुए तब हमने इस बारे में गृह-मंत्री से भी बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह आसाम के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। उन्होंने सम्भवतः बातचीत की भी लेकिन फिर भी उनका निष्कासन जारी है। यह बड़े दुःख की बात है।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वस्तुतः ये लोग १९४९ में नोआखाली से आये थे। उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे नौगांव में उन्हें बसा देंगे। मेरा निवेदन यह है कि ये लोग पुनर्वास मंत्रालय की बिना किसी सहायता के वहां आबाद हुए और वहां की समस्त भूमि को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। वहां धान की पैदावार इतनी अच्छी है कि वे सात लाख मन धान प्रतिवर्ष उत्पन्न करते हैं। इन विस्थापितों की संख्या ५ हजार के लगभग है। मेरा निवेदन यह है कि इनके लिये जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाये तब तक इनका निष्कासन रोक दिया जाय। उनका निष्कासन ७ फरवरी, १९६० से प्रारम्भ हो गया है और जबरदस्ती उन्हें निकाला जा रहा है। इसलिये पुनर्वास मंत्री तथा प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ करें।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मैंने उस अभ्यावेदन को सम्बन्धित विभाग के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के हेतु भेज दिया था।

† पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : अभ्यावेदन की कोई प्रति मुझे नहीं मिली है। और न मुझे उसके बारे में कोई जानकारी ही है। लेकिन मैं वैसे अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो पहिली बार नहीं उठा है। ये मिकिर पहाड़ियां स्वायत्त पर्वतीय जिले हैं। ये कुछ आदिम जातीय विधियों एवं प्रथाओं के द्वारा प्रशासित होते हैं। संविधान में भी इनके लिये कुछ सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है। शुरू में कुछ विस्थापित परिवार इन मिकिर पहाड़ियों में आकर बसे थे। उस समय उनकी संख्या ४०० से ५०० परिवार थी। हमने आसाम सरकार से बातचीत की और तत्कालीन मुख्य मंत्री उनको वहां बसाने के लिये तैयार हो गये। एक वर्ष बाद उन परिवारों की संख्या बढ़कर ७०० से ८०० हो गई। अब वहां की राज्य सरकार ने बताया है कि इनकी संख्या बढ़कर १००० परिवार हो गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये सभी विस्थापित हैं। हमने यह निश्चय किया कि जो विस्थापित हैं उनके बारे में विचार किया जाये और यह देखा जाये कि उनको आसाम में पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी गई है अथवा नहीं। कठिनाई यह है कि हम उन्हें पुनर्वास सहायता देते हैं तो ये लोग फिर वहां से हटकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। और वहां बस जाते हैं। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जिन परिवारों को वास्तव में दूसरे स्थान की आवश्यकता है उन्हें स्थान दिया जाये। लेकिन इस प्रकार ही यदि ये लोग वहां बसते रहे तो इस समस्या का अंत संभव नहीं है। इस सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहरचंद खन्ना]

में एक प्रश्न भी पूछा जाने वाला है उस समय मैं विस्तृत जानकारी दे सकूंगा। लेकिन इतना अवश्य है कि इन पहाड़ियों में बहुत थोड़े से परिवारों को ही बसाया जा सकता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसके पीछे आदिवासियों को कोई हानि पहुंचे। अंत में मैं निवेदन करूंगा कि जो सही विस्थापित व्यक्ति हैं उनके लिये अवश्य ही कुछ न कुछ किया जायेगा।

† **अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि विस्थापित व्यक्तियों के बारे में पहले भी कुछ किया गया है और आगे भी कुछ किया जायेगा। लेकिन यह क्षेत्र आदिम जाति के लिये सुरक्षित है। उनको विस्थापित व्यक्तियों से अलग रखा जायेगा। और विस्थापितों के लिये यथाशक्ति प्रयत्न किया जायेगा। माननीय मंत्री इस बात के लिये भी तैयार हैं कि वह अधिक से अधिक जानकारी सभा पटल पर रखेंगे। अतः ऐसी परिस्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना आवश्यक नहीं समझता।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि जो लोग वहां पिछले ७-८ वर्षों से हैं उन्हें वहां से उस समय तक जबरदस्ती से नहीं निकला जायेगा जब तक कि उनके लिये दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती ?

†**श्री मेहरचंद खन्ना :** पुनर्वास सुविधाएं पाने के जो अधिकारी हैं और जिन्हें अब तक पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिली हैं--उनके बारे में विचार करने को मैं तैयार हूं।

लद्दाख में चीनियों द्वारा नमक-झील पर कथित अधिकार

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री ब्रजराज सिंह ने लद्दाख में चीनियों द्वारा नमक-झील पर कथित अधिकार के बारे में भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उनका कहना है कि :

> "जम्मू तथा काश्मीर के एक प्रमुख राजनैतिक दल ने बताया है कि लद्दाख में स्थित नमक-झील पर चीनियों ने अधिकार कर लिया है और स्थानीय भारतीय जनता को वहां से नमक नहीं मिल रहा है।"

क्या इस प्रकार यह चीनियों का नया आक्रमण है ?

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू और काश्मीर) : जम्मू और काश्मीर के प्रधान मंत्री ने इस समाचार का खंडन किया है।

† **श्री ब्रजराज सिंह :** मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस पर प्रकाश डालें। रिपोर्ट के अनुसार ज़न्सकार के लोगों को, जो कि चन्थम नमक का प्रयोग कर रहे थे, अब चीनी सैनिकों ने वहां जाने से रोक दिया है और जो लोग वहां नमक लेने गये उनको पीटा गया। उस प्रतिवेदन में कहा गया है :

> "बहुत से अज्ञात व्यक्ति, बौद्ध साधु वेष में, तिब्बत की ओर से ज़न्सकार में घुस आये हैं।"

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह स्थान उस क्षेत्र में है जिसकी चर्चा यहां सभा में की जा चुकी है अथवा यह नया आक्रमण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह स्थान हमारे क्षेत्राधिकार में है और इसके बारे में सरकार का प्रतिस्पर्द्धी प्रतिवेदन है। मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर की सरकार से स्थिति का सही स्पष्टीकरण किये बिना ऐसा विवरण किस प्रकार दे दिया जो कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार के विवरण से विरुद्ध है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)**: मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस स्थगन प्रस्ताव में भी जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा किया गया खंडन और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के विवरण का उल्लेख है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने जम्मू और काश्मीर सरकार से सूचना मिलने तथा अपने साधनों से जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही यह विवरण दिया था। दोनों ने ही इस सूचना का प्रतिवाद किया है।

माननीय सदस्य ने बौद्ध भिक्षुओं के भेष में चीनियों का इस क्षेत्र में जाने का उल्लेख किया है। इसका प्रतिवाद किया गया है। माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र विशेष का उल्लेख किया है वह हमारी सीमा के अन्दर लगभग १५० मील का है। अतः वहां सीमा के अतिक्रमण का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह कोई नहीं कह सकता कि वहा भेष बदलकर कोई नहीं जा सकता। मैं भी एकदम यह इंकार नहीं कर सकता कि भेष बदलकर वहां कोई गया है या नही। लेकिन हमें यह सूचना मिली है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और इस सूचना का आधार जम्मू और काश्मीर सरकार से मिली सूचना है। वहां के मुख्य मंत्री के पत्र मेरे सामने हैं और शायद वहां की विधान सभा में भी उन्होंने इस बात का खंडन किया है। मैं नहीं जानता कि इससे अधिक भी मुझे कुछ और कहना है। यही कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटना के लिये आजकल का मौसम भी ठीक नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से भी यह कठिन है। कम ठंडे मौसम में तो इस प्रकार व्यक्तियों का घूमना संभव भी है। लेकिन जम्मू और काश्मीर सरकार के पास जो सूचना है उसके आधार पर उन्होंने इसका खंडन किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आंकड़ों (केन्द्रीय) का संग्रह नियम

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं आंकड़ों का संग्रह अधिनियम, १९५३ की धारा १४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३ में प्रकाशित आंकड़ों (केन्द्रीय) का संग्रह नियम, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी ०–१९०५/६०]

मितव्ययता उपायों के परिणाम

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ३० जून, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में किये गये मितव्ययता उपायों के परिणाम बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्ताकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१९१५/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य के बारे में उद्घोषणा

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): मैं केरल राज्य के बारे में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने वाली राष्ट्रपति की संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत आज प्रातः जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१९१६/६०]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष १९५८–५९ के लिये हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे सहित और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१९१७/६०]

राज्य सभा से संदेश

†सचिव: (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा ११ फरवरी, १९६० को पारित निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य सभा ने अपनी १८ फरवरी, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश भी प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक-ससभा को बताना है कि राज्य-सभा ने अपनी १८ फरवरी, १९६० की बैठक में मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जिसे लोक-सभा ने अपनी २२ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था, निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है:—

अधिनियमन सूत्र

(१) कि पृष्ठ १, पंक्ति में १ में

'Tenth Year' ('दसवें वर्ष') के स्थान पर "Eleventh Year" ('ग्यारहवें वर्ष') शब्द रखे जायें।

खंड १

(२) कि पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1959' ('१९५९') के स्थान पर '1960' ('१९६०') अंक रखे जायें।

अतः मैं इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों से लोक-सभा की सहमति इस सभा को प्रेषित की जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में, सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव :** मैं मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९६० को, जिसे राज्य सभा ने संशोधनों सहित लौटा दिया है, सभा पटल पर रखता हूं।

लोक-लेखा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक) १९५७-५८ में पता लगने वाले स्वीकृत अनुदानों और भारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में लोक-लेखा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भरतपुर के निकट शरणार्थी शिविर में अग्निकांड

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भरतपुर के निकट स्थित शरणार्थी शिविर में हाल में हुआ अग्निकाण्ड"

† **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** बहुत समय से हम शरणार्थी शिविरों के परिवारों को पश्चिमी बंगाल से उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। हाल में ही एक स्थान पर लगभग २४० परिवार लाये गये। दुर्भाग्यवश वहां आग लग गई। मुझे बताया गया है कि लगभग १०० वर्ष की आयु वाला एक वृद्ध व्यक्ति रात्रि में हुक्का पी रहा था। अचानक ही उसकी रजाई में आग लग गई और फैल गई। वृद्ध की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार की सहायता देने के प्रबन्ध किये हैं। उन्होंने घायल व्यक्तियों को सहायत दी है तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को भी पर्याप्त सहायता दी है। कुछ दान भी दिये गये हैं। राज्य सरकार ने जो सूचना मुझे भेजी है उसके अनुसार जो कुछ सम्भव था वह किया गया है। यह केवल एक दुर्घटना-मात्र थी और जो कुछ किया जा सकता था वह किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ब्यौरेवार विवरण सभा पटल पर रखा जाये।

†**श्री मेहरचंद खन्ना :** मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

उत्तर-प्रदेश के तराई क्षेत्र के हाल में ही अर्जित एक स्थान पर जिसे रतन फार्म कहते हैं, पश्चिमी बंगाल के शिविरों से लगभग २४० परिवार लाये गये थे। पक्के मकान बनने तक इन परिवारों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहरचंद खन्ना]

झोंपड़ियों में रखा गया था। ४ और ५ फरवरी १९६० की रात में पूर्वी पाकिस्तान के एक अति वृद्ध विस्थापित व्यक्ति श्री राज मोहन आचार्य ने सोने से पहले अपनी खाट के पास जलती हुई 'चिलम' उलट दी। दुर्भाग्यवश 'चिलम' की आग श्री आचार्य की रजाई में लग गई जो शीघ्रता से फैल गई। वहां पर उपस्थित थोड़े से सरकारी कर्मचारियों ने यथासम्भव शीघ्रता से आग बुझाई परन्तु फिर भी ४९ परिवारों की व्यक्तिगत वस्तुयें जल गईं और श्री आचार्य के निकट सोने वाले ३ अथवा ४ विस्थापित व्यक्ति थोड़े थोड़े जल गये श्री आचार्य स्वयं काफी जल गए और मर गए। बुढ़ापे के कारण वह बहुत कमजोर थे और घावों के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाये।

घायल व्यक्तियों की शीघ्र मरहम पट्टी की गई। जिन ४९ परिवारों को हानि हुई थी उनको शीघ्र निवास-स्थान दिये गये। १७ मन खाद्यान्नों को इकट्ठा करके वितरित किया गया। दो महीने की अवधि तक के लिये नकद दान भी दिये गये। शीत ऋतु से बचाव के लिये परिवारों को रजाइयां भी बांटी गईं। निकटस्थ गांवों से पहनने के कपड़े लेकर उनको दिये गये। बच्चों को दूध का पाउडर भी दिया गया। ५५० रुपये का नकद धन तथा चन्दा इकट्ठा करके श्री आचार्य के परिवार को दिया गया जिससे श्री आचार्य का दाह कर्म किया जा सके। आग से जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उन परिवारों के वयस्क पुरुषों को सरकारी निर्माण कार्य में नियुक्त करने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

आग को बुझाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई तथा सहायता कार्य किया गया। सहायता कार्यों के कारण अब सामान्य स्थिति पुनः स्थापित हो गई है।

त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में लागू नगरपालिका विधि का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में लागू नगरपालिका विधि का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री करमरकर** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर १५ फरवरी, १९६० को श्री विश्वनाथ रेड्डी द्वारा प्रस्तुत तथा श्री अन्सार हरवानी द्वारा अनुमोदित निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जिसे उन्होंने ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

माननीय प्रधान मंत्री

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: इस विषय पर सभा में एक पूरे हफ्ते तक बहस हो चुकी है । इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर कर चुके हैं; कुछ ने इसकी ताईद की है और कुछ ने मुखालिफ़त । करीब २४० संशोधन रखे गये हैं । बहुत सारी बातें उठाई गई हैं । उनमें से ज्यादातर वैदेशिक-कार्य से ताल्लुक रखती हैं, और वह भी वैदेशिक-कार्य के एक ही पहलू से ज्यादा––हमारी सीमा के मसले से, चीन के साथ हमारी सीमा के बारे में उठे मसले से । और, इस मसले का भी एक पहलू खास तौर से लिया गया है––मैंने प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई को जो पत्र भेजा है, यहां आने को जो दावत दी है, उस पहलू को इसीलिये मेरा ख्याल है कि इन संशोधनों में जितनी सारी बातें कही गई हैं, उन सब को न लेकर मैं उनमें से कुछ खास खास और अहम मसलों को ही लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

मैं मानता हूं कि कुछ और भी मसले बड़े अहम हैं, कुछ नजरियों से बड़े अहम हैं, लेकिन मेरे पास यहां इतना समय कहां कि मैं उन सभी के बारे में कुछ कह सकूं । यह मुमकिन नहीं । इसलिये मैं सब से पहले सीमा का सवाल, चीन की फ़ौजों का हमारी सीमा में अनधिकृत ढंग से घुस आने का और उसके सिलसिले में हमारे द्वारा अभी हाल में की गई कार्यवाही का सवाल लेता हूं ।

यहां यह बहस जिस तरह चली है, और इस सिलसिले में जो कुछ बयान दिये गये हैं उनसे इसी विषय के बारे में कुछ और भी बातें उठी हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने अपनी नीति बदल दी है, उलट दी है । सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया है कि सरकार ने और खास तौर से मैंने खुद, वैदेशिक-कार्य मंत्री की हैसियत से, संसद् के साथ, ज्यादती की है, हमने पूरी ईमानदारी से काम नहीं लिया, हमने घुटने टेक दिये हैं, हम बिल्कुल ज़मीन में उल्टे पड़ गये हैं और हमने कौम की, राष्ट्र की बेइज्जती को बरदाश्त कर लिया है । इतना तक कहा गया है कि इतिहास में ऐसी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी । हमारी ईमानदारी पर शक़ किया गया है । जाहिर है कि यह हमारी नीति की आलोचना भर नहीं, उससे कुछ ज्यादा है, काफी ज्यादा है । उसके बारे में कुछ और कहने से पहले में शुरू में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं । अगर सरकार पर यह जुर्म लगाया जाये कि वह राष्ट्र की बेइज्जती के सामने झुक गई है, उसने घुटने टेक दिये हैं, तो वह एक बहुत बड़ी बात है । तब यह निहायत जरूरी हो जाता है, कि उसके बारे में यह सभा और सारा देश पूरी तरह से स्पष्ट हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्र के अपमान, उसकी बेइज्जती के लिये थोड़ी सी भी जिम्मेदार सरकार को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं ! वह इसके काबिल नहीं । अगर कोई वैदेशिक-कार्य मंत्री या कोई प्रधान मंत्री अनजाने में ही कोई ऐसा काम करे जिससे देश का अपमान हो, उसकी बेइज्जती हुई हो, तो उसे अपनी कुर्सी छोड़कर अलग हो जाना चाहिये । इसलिये यह एक बहुत ही बड़ी और अहम बात है । इस बात का बहुत ही गहरा असर पड़ेगा कि इस सभा और पूरे देश की इसके बारे में, क्या राय है ।

आज सुबह के अखबारों में इसी सिलसिले में एक खबर छपी है । वैसे आम तौर पर मैं यह पसंद नहीं करता कि ठीक से पता लगाये बिना अखबारों की किसी खबर का हवाला दूं । लेकिन मैं आज जिस विषय पर बोल रहा हूं यह खबर उसी से ताल्लुक रखती है । इसीलिये मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं । विरोधी दल के एक बड़े ही सम्माननीय सदस्य, इस सभा के एक ऐसे सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू[

जिनकी हम सभी बड़ी इज्जत करते हैं, आचार्य कृपालनी ने कहा है कि "मौजूदा सरकार के नेताओं ने गद्दारी" की है भारत के साथ। अपने भाषण में, उन्होने यह भी कहा है कि "ऐसी हालत में हम कैसे कुछ कर सकते हैं जब कि हमारी इज्जत या प्रतिष्ठा कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुद प्रतिष्ठाहीन हैं?"

बात बिल्कुल दो-टूक है। उसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं। और अगर यह सच है, इसमें बाल बराबर भी कोई सच्चाई है, तो मुझे यहां इस सभा में खड़े होने का कोई हक़ नहीं। मुझे इस काम से छट्टी ले लेनी चाहिये और इस देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में दे देनी चाहिये जो ज्यादा इज्जतदार, ज्यादा प्रतिष्ठावान हैं। मैं जानता हूं कि मेरे इज्जतदार दोस्त, आचार्य कृपालानी कभी कभी शब्दों के साथ वह जाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पर बाद में उन्हें पछतावा होता है। कह नहीं सकता कि भावावेश में आकर उन्होंने ऐसा कहा या सोच-समझने के बाद ऐसा जुर्म लगाया है। अगर इसे भावावेश में आकर कहा गया भी मान लिया जाये तो भी उन जैसे से आदमी के मुह से निकलने पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। सरकार और यह सभा इनको सिर्फ़ भावावेश में कहे गये शब्द नहीं मान सकती। इस बात का जिक्र कर ने से मुझे दुख हो रहा है, इसलिये कि आचार्य जी हमारे एक बडे पुराने सहयोगी हैं। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि यह सभा महसूस करेगी कि राष्ट्र की बेइज्जती, उसके अपमान के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना, प्रतिष्ठाहीन उद्देश्य रखने वाला कहलाना कितने दुःख की बात है। अलग अलग लोगों की बात छोड़ दीजिमे, इस सभा में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अधिकांश जिन्दगी भारत की आजादी और उसकी इज्जत को ऊंची उठाने के काम में ही खपाई है और अब अगर उनकी जिन्दगी की ढलान में उनसे कहा जाय कि उन्होंने भारत की इज्जत के साथ गद्दारी की है, बेइज्जती के सामने घुटने टेक दिये हैं, तब वह संसद् में बहस करने की बात नहीं रह जाती, उसे लेकर संसद् में बहस नहीं की जा सकती। वह इससे कहीं बड़ी चीज़ हो जाती है, किसी और हलके की।

यह कुछ बेढंगी सी बात होगी कि मैं इस सभा में खड़े होकर अपने इरादों और अपने सम्मान, अपनी इज्जत के बारे में सफाई पेश करूं। भारत की सेवा में किसी न किसी रूप में ५० साल तक लगे रहने के बाद भी अगर मुझ पर ऐसा एक आरोप, एक ऐसा जुर्म लगाया जा सकता है, तो फिर ठीक है मैं अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। अगर कोई ठीक समझें तो उस पर यकीन करले।

कहा गया है कि मैंने संसद् के साथ ज्यादती की है। मैंने चाऊ एन० लाई को दी गई इस दावत के बारे में राज्य सभा को कुछ भी नहीं बताया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकारी नीति संबंधी एक वक्तव्य होता है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिये इस ढंग की बहसों में सम्मानीय राष्ट्रपति का नाम घसीटना ठीक नहीं है, बिलकुल गलत है। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई बात गलत है, या कोई ऐसी बात है जिस पर लोगों को एतरीज़ है, तो माननीय सदस्यों को सरकार की नुकताचीनी करनी चाहिये, सरकार की ही बुराई करनी चाहिये। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये। राष्ट्रपति की आलोचना तो नहीं की गई, लेकिन फिर भी उनका नाम बीच में लाया गया है और जैसे भी हो वह बहस की चीज़ बना है। यह ठीक नहीं है।

मैं आपको सिलसिलेवार कुछ तारीखें बताता हूं। इसलिये कि कुछ लोगों का शायद यह ख्याल था कि हम कुछ घटनाओं की तारीखों का सिलसिला गड़बड़ा कर पेश करते रहे हैं, और कभी राज्य-सभा में तो कभी अभिभाषण में तथ्यों पर पर्दा डालते रहे हैं। इतना तो आप खद समझ सकते हैं कि अगर मैं आज एक बात कहूं और उसके पाच छैः दिन बाद उसकी उल्टी ही बात कहने लगूं, तो वह एक हास्यास्पद चीज़ होगी। जान बूझ कर तो मैं वैसा नहीं कर सकता, हो, कभी कभी कुछ ग़लती जरूर कर सकता हूं। दो देशों के बीच चलने वाली बातचीत या पत्र व्यवहार के बारे में कुछ कायदे, कुछ नियम हैं, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके के मुताबिक मैं किसी भी सभा में यहां या राज्य सभा में, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी तब तक अपने पत्र का उल्लेख नहीं कर सकता था जब तक कि मेरा पत्र ठिकाने तक न पहुंच जाये, उस आदमी को न मिल जाये जिसके नाम वह भेजा गया है। इससे पहले मैं उस पत्र की बात किसी को बता ही नहीं सकता था, क्योंकि वह बड़ी ही ग़लत बात होती? कायदे के खिलाफ़ बात होती। मैंने भरसक कोशिश की थी कि मेरा पत्र थोड़ा पहले तैयार हो जाय और उनको मिल जाय, जिससे कि मैं संसद् में पहले ही दिन उन कागज़ात को पेश कर दूं। लेकिन जवाब भेजने में देरी हो गई थी। लाख कोशिश करने पर भी जल्दी नहीं की जा सकी। हमें उसे तैयार करने में जनवरी का लगभग पूरा महीना लग गया और तब कहीं जाकर इस महीने के शुरु में उस नोट को चीन सरकार के सामने पेश किया जा सका। जनवरी के पूरे महीने हमारे पास बहुत ज्यादा काम रहा, हमारे हाथ फंसे रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन भी उसी महीने में था, फिर गणतंत्र दिवस की धूमधाम आ गई और उसी बीच में हमारे देश में बाहर के बड़े-बड़े मेहमान आये। मार्शल वोरोशिलोव आये, नेपाल के प्रधान मंत्री आये, और कुछ दिन बाद ही श्री ख्रुश्चोव और फिर फिनलैण्ड के प्रधान मंत्री आये। इस तरह पूरे महीने भर काम का बड़ा दबाव रहा। मैं तो चाहता था कि यह मसविदा और पहले तैयार हो, लेकिन उसके पहले काफी छानबीन करने की जरूरत थी। मसविदा भी ऐसा तैयार करना था जिसको देखकर सिर्फ हमें ही अपनी बात ठीक जंचे, ऐसा न हो, बल्कि दूसरों को भी हमारी बात ठीक जंचे। दलीलों को इस ढंग से रखना था कि दूसरे भी उसे ठीक समझें, यहां तक कि चीन सरकार को भी वे जंच जायें, और हमें उम्मीद है कि जंचेगी। हमारी उस सब मेहनत का नतीजा ही था वह नोट। वैदेशिक-कार्य मंत्री की हैसियत से मुझे उस पर बार-बार गौर करना जरूरी था। उसके बाद ही, उस नोट को मंत्रि-मंडल की वैदेशिक-कार्य समिति के सामने रखा गया था। समिति ने भी उस पर कई बार गौर किया था। और तभी उसे आखिरी शक्ल दी गई थी। फिर सवाल यह उठा कि मैं क्या जवाब दूं क्योंकि नोट में प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के दावतनामे का जिक्र किया गया था। हमने उस पर काफी सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि उस नोट में इसका जिक्र न किया जाये, क्योंकि हमारे नजरिये से उसके लिये एक अलग से पत्र भेजना ही ठीक था। वह नोट ३१ जनवरी के आस पास तैयार हो चुका था और तय यह किया गया था कि मैं अपना पत्र भी उसी के साथ भेजूं, उसी वक्त पर भेजूं। मंत्रिमंडल की वैदेशिक-कार्य समिति ने उस पर विचार किया था। ठीक ठीक तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी कोई अहमीयत भी नहीं। तो दो तीन दिनों में सभी कागजात तैयार हो गये थे। मैंने ५ फरवरी को उस पत्र पर दस्तखत किये थे। दूसरे कागज़ पर हमारे राजदूत को दस्तखत करने थे, मुझे नहीं। तभी वह चीन सरकार को दिया जा सकता था। हम उस नोट और उस पत्र को तार से भी भेज सकते थे, लेकिन हमने यह ज्यादा अच्छा समझा कि हमारे राजदूत उसे खुद चीन ले जायें अपन साथ, और वहां चीन सरकार को दे दें। ५ फरवरी को वह हमारे राजदूत को दे दिया गया था। मेरी तरफ से काम खत्म था। फिर राजदूत शायद एक दो दिन के लिये मद्रास चले गये उसके बाद ही वह ९ फरवरी को दिल्ली से रवाना हुए और १२ फरवरी को वह नोट और मेरा पत्र दोनों पीकिंग में चीन सरकार को दे दिये गये थे। नोट में वही तारीख पड़ी है

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

जिस दिन वह चीन सरकार को दिया गया था, हालांकि दोनों साथ ही दिये गये थे। वैसे नोट मेरे पत्र से भी पहले का है। मेरे पत्र में भी नोट का जिक्र है। मेरे पत्र पर ५ फरवरी की तारीख है और नोट पर १२ फरवरी। इसलिये कि पत्र पर यहां ५ फरवरी को मैंने दस्तख़त किये थे।

कुछ लोग इसके बारे में भी बड़े-बड़े ख्याल दौड़ा रहे हैं और उनका ख्याल है कि इसमें कोई बड़ी गहरी बात है, दोनों की तारीखें इसलिये अलग अलग रखी गई हैं कि पत्र श्री ख्रुश्चोव के यहां आने से पहले का रहे या कुछ आगे पीछे तारीखें रखी जायें। ऐसे अन्दाज़ लगाये जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन मामलों में मैं इतना चालाक नहीं हूं। मुझे तो सिर्फ़ यही फ़िक्र थी कि वह सब काम संसद् की बैठक शुरू होने के पहले पूरा हो जाये, जिससे कि मैं उन कागजात को दोनों सभाओं में पेश कर सकूं। लेकिन उसे तार से न भेजने का फैसला करने की वजह से उसे वहां पहुंचने में कुछ दिन और ज्यादा लग गये थे। सभा की बैठक ८ फरवरी से शुरू हुई थी। और उसी दिन सुबह हमारे राजदूत को वह नोट दिया गया था। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे राजदूत ने चीन सरकार को वे कागज़ दे दिये हैं, हमने उनको यहां सभा के सामने पेश कर दिया। वैसे उस समय चीन के प्रधान मंत्री पीकिंग में नहीं थे, लेकिन उन कागज़ात को चीन के वैदेशिक-कार्य मंत्री को दे दिया गया था। इसलिये कि उसमें और ज्यादा वक्त न लगे।

इस सिलसिले में मैं एक बात और बता दूं। श्री ख्रुश्चोव यहां ११ फरवरी को आये थे और उन से मेरी बातें पहली बार १२ फरवरी को हुई थीं। इस नोट और मेरे पत्र के देने और लिखने से उस का कोई ताल्लुक ही नहीं। वे दोनों तो काफी पहले तैयार किये जा चुके थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे देश को संसार के कई बड़े-बड़े नेताओं का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रेसीडेंट आइजनहावर, श्री ख्रुश्चेव, मार्शल वोरोशिलोव, पड़ोसी नेपाल के प्रधान मंत्री और फिनलैण्ड के प्रधान मंत्री यहां आये हैं। इन को ले कर अखबारों में तरह-तरह की अटकलबाज़ियां की जा रही हैं कि मैं ने प्रेसीडेण्ट आइजनहावर से क्या बातें की और फिर ख्रुश्चेव से क्या कीं। यह ज़ाहिर है कि कि जो गोपनीय बातें हमारे बीच हुईं; मैं उन का यहां या कहीं और खुलासा तो नहीं कर सकता। अगर इस तरह उन का आम तौर पर खुलासा होने लगे तो इस तरह की बातचीत ही नहीं हो सकती। हां, लेकिन मैं सभा को बताता हूं कि उन से बातचीत करने के दौरान में मैं ने अपना क्या नजरिया रखा है। मैं उस बातचीत को तो नहीं बता सकता, अपना नजरिया जरूर बता सकता हूं।

उदाहरण के लिये, मैं ने प्रेसीडैण्ट आइजनहावर से कई घंटे बातचीत की थी, और कई सवालों पर की थी। बातें हमेशा दुनिया की हालत से, शिखर सम्मेलन, निःशस्त्रीकरण आदि से शुरू होती थीं और फिर दुनिया के कुछ अलग अलग क्षेत्रों के बारे में होती थीं। खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे और अमरीका के बीच ऐसा उलझा हुआ मसला नहीं था, जिस के बारे में बातचीत की जाये। सोवियत यूनियन के साथ भी यही बात थी। इसलिये हम लोगों ने बड़े-बड़े मसलों पर ही बातें की थीं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रेसीडेण्ट आइजनहावर जैसे ही यहां से गये, लोगों ने मुझ से पूछना शुरू किया कि मैं ने उन से पंचवर्षीय योजना के लिये मदद मांगी थी या नहीं। इस के बारे में तो दोनों देशों के प्रतिनिधि बात कर ही रहे हैं। इस में कोई छिपाने की बातें भी नहीं है। लेकिन मैं ने यह बड़ा ग़लत तरीका समझा कि मैं अपने मेहमान से अपने लिये कुछ करने के लिये कह कर उन को परेशानी में डालूं। मैं इन सवालों पर इस तरह नहीं सोचता। लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सही यह है कि हम लोगों ने

हालांकि सभी मामलों पर, पंचवर्षीय योजनाओं पर भी बातें की थीं, पर मैं ने कभी यह नहीं कहा कि वह आ कर हमारी यह या वह मदद करें किसी मामले में । उन को हमारी जरूरतें मालूम हैं । मेरे लिये यह ठीक नहीं था कि उस समय अपनी जरूरतों का खाता खोल कर बैठता । यह तो एक छोटी सी चीज़ है । मैं आम तौर पर अपनी मांगें पेश नहीं करता, खास तौर से अपने इतने बड़े-बड़े मेहमानों के आगे ।

श्री ख्रुश्चोव के साथ भी यही हुआ । कुल मिला कर हमारी बातचीत शायद पांच घंटे तक हुई और सभी तरह के विषयों पर हुई । आज कल हर बातचीत शिखर-सम्मेलन से ही शुरू होती है, और निःशस्त्रीकरण तथा दुनिया के मौजूदा तनाव को कम करने की सम्भावनाओं के बारे में चर्चा होती है । प्रेसीडेण्ट आइजनहावर और श्री ख्रुश्चोव दोनों ही के साथ अफ्रीका में होने वाली क्रान्तिकारी उथल-पुथल के बारे में भी बात हुई थी । मौजूदा जमाने की यह एक बड़ी अहम बात है । दुनिया के और दूसरे ऐसे मामलों मसलों पर भी बातें हुई थीं जिन का हम से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात पर उन का असर पड़ता है ।

लोगों का शायद यह ख्याल था कि मैं श्री ख्रुश्चोव के साथ चीन के अपने झगड़े के बारे में बहुत ज्यादा ब्यौरेवार बातें करूंगा और मैं उन से अपनी मदद करने की या चीन पर कोई दबाव डालने की अपील करूंगा । मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग ऐसी बातें किस तरह सोचते हैं । जो भी हो, मैं आप को बता दूं कि मैं इसे डिप्लोमेसी (राजनयन) नहीं मानता, न मैं अपने इतने बड़े मेहमान के साथ इस तरह का बर्ताव करना ठीक ही समझता हूं । वैसे सारी दुनिया के हालात पर बातें करने के दौरान में, मैं ने अपने देश की समस्याओं के बारे में भी कहा था, अपनी सीमान्त के झगड़ों का भी जिक्र किया था, लेकिन बहुत ही थोड़े में, शायद छः-सात जुमलों में ही । मैं ने उन से कहा था कि उन झगड़ों के बारे में हमारा नज़रिया यह है, और यह सब आप की जानकारी के लिये है । मैंने सोचा कि उस का बिलकुल जिक्र ही न करना भी ग़लत होगा । लेकिन मैं ने उन से यह नहीं कहा कि वह हमारे लिये कुछ करें, या किसी पर कोई दबाव डालें । वैसा कहना मेरा काम नहीं था । यह तो उन के अपने सोचने की बात है कि वह क्या ठीक समझते हैं और उसे किस ढंग से करना चाहते हैं । इस लिसलसिले में बस कुल इतनी ही बात हुई थी, चन्द मिनटों तक । इस से ज्यादा कुछ नहीं ।

इन बातचीतों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रेसीडेण्ट आइजनहावर और श्री ख्रुश्चोव——दोनों ही का रुख भारत के प्रति, हमारे देश की तरफ और हमारे उद्देश्यों की तरफ़ बड़ा ही दोस्ताना रहा । मुझे इस से ज्यादा कुछ चाहिये भी नहीं था । अगर हम लोग एक दूसरे से कुछ सवालों के साफ़-साफ़ जवाब मांगते, तो वह हम तीनों के लिये एक परेशानी और उलझन की बात होती । और वह तरीका भी ठीक नहीं है ।

यह सब बताने का मतलब यह है कि हम ने चीन सरकार को जो अपना जवाब भेजा है उस का श्री ख्रुश्चोव से कोई ताल्लुक नहीं । कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी आलोचनाओं के दौरान में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि चीन में हमारे राजनयिक प्रतिनिधि नाकामयाब रहे हैं और हमारा प्रतिरक्षा संगठन भी पिछले दस साल में ठीक नहीं रहा है । मैं चाहता हूं कि हमें अपने राजनयिक प्रतिनिधियों के बारे में ऐसी बहसों में इस ढंग की बातें नहीं कहनी चाहियें । वे अपनी सफाई में तो कुछ कह नहीं सकते और न ही सरकार ही पटल पर कुछ रख सकती है ; सरकार उन रिपोर्टों को तो पेश नहीं कर सकती जो उन्हों ने भेजी थीं । उन के बारे में इस तरह की बातें कहना एक बड़ी ज्यादती है । फिर भी, मैं आप को बता दूं कि एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राजनयिक संसार में हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों की, खास तौर से हमारे सीनियर राजनयिक प्रतिनिधियों

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

की, बड़ी प्रतिष्ठा है। राजनयिक प्रतिनिधियों में वे काफी अच्छे माने जाते हैं। हर देश में उन की इज्ज़त की जाती है, सिर्फ इसीलिये नहीं कि वे हमारे संदेश वहां ले जाते हैं, ---यह तो हर कोई कर सकता है,---बल्कि इसलिये कि वे बड़े काबिल लोग हैं ; वे अपने देश के नजरिये को तो समझते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों के नजरियों को भी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। उन लोगों ने देश की बड़ी सेवा की है।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हम ने हमेशा ही भारत और चीन के बीच के ताल्लुकात को बड़ी अहमियत दी है, और इसीलिये हम ने अपने सब से ज्यादा सीनियर लोग ही वहां प्रतिनिधि बना कर भेजे हैं। हमारे सब से काबिल प्रतिनिधि ही वहां भेजे गये हैं। चीन में जिस वक्त इन्कलाब हुआ था और उस की कामयाबी के बाद यह नयी सरकार बनी थी, उस वक्त चीन में हमारे जो प्रतिनिधि थे वह आज संसद् के सदस्य हैं। उन से पहले और उन के बाद भी, हम ने अपने सब से सीनियर, काबिल और अनुभवी लोग ही वहां भेजे हैं। हम उन के बड़े आभारी हैं कि उन्हों ने इतने मुश्किल जमाने में बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

और, जहां तक प्रतिरक्षा की बात है, वह एक काफी बड़ा सवाल है। लेकिन पिछले इन दस सालों में प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी, जो कुछ भी हुआ है, उस में बहुत ही कम या कहना चाहिये बिल्कुल ही नहीं रही है। जिन बुनियादी नीतियों पर हम ने अमल किया है, वे सरकार की ही जिम्मेदारियां हैं और पूरी सरकार की भी नहीं वह जिम्मेदारी खास तौर से वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री की हैं। आप चाहें तो मंत्रिमंडल की वैदेशिक कार्य समिति को उस के लिये जिम्मेदार कह सकते हैं। ऐसी हालत में बुनियादी नीति को ले कर वैदेशिक-कार्य मंत्री की आलोचना करना तो ठीक है, पर दूसरों को भी उस में लपेटना उन के साथ ज्यादती करना होगा, क्योंकि नीति बनाने में उनका कोई हाथ ही नहीं रहा।

एक और बात है जिस से मुझे ताज्जुब हुआ है। वह यह कि इस लम्बी बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने कई-कई बार उस निमंत्रण का, दावतनामे का जिक्र किया है जो मैं ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को भेजा है। शायद किसी भी माननीय सदस्य ने उस लम्बे नोट का जिक्र तक नहीं किया जो उस दावतनामे के साथ भेजा गया है। नोट पर १२ फरवरी की तारीख पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे राजदूत ने उस पर उसी दिन दस्तखत किये थे। इस पूरे मामले के बारे में भारत सरकार की नीति तो उसी नोट में दी गई है, मेरे पत्र में नहीं। उस लम्बे नोट को तैयार करने में कई हफ्ते लगे थे, उस के बारे में बड़ी गहराई से सोच-विचार किया गया था, और उस का मसविदा कई बार काट छांट कर लिखा गया था। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने उस का ज़िक्र तक नहीं किया। लोगों ने नीति बदलने की बात कही है, राष्ट्र की बेइज्ज़ती वगैरह का हवाला दिया है। लेकिन जिस नोट में हम ने अपनी नीति रखी है, उस का किसी ने जिक्र भी नहीं किया। हम ने उस का मसविदा बड़ी सावधानी से तैयार किया था, पर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने बस इसी बात को बार-बार उठाया है कि हम ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को दावत दी है। यह बड़ा अजीब सा लगता है। नोट का किसी ने जिक्र तक नहीं . . . .

† **डा० सुशीला नायर** (झांसी) : विरोधी दल ने जिक्र नहीं किया लेकिन हम ने तो किया था।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : श्री मसानी तक ने उस का उल्लेख किया था और तारीफ़ की थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : सामान्यतया उस का उल्लेख किया गया था । उस नोट से कोई भी असहमत नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अपनी ग़लती मानता हूं । मेरे कहने का मंशा यह है कि हमारी नीति का खुलासा तो उसी नोट में किया गया था । मैं ने उन को जो दावत दी है उस पर भी आप चाहें तो ऐतराज कर सकते हैं । यह तो अपनी-अपनी राय की बात है । लेकिन उस का हमारी नीति से कोई ताल्लुक नहीं । लोगों ने बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं, बड़ी-बड़ी बातें उस के बारे में कही हैं । कहा है कि हम ने अपनी पूरी नीति ही बदल दी है । श्री मसानी, श्री अशोक मेहता और आचार्य कृपालानी के भाषण देखिये । मैं मानता हूं कि लोगों को अपनी राय जाहिर करनी चाहिये कि वे नोट में उल्लिखित हमारी नीति से सहमत हैं या नहीं । ठीक है, यह तो कहा ही जाना चाहिये । हो सकता है कि कुछ लोगों की राय में मेरी तरफ से प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को दावत देना गलत हो । आप उस की आलोचना जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई वह हमारी नीति की बात तो है नहीं । इन दोनों चीजों में कुछ फ़र्क किया जाना चाहिये । दोनों अलग-अलग चीजें हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं अपनी बात से टल गया हूं और जो कुछ मैं ने कहा था, मैं उस पर नहीं चल रहा हूं । वैसे मैं सभा का वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं समझता । और मैं नहीं चाहता कि बार-बार बताता फिरूं कि मैं ने पहले क्या-क्या कहा था और क्या मेरे लफ्ज़ थे । लेकिन चूंकि यह बात बार-बार कही गई है, इसलिये और कोई चारा भी नहीं है । मैंने हमेशा एक मोटे तौर पर यही कहा है कि मैं प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाइ से ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति से हमेशा मिलने और बात करने के लिये तैयार हूं, हां इतना जरूर है कि मिलने के लिये सहूलियत वगैरह का ख्याल रखा जाना चाहिये । मैं कभी भी अपनी तरफ से 'नहीं' नहीं कहूंगा । यह दूसरी बात है कभी किसी से मिलना ज्यादा अच्छा हो सकता है और कभी कुछ कम । लेकिन मैं कभी भी मिलने से इन्कार नहीं करूंगा ; इसलिये कि मुझे शुरू से यही सिखाया गया है ।

अपनी नीति पर मजबूती से चलना एक बात है, और अपने विरोधी या अपने दुश्मन से बात तक करने से इन्कार करना दूसरी बात है । मैंने इन दोनों में हमेशा फर्क किया है । अगर मुझे अपने-आप पर, अपनी जनता और अपनी नीति पर भरोसा है, यकीन है, तो मैं किसी के भी साथ उसके बारे में बात कर सकता हूं । बात करने से इन्कार वही लोग करते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता । राजनीति में पसंद और नापसंदगी नहीं चलती । ऐसी बातें नहीं की जाती कि अगर आपको किसी की सूरत पसंद नहीं तो आप उससे बात ही नहीं करेंगे । राजनीति में बड़े-बड़े देशों के मसले उठते हैं । अगर एक किसी देश का किसी दूसरे देश से झगड़ा हो जाये या उसकी नौबत आ जाये तो किसी देश की बुराई करते फिरने से कोई फायदा नहीं होगा । कभी भी किसी एक देश या उस देश की जनता की बुराई नहीं करनी चाहिये । मैं एक सिद्धान्त रख रहा हूं । हो सकता है कि कभी किसी नीति में गलती के कारण कोई सरकार उसका विरोध करे, लेकिन हमें उस हालत में भी उस पूरे देश की जनता को बुरा-भला नहीं कहना चाहिये । मैंने यही एक बुनियादी चीज सीखी है । विरोधी दलों के लोगों ने शायद किया हो, लेकिन हमने अपनी आजादी की लड़ाई में कभी भी इंगलैंड की जनता की बुराई नहीं की । हम उनसे लड़े, जरूर लड़े, लेकिन कभी उनको बुरा भला नहीं कहा और ठीक वक्त आने पर उनको अपना दोस्त भी बना लिया ।

मैंने अपने सामने हमेशा यही सिद्धान्त रखा है । खास तौर से भारत और चीन के इस मामले में मैंने इसी को सामने रखा है । भारत और चीन दोनों ही एशिया के बहुत बड़े-बड़े देश हैं, और दोनों देशों का यह जबरदस्त विवाद बड़ी अहमियत रखता है और हो सकता है यह कुछ हफ्तों या महीनों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं, बल्कि बरसों और शायद कई पीढ़ियों तक चले। इसलिये कि न तो चीन हमें इतनी आसानी से दबा सकता है और न हम चीन को। बात बिलकुल साफ़ है। ऐसी हालत में हमें सोच-विचार कर ही चलना पड़ेगा। बिना समझे गरमी या गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें जो भी करना है वह दूरन्देशी से करना है, बहुत दूर तक सोच लेना है कि हम अपने देश की इज्जत उसकी गरिमा और उसकी प्रादेशिक अखंडता की हिफाजत किस ढंग से करें और साथ ही इस झगड़े से बाहर निकालने का दरवाजा भी हमेशा खुला रखें। यह भी हो सकता है कि आप दरवाजा खुला रखें, लेकिन उसमें होकर निकलने का, झगड़े के निबटारे का, मौका कई साल बाद हाथ लगे। फिर भी दरवाजा खुला तो रखना चाहिये। मैंने इतिहास से और अपने निजी अनुभव से यही सबक सीखा है।

मैं संसार के कई बड़े-बड़े राजनीतिक और दूसरे नेताओं से मिला हूं। मैंने उनसे सीखने की कोशिश की है। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी किताबें भी पढ़ी हैं। पिछले पचास साल में मैंने कई ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं। भारत की आजादी के महान नाटक में यहां मौजूद कई सदस्यों ने और मैंने भी एक बड़ी हद तक अभिनेता की हैसियत से भाग लिया है। इसलिये अपने इस सारे अनुभव से सीख लेकर ही हमें अपने मसलों को हल करने के लिये कार्यवाही करनी है। यह सही है कि हमें इससे पहले इतने बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ा था। आज एशिया और संसार के दो इतने बड़े-बड़े देश एक-दूसरे के सामने गुस्से से भरे हुए आ टटे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? भविष्य की बात बताई नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ यह जानता हूं कि जब ऐसी कोई चीज होती है, तो एक राष्ट्र को अपनी पूरी अक्ल, अपनी पूरी ताकत और पूरे धैर्य व प्रयत्न से उसका सामना करना होता है। यही मैंने कहा है कि हमें अपनी पूरी अक्ल से, पूरी बुद्धिमानी से, और साथ ही धीरज और सूझ बूझ के साथ काम करना चाहिये।

मैंने इस मामले के बारे में पहले क्या कहा था? माननीय सदस्यों ने मेरे पिछले वक्तव्यों का हवाला देते हुए कहा है कि मैंने कहा था कि मैं मिलने के लिये उसी हालत में तैयार हूं जब उसका कोई नतीजा निकलने की उम्मीद हो। लेकिन उसमें भी मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। ५ नवम्बर को, मैंने कहा था।

> "जहां तक मिलने का सवाल है, आम तौर पर मेरा, हमारा नजरिया, मैं जिस गांधीवाद की परम्पराओं में पला-पोसा हूं, उसका नजरिया यही है कि मिलने के लिये हमेशा तैयार रहो, बातचीत करने के लिये तैयार रहो, सख्त अल्फाज़ से बचो, लेकिन बड़ी कार्यवाही करने के लिये जहां तक भी बन सके, तैयार रहो, और गरमी दिखाने तथा डरने से बिलकुल दूर रहो।"

मैं विरोधी दलों के कुछ सदस्यों का ध्यान इसकी ओर खींचना चाहता हूं।

फिर मैंने १६ नवम्बर को प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को लिखा था :

> "मैं आपके साथ मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच के मतभेदों के बारे में बातचीत करने और दोस्ताना तौर पर उनका हल निकालने की कोशिश करने के लिये हमेशा तैयार हूं . . . . इसलिये यह बड़ा जरूरी है कि कुछ शुरूआती कदम उठाये जायें और हमारी बातचीत के लिये एक बुनियाद तैयार की जाये।"

और १६ नवम्बर को ही, मैंने लोक-सभा में कहा था :

"प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने अपने पत्र में यह भी सुझाया है कि दोनों प्रधान मंत्रियों को दोनों देशों की सीमा के सवाल और अन्य सवालों पर बातचीत करने के लिये जल्दी ही मिलना चाहिये। हर विवादग्रस्त मामले पर बातचीत करने के लिये मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन ऐसी मुलाकात का कुछ अच्छा नतीजा तभी निकल सकेगा जबकि हम पहले एक अन्तरिम समझौता करने के लिये कोशिश करना शुरू कर दें।"

आप देखिये कि मैंने कभी यह नहीं कहा है कि मैं नहीं मिलूंगा। यह परिस्थितियों पर होता है कि मुलाकात हो या न हो।

मैंने २७ नवम्बर को लोक-सभा में कहा था :

"यही सही है कि हम सभी बहुत चाहते हैं कि मुलाकात हो, लेकिन अगर यह मुलाकात ठीक हालत में, उचित वातावरण में न हो, उसके लिये तैयारी न की जाये, उसकी कुछ बुनियाद न बनाई जाये, तो सिर्फ मुलाकात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वह नाकामयाब भी रह सकती है ; उससे नुक़सान भी पहुंच सकता है। यह तो अपनी सही या गलत समझ पर होता है। यह सही है कि अगर ऐसी मुलाकात में एक थोड़ी सी झलक भी इस बात की आ जाये कि एक पक्ष ने मिलने के लिये कहा है, इसलिये उसकी बात की खानापूरी की जा रही है, तो वह बिलकुल बेमतलब सी मुलाकात होगी। मैं मुलाकात को टालना या उसमें देर करना नहीं चाहता। मैं उसे टालने या उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ; लेकिन उसकी कुछ तैयारी तो की जानी चाहिये, उसके लिये जमीन तो तैयार की जानी चाहिये।"

मैंने २२ दिसम्बर को राज्य सभा में कहा था :

"उस पूरे पत्र (प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के पत्र) में जो एक बात उभर कर ऊपर आती है वह है--मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो मौका मिलने पर--जब भी मौका मिलेगा और सहूलियत होगी--उसका जरूर फायदा उठाऊंगा। इस लिये कि दोनों देशों के बीच के ये मसले इतने ज्यादा गम्भीर हैं कि दूसरा कोई रास्ता अपनाने की बात सोचना भी खतरनाक़ लगता है।"

मैंने प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के नाम अपने जवाब में २१ दिसम्बर को कहा था :

"मैं आपके साथ मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच के मत भेदों के बारे में बात करने और निबटारे की गुंजाइश निकालने की कोशिश करने के लिये हमेशा तैयार हूँ। लेकिन प्रधान मंत्री जी, जब तथ्यों के बारे में हमारे बीच इतना गहरा मत भेद है तब हम सिद्धान्तों के बारे में एक-दूसरे से सहमत कैसे हो सकेंगे ? इसी लिये मैं यह अच्छा समझता हूँ कि मैं आपके उस जवाब का इंतजार करूं जो आपने मेरे २६ सितम्बर के पत्र और ४ नवम्बर के नोट के जवाब में भेजने का वायदा किया है। उसके बाद ही हम अगले कदम के बारे में सोचें। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में रंगून या किसी भी दूसरी जगह जाना मेरे लिये नितांत असम्भव है।"

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसके बाद ८ जनवरी के एक संवाददाता सम्मेलन में मुझ से पूछा गया था :

"क्या निकट भविष्य में चाऊ-एन-लाई से मिलने की आपकी कोई योजना है ?"

मेरा जवाब था :

"अभी इस समय तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन मैं उसे नामुमकिन भी नहीं मानता। वह असल में हालात पर निर्भर है, क्योंकि मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं और मुझे उम्मीद भी है, कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे समझौते के दरवाजें बन्द हो जायें। मैं उसे बिलकुल ही नामुमकिन नहीं मानता, लेकिन अभी इस समय ऐसी कोई बात नहीं है।"

मेरा मतलब है मुलाकात। उसके बाद मुझ से पूछा गया था मुलाकात की शर्तों के बारे में। मैंने जवाब में कहा था :

"मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा कि मैं कुछ शर्तें रखूं। यह कहूं कि मुलाकात तभी होगी जब ये-ये शर्तें पूरी कर दी जायेंगी। अगर दो देश इस तरह की शर्तें लगाने लगें, ऐसा अड़ियल रुख अपनाने लगें एक-दूसरे के लिये, तो फिर किसी मामले पर बैठकर बातचीत करना ही मुश्किल हो जायेगा। ऐसे मामले से सभी तरह की बातें जुड़ी रहती हैं। दूसरी बातों के अलावा, राष्ट्र की इज्जत का सवाल भी इससे जुड़ा रहता है।"

फिर, एक सीधा सवाल था :

"क्या इसका मतलब यह है कि आप श्री चाऊ-एन-लाई से बिना किसी शर्त के मिलने के लिये तैयार हैं ?"

मेरा जवाब था :

"इसका सबसे पहला मतलब यह है कि मैं दुनिया के हर इंसान से मिलने के लिये तैयार हूं। मैं किसी से भी मिलने से इंकार नहीं करता। यह हुआ नम्बर एक। दूसरा यह कि कोई भी इंसान तभी किसी दूसरे से मिलना चाहता है जबकि वह समझता है कि मुलाकात का कुछ नतीजा, अच्छा नतीजा निकलेगा। बुरे नतीजे के लिये कोई क्यों मिलेगा ? मुलाकात करने से पहले इन दोनों खास चीज़ों पर गौर करना पड़ता है। कोई भी सिर्फ़ इसलिये किसी दूसरे से मिलने नहीं दौड़ता कि उनकी मुलाकात की बड़ी चर्चा चल रही है। यह भी तो हो सकता है कि मुलाकात का वह वक्त गलत हो, या यह कि उसका मतलब ग़लत समझा जाये, और फिर उसका नतीजा अच्छे के बजाये बुरा निकल सकता है। लेकिन अगर मुलाकात से कोई अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद हो, तो उसके लिये तैयार रहना चाहिये।

इसीलिये मेरे लिये यह बताना तो मुश्किल है कि यह मुलाकात ठीक-ठीक कब, कहां और किन हालात में हो सकती है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मैं उसे नामुमकिन नहीं मानता।"

मैंने लोक सभा, राज्यसभा और सम्वाददाता सम्मेलन में जो-जो कहा था, वह आपके सामने है। आप खुद देख सकते हैं कि शुरू से मेरा एक ही ख्याल रहा है—कि मिलने से कभी इन्कार न करो और कोशिश करो कि मुलाकात अच्छे से अच्छे हालात में, जितना भी मुमकिन हो सके उतने

अच्छे हालात में हो, और साथ ही बीच-बीच में यह भी सोचते रहो कि मुलाकात कब कुछ ज्यादा अच्छी रहेगी और कब उससे कुछ कम अच्छी होगी।

प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई ने जब मुझे एक दो हफ्तों के अन्दर रंगून में मिलने की दावत दी थी,तब कई वजूहात से, तरह-तरह की बातों की वजह से, मुझे वह चीज पसन्द नहीं आई थी। वैसे अगर पसन्द भी आती, तो उन दिनों काम इतना ज्यादा और जरूरी था कि उसे छोड़ कर रंगून नहीं जा सकता था। बात मेरी समझ में ही नहीं आई थी कि मैं उनसे मुलाकात करने रंगून या किसी दूसरी जगह पर क्यों जाऊं। मुझे वह तरीका पसन्द नहीं आया कि "अगले हफ्ते मिलो!" और फिर उस मुलाकात की दावत एक ऐसे दस्तावेज के जरिये दी गई थी, जिसमें चीन सरकार का नजरिया पेश किया गया था, और जिसमें कुछ उसूल, कुछ सिद्धान्त वगैरह तय करने की बात थी जिनको बिना पर हम बातचीत करने के लिये मिलें। अगर मैं वह दावतनामा मान लेता तो हमारी मुलाकात को पृष्ठभूमि चीन का पत्र ही होती, हम उसी को बिना पर तो मिलते। हालांकि यह सही है कि उसका मतलब यह नहीं होता कि मैंने उनकी कोई बात मंजूर कर ली है, फिर भी बिना तो उसी दस्तावेज की रहती। मुझे उसकी बिना पर मिलना पसन्द नहीं था। मैं उस बात को सफाई कर देना चाहता था। मैं उस दस्तावेज के साथ उनसे नहीं मिलना चाहता था। मैंने तब तक इन्तजार करना ज्यादा अच्छा समझा जब तक कि मेरे २४ सितम्बर के पत्र के जवाब में चीन का और लम्बा जवाब आ जाये। इसीलिये मैंने तब कहा था कि "मैं इस सवाल पर बाद में गौर करूंगा।" यही वजह है कि जब चीन की तरफ से जवाब आ गया और कुछ दूसरे दस्तावेज भी आ गये और हमने उन पर गौर करने के बाद उनका एक जवाब तैयार कर लिया, तो मुझे, और मन्त्रिमण्डल समिति के मेरे सहयोगियों को भी, यही ठीक जंचा कि अब उसके जवाब में यही ज्यादा अच्छा होगा कि अब प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई को भारत में मुझ से मिलने की दावत दी जाये। मैंने अपने पत्र में कोई शर्तें नहीं रखीं। अगर वह मिलने आते हैं तो उसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि उन्होंने हमारी कोई बात मान ली है, मंजूर कर ली है। वैसे उनके दावतनामे पर भी यही बात लागू होती थी; लेकिन फिर भी एक फर्क था उसमें। यह फर्क भी काफी बड़ा है कि "इस पत्र के बाद हम मिलें"। इसकी बिना पर मिलने में काफी फ़र्क़ हो जाता।

†**श्री हेम बरूआ** : विरोधी दल के सदस्यों ने सिर्फ यही कहा है कि जब तक तथ्यों के सम्बन्ध में बीच का मतभेद दूर नहीं कर लिया जाता तब तक सिद्धान्तों पर बातचीत करने के लिये मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। हमने प्रधान मन्त्री को मिलने से नहीं रोका। तथ्यों के बारे में क्या मतभेद हैं? हम यही जानना चाहते थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अफसोस की बात है कि माननीय सदस्य ने मेरी इन बातों को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा। मेरी यही मुश्किल है। मैं कोई बात लगी-लिपटी नहीं रखना चाहता। आप से साफ़ कह रहा हूं। मेरी मुश्किल यह है कि कुछ ऐसे निहित स्वार्थ हैं, कुछ ऐसे हित हैं जो भारत और चीन के बीच कोई भी समझौता नहीं होने देना चाहते। (**अन्तर्बाधा**)

निहित स्वार्थ से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सोचने का तरीका, जिनका नजरिया, जिनका दिमागी ढांचा ही कुछ ऐसा है कि वे भारत और चीन के बीच समझौता होना ग़लत समझते हैं। मेरा मतलब वैसे निहित स्वार्थ से नहीं .....

†**श्री हेम बरूआ** : प्रधान मन्त्री ने हमारे प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमन्, क्या मुझे राष्ट्र की बेइज्जती और अनुचित व्यवहार वग़ैरा के आरोपों को सिर झुका कर सुनते रहना चाहिये? (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्या विरोधी दल का यह ख्याल है कि मैं उनके इस आरोप को चुपचाप सुनता रहूं कि मैंने राष्ट्र की बेइज्जती कराई है ? मैं ग़द्दार होने की बजाय, कम अक्ल होना ज्यादा पसन्द करूंगा। मैं इतना सुनने के बाद भी सभा में कोई तेजी नहीं दिखा रहा हूं। यह सिर्फ इसीलिये कि इस सभा की, इस सभा की परम्पराओं की इज्जत करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। सभा में जिस तरह की चीज़ें कही गई हैं, सिर्फ़ विरोधी दल ही नहीं, इस तरफ के लोगों ने भी जिस तरह की कुछ बातें कही हैं, मुझे उन पर गुस्सा आता है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : आप की देशभक्ति पर हमें शक नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने किसी भी माननीय सदस्य को भाषण के बीच में उनको नहीं टोका, रुकावट नहीं डाली। फिर वे मेरी बात खामोशी से क्यों नहीं सुनते ? (**अन्तर्बाधा**) . . . . . क्या इस तरह रुकावट डालने की उनको अनुमति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। बिल्कुल नहीं। किसी भी तरफ से दूसरे की ईमानदारी पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : देश के साथ ग़द्दारी करने का जुर्म क्या आक्षेप नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहियें। न तो विरोधी दल के सदस्यों को ऐसे आरोप लगाने चाहियें कि माननीय मन्त्री ने देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, और न इस तरफ से यह कहा जाना आवश्यक है कि दूसरों का कुछ निहित स्वार्थ है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बात साफ कर दूं। मैं विरोधी दल के सभी सदस्यों की बात नहीं कहता, लेकिन हां, यहां कुछ सदस्य ऐसे जरूर हैं जो 'कोल्ड वार' (शीत युद्ध) के रुख को ही बनाये रखना चाहते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। उसी को मैंने निहित स्वार्थ, कहा था। उदाहरण के लिये, श्री मसानी का यही नज़रिया है। मेरा ख्याल है कि मेरे और श्री मसानी के नजरियों में कोई भी बात मिलती-जुलती नहीं है। हम दोनों के नज़रिये एक-दूसरे से कोसों दूर हैं, हमारे सोचने के तरीके एकदम अलग-अलग हैं। श्री मसानी यह बिल्कुल नापसन्द करते हैं कि कोई भी देश आज के तनाव को कम करने के लिये कुछ भी करे। भारत भी कोई ऐसी कार्यवाही करे यह उन्हें पसन्द नहीं। आप खुद देखिये कि इसमें और मेरे नज़रिये में जमीन आसमान का फ़र्क़ है, एक बुनियादी फ़र्क़ है। यहां सवाल जायदाद या रुपये पैसे के निहित स्वार्थ का नहीं है। यहां सवाल यह है कि उन्होंने अपने आपको दिमागी तौर पर कुछ ऐसी विचारधाराओं से बांध लिया है। मिसाल के तौर पर, कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक निहित स्वार्थ है। वे राष्ट्रीय आन्दोलन को, राष्ट्र की भावनाओं को, राष्ट्र की जनता के उभार को बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। (**अन्तर्बाधा**) इन दो मिसालों से साफ़ हो जायेगा कि निहित स्वार्थ से मेरा अपना मतलब क्या था। शीत युद्ध का रवैया तो एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं आज ही नहीं बल्कि हमेशा ही ग़लत समझता रहा हूं।

मैं एक आम बात कह रहा हूं, कि शीत युद्ध का नज़रिया हर हालत हर सूरत में बिल्कुल ग़लत है। शीत युद्ध से बचने का मतलब यह नहीं कभी होता कि हम दुश्मन या अपने विरोधी के सामने कमजोरी दिखाते हैं। शीत युद्ध के बारे में यह नजरिया रखना मैंने और शायद अन्य लोगों ने, गांधीजी से सीखा है। मैंने उनसे जो बहुत सी बातें सीखी हैं, यह भी उनमें से एक है। मैं यह दावा नहीं करता मैं उनकी इस सीख पर हमेशा ही अमल करता रहा हूं। मैं भी कभी-कभी गरम हो उठता हूं। इसी तरह के कई काम कर बैठता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन मेरा यकीन है कि व्यक्तियों, समूहों या दूसरे राष्ट्रों के साथ बर्ताव करने के लिये यही नज़रिया सब से ठीक है। सब से ज्यादा सही है। और खास तौर पर बड़े-बड़े राष्ट्रों के झगड़ों में तो यह नज़रिया और भी महत्व रखता है। मौजूदा दुनिया और उसकी समस्याओं के सिलसिले में तो इस विषय में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। हर जिम्मेदार आदमी को यह महसूस कर लेना चाहिये कि तनाव बढ़ाने, आपसी बैर और नफ़रत बढ़ाने वाला नज़रिया एक बुरा नज़रिया है। इस नजरिये का नतीजा यह भी हो सकता है कि आखिर में सारी दुनिया ही तबाह हो जाये। इसीलिये मैंने इस नज़रिये को ग़लत कहा है। यह एक ऐसा नज़रिया है जो बुनियादी तौर से ग़लत है क्योंकि उसकी बुनियाद हिंसा और नफ़रत पर रखी होती है, वह दुनिया को आगे बढ़ने से रोकता है, रोड़ा बन जाता है। मुखालिफ लोगों की ग़लती को देख कर नफ़रत पैदा हो सकती है। ठीक है। लेकिन फिर भी यह नज़रिया एक ग़लत नज़रिया है।

और, दूसरी बात यह कि वह नज़रिया ग़लत तो होता ही है, साथ ही वह नज़रिया हमें हालात की तबदीलियों को समझने नहीं देता। हमारे ख्यालात एक सतह पर जम जाते हैं पांच-दस साल पहले जहां जमे थे वही बने रहते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के हालात बदलते चले जाते हैं, लेकिन हम नये हालात को भी अपने पुराने चश्मे से ही देखते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर सभा इन सीमान्त के मसलों के बारे में चीन को भेजे गये हमारे नोट को मंजूर करती है, उसका अनुमोदन करती है, तो वह हमारी नीति का समर्थन कर रही है। उस नोट में हमारी नीति ही रखी गई है। मैं समझता हूं कि उसे मंजूर किया गया है। मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसका अनुमोदन कर रहे हैं या नहीं। इसलिये कि उनका नज़रिया कुछ दूसरा है।

कम्युनिस्ट पार्टी इस बात का बड़ा ढोल पीटती रही है कि दोनों प्रधान मंत्रियों को मिलना चाहिये। जहां तक मेरी बात है, मैं तो समझता हूं कि हमारी मुलाकात के रास्ते में अगर कोई रोड़ा है तो वह कम्युनिस्टों का यह ढोल पीटना ही है। इसलिये कि वे जिस उद्देश्य से ऐसा ढोल पीट रहे हैं वह मेरे अपने उद्देश्य से बिल्कुल जुदा है। मैं किसी की शान के खिलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं कहूंगा कि कम्युनिस्ट लोग ऐसा ढोल इसीलिये पीट रहे हैं, इतनी जोर-जोर से इसीलिये पीट रहे हैं कि आम लोग उनकी असली राय और उनकी दिली भावनायें न जान पायें, उन पर पर्दा पड़ा रहे। एक बार जब वे चीख-चीख कर कहते हैं कि "प्रधान मंत्रियों को मिलना चाहिये।" तब फिर उन्हें इस मसले के दूसरे पहलुओं के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन मैं इस आधार पर नहीं चल रहा मुझे तो अपनी बात समझानी है।

कह नहीं सकता कि यह मुलाकात होगी भी या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हो। फिर भी मेरा यही ख्याल है और मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों का भी यही ख्याल है कि उनको दावतनामा भेजना चाहिये था। हमने इसके परिणामों पर काफ़ी बारीकी से सोच समझ लिया है। और जब इतने सोचने-समझने के बाद हमने दावतनामा भेजा, तो कुछ लोग चौंकते हैं "क्या आप कहते हैं कि वह हमारे सम्माननीय अतिथि होंगे।" मैं पूछना चाहता हूं: "और नहीं तो क्या होंगे"? हम जब किसी को अपने देश में आने की दावत देते हैं, तो फिर उनके साथ और कैसा बर्ताव कर सकते हैं? इसमें भी वही शीत-युद्ध का नज़रिया आ जाता है वही नफ़रत की जहनियत। बिना सोचे-समझे, भौंडे और बेतुके ढंग से लोग ऐसी-ऐसी बातें कह गये हैं जिनसे दूसरों की नज़रों में हमारे देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। अगर किन्हीं बड़े-बड़े राष्ट्रों के साथ हमारा कुछ झगड़ा आ पड़ा हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि लोग उन राष्ट्रों के नेताओं के बारे में मनमाने ढंग से ऐसी भौंडी और बेतुकी बातें कहें। इससे हमारे देश का माथा ऊंचा नहीं होता।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने अभी-अभी कहा था कि हमें कभी भी पूरी जनता की बुराई नहीं करनी चाहिये। इसी तरह हमें जनता के नेताओं के खिलाफ़ भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। वे अपनी जनता के प्रतिनिधि हैं। वे जनता की नुमाइंदगी करते हैं। जाती तौर पर मेरी भी कई खामियां हो सकती हैं। उनके लिये आप मेरी बुराई कर सकते हैं; आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी, किसी दूसरे देश का कोई आदमी मेरी बेइज्जती करे, भारत के प्रधान मंत्री की बेइज्जती करे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी उस पर नाराजगी जाहिर करेंगे, वे लोग भी जो मुझ से कोई खास उन्सियत नहीं रखते। यह सिर्फ इसीलिये कि उस हालत में मैं इस संसद् का प्रतीक बन जाता हूं। इसी तरह दूसरे देशों के नेता भी अपने देश के प्रतीक हैं, निशान हैं अपनी जनता के। इसलिये हमें उनकी शान में ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे कि उन देशों की जनता में गुस्सा पैदा हो और वह हमारी बात तक सुनने के लिये तैयार न हो। हां, हम दूसरे राष्ट्रों की सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, उनकी मुखालफ़त कर सकते हैं।

शायद श्री मसानी ने और कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, बर्मा, लंका, इण्डोनेशिया और भारत को मिलाकर एक गुट बनाना चाहिये। पता नहीं इसकी जड़ में तीसरी ताकत वाला पुराना ख्याल ही है, या नहीं। शायद नहीं है। खैर जो भी हो। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर गौर करे कि ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। बेमतलब सी बात है। सबसे पहले तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इन देशों—नेपाल, बर्मा, इण्डोनेशिया, लंका, वग़ैरह—के साथ हमारे बहुत नजदीकी दोस्ताना ढंग के ताल्लुक़ात हैं। लेकिन इस तरीके से दूसरे देशों का जिक्र करने से, उन देशों को खुशी नहीं होती। वे समझते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ के लिये मजबूर कर रहे हैं। ऐसा जिक्र उनको बड़ा नापसंद होता है। वे आजाद देश हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं और उनके हित भी हमसे काफी मिलते-जुलते हैं। लेकिन जैसे ही उनको यह महसूस होता है कि उन पर कुछ दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उनसे इसलिये मदद चाही जा रही है कि हम मुसीबत में हैं, वैसे ही वे समझते हैं कि उनको जबरन हांकने की कोशिश की जा रही है। दो देशों के बीच आपस मे इस तरह की बातें नहीं की जातीं, यह तरीका ग़लत होता है। दबाव भी सब तरह के होते हैं और सभी देशों पर होते हैं। लेकिन यह समझना ग़लत है कि दूसरे देश दबाव को मान ही लेंगे, झुक ही जायेंगे। हर देश को अपने अन्दरूनी और बाहर के हालत देख कर चलना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि हम इन देशों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात रखना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। खुशी की बात है हमारे ताल्लुक़ात हैं भी ऐसे ही।

प्रतिरक्षा, अर्थात, सीमा संबंधी प्रश्न के बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हम सभा को बता चुके हैं कि प्रतिरक्षा के संबंध में हमें केवल अल्पकालीन दृष्टिकोण ही नहीं अपनाना है बल्कि अपनी रक्षा के लिए हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण भी अपनाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी विद्यमान संकट में अपनी सारी शक्ति और ताकत नष्ट कर दें और आगे के लिए हममें कुछ भी न बच रहे जाये। अत: हमें दोनों दृष्टिकोणों को ख्याल में रखना है और उनको देखते हुये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि हमें इन जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए क्योंकि प्रत्येक देश की बुनियादी नीति—प्रत्येक देश की बुनियादी विदेशी नीति—यही होती है कि अपनी रक्षा की जाय—अन्य नीतियों की बात तो इसके बाद आती है। विदेशी नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में मैं बता चुका हूं, पर विदेशी नीति का मूल उद्देश्य यही है कि देश के हितों की रक्षा की जाय। अन्य बातें तो बाद की है। हम अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं पर उग्र राष्ट्रवादी तरीके से नहीं,—जो दुनियां की तरफ नहीं देखता—बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा तरीका दुनियां में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुये तथा विश्व

शान्ति के अनुकूल हो। अतः प्रतिरक्षा की समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हुये, न मुझे यह बताना है और न मैं यह बता सकता हूं कि हम अपनी सीमा पर क्या वास्तविक कार्यवाही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जातीं; पर हम सीमा पर सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। हम वहां सड़कें, हवाई अड्डे आदि बनवा रहे हैं।

मेरा ख्याल है कि श्री भक्त दर्शन जी ने ही फिर यह सवाल उठाया कि विदेशी विमान हमारे राज्य-क्षेत्र में उड़े हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था कि किसी भूतपूर्व सैनिक ने उन से यह बताया था। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी वायु सेना इस मामले में बहुत सावधान है और हमारी वायु सेना ने हमें विश्वास दिलाया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त—हमारे विमान वहां अकसर उड़ा करते हैं—किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत कठिन काम है कि वह ३०,००० या ४०,००० फुट ऊपर उड़ने वाले विमानों को पहचान सके। इसके अतिरिक्त इसी रास्ते से होकर रूस-भारत वायु सेवा के विमान सप्ताह में दो या तीन बार भारत आते हैं—रूसी विमान टी०यू० १०४ आते हैं; इन्हें देख कर लोग समझते हैं कि कोई अजीब विमान आते हैं। इसके अतिरिक्त, जब श्री वोरोशिलोव व श्री ख्रुश्चेव यहां आये थे, तो उन्हें लाने, उनके साथ के लोगों को लाने, उनके लिए सामान लाने-लेजाने के सिलसिले में लगातार विमान आते जाते रहे और इसी कारण शायद लोगों ने समझा कि कोई विदेशी शत्रु के विमान हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं।

नागा पहाड़ी तुएनसांग डिवीजन की स्थिति के संबंध में मुझे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहां की हालत निश्चय ही पहले से बहुत अच्छी है। यह सच है कि कुछ छुट पुट कठिनाइयां पैदा होती रहती हैं और उनको पूर्णतः समाप्त करना बहुत कठिन काम है। वहां पर जो बड़ा सुधार हुआ है वह यह नहीं है कि इस तरह की छुट पुट कठिनाइयां कम हो गई हैं या बढ़ गई हैं बल्कि वह सुधार यह है कि नागा जनता के दिमाग में एक परिवर्तन आ गया है, जो कि वास्तविक, मूलभूत तथा लाभदायक बात है और मुझे आशा है कि हमें इसका लाभ अवश्य मिलेगा।

मैं चाहूंगा कि सभा हमारी समस्याओं पर संसार के विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करेगी। हम संसार की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम दुनिया से इस तरह बंधे हुए हैं कि हम उस से अलग नहीं हो सकते और आज दुनिया में एक सब से बड़ी बात यह हो रही है कि सभी महत्वपूर्ण देशों के नेता निश्शस्त्रीकरण के लिये रास्ता ढूंढ रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने में और संसार में व्याप्त तनाव को कम करने के लिये प्रयत्नशील हैं। यह बात अत्यधिक महत्व की है क्योंकि यदि संसार इस रास्ते के बजाय किसी और रास्ते की ओर आगे बढ़ता है, तो फिर हमारी समस्यायें महा विनाश द्वारा ही हल होंगी; यह महाविनाश युद्ध का नहीं होगा बल्कि यदि आणविक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया गया, तो संसार पर एक ऐसी विपत्ति आ जायेगी, जिस से कभी भी निस्तार नहीं होगा। अतः यह बात बड़े महत्व की है और हमें अपने ढंग से इस में यथाशक्ति मदद करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हम कुछ अधिक नहीं कर सकते क्योंकि न तो सैनिक और न ही वित्तीय दृष्टि से—इस संसार की बड़ी शक्तियों में से हैं। फिर भी कुछ ऐसा है कि शान्ति के लिये प्रयत्न करने वाले देश के रूप में संसार में हमारे देश की कुछ इज्जत है—यह भी एक कारण है कि समस्याओं का—चाहे वह पाकिस्तान की हों या चीन की—हम पर असर पड़ता है। हमें इन समस्याओं का सामना करना है, दबना नहीं है, झुकना नहीं है; पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी भाषा व हमारा रवैया ऐसा ही हो, जो संसार के रवैये के, जो आज शान्ति का इच्छुक है, अनुरूप हो। अतः इस सवाल पर हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण में देखना है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दुनिया की बड़ी-बड़ी बातों में एक बहुत बड़ी बात, जो आज हो रही है, वह है अफ्रीका में क्रान्तिकारी उफान। हाल में सहारा में फ्रांसीसी आणविक परीक्षण हुआ है। यह एक निन्दनीय बात है, इसलिये कि इस प्रकार आणविक परीक्षणों की दूसरी श्रृंखला आरम्भ की जा रही है। हम इस पर खेद प्रकट करते हैं ; हम ने भरसक प्रयत्न किया और राष्ट्रसंघ में भी पहले इस का विरोध किया गया था पर इस फ्रांसीसी विस्फोट से भी बड़ी बात वह है, जो आज अफ्रीका के लोग कर रहे हैं। वे उठ रहे हैं—कभी सही व कभी गलत—एक भीषण उथल-पुथल के बीच। यह हो रहा है वहां और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारा हृदय और हमारी शुभ कामनायें उन के साथ हैं।

इस सिलसिले में अफ्रीका में हर तरह की नई समस्यायें पैदा होंगी, जिन का दुनिया पर असर पड़ेगा। एक सब से बड़ी समस्या जातिभेद की समस्या है। सभा को पता है कि दक्षिणी अफ्रीका संघ सरकार ने अपनी नीति जातीय भेदभाव के आधार पर निर्धारित की है। हम लोग भी इस के शिकार हो चुके हैं, भारतीय उद्भव के लोग भी इस नीति का फल भोग चुके हैं पर अफ्रीका के लोगों को तो इस से और भी अधिक हानि हुई है। यह भविष्य बतायेगा कि अब अफ्रीका में क्या होने वाला है, जब अफ्रीका के अधिकांश भाग में स्वतंत्र देश होंगे, जिन का अपना सम्मान होगा और जो किसी भी तरह का जातीय भेदभाव बरदाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है कि हालत वैसी नहीं रहेगी, जैसी इस वक्त है।

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी हाल में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री मैकमिलन द्वारा दिये गये उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, जो उन्हों ने केपटाउन में संसद् की दोनों सभाओं के सामने दिया था। उन का वह वक्तव्य जातीय भेदभाव सम्बन्धी नीति के बारे में एक स्पष्ट तथा उचित वक्तव्य था। स्वाभाविक है कि हमें इस सम्बन्ध में चिन्ता है और मुझे पूरी आशा है कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव में जो देश हैं उन की नीति वही होगी, जिस का श्री मैकमिलन ने जिक्र किया है।

मैं चाहूंगा कि अफ्रीका की जनता के कुछ बड़े-बड़े नेताओं को, जो नजरबन्द हैं या जेल में हैं, और जिन के बिना समझौता नहीं हो सकता, छोड़ दिया जाये, क्योंकि जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा, इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सकता।

इस के बाद मैं गोआ के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सब से पहले मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि—क्योंकि लोगों में कुछ गलतफहमी है—हम ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करने जा रहे हैं जो गोआ की जनता की स्वतंत्रता के रास्ते में किसी भी तरह बाधक बने। अभी हम विश्व न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे हैं ; वैसे विश्व न्यायालय के सामने जो समस्या है उस का गोआ से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ; उस का सम्बन्ध नगर हवेली से है। फिर भी इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने में यह बात हमारे सामने रुकावट के रूप में रही है। मुझे आशा है कि विश्व न्यायालय का निर्णय लगभग एक महीने के भीतर आ जायेगा।

वाद-विवाद में एक और विषय का बार-बार उल्लेख किया गया और वह था भ्रष्टाचार का प्रश्न। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि और इस पर दो राय नहीं हो सकतीं कि इस का सामना करने के लिये, इसे दबाने के लिये और इसे समाप्त करने के लिये प्रत्येक संभव उपाय काम में लाये जाने चाहियें।

श्री अशोक मेहता के कहने का मतलब शायद यह था कि मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि भ्रष्टाचार है। उन का ख्याल गलत है। मैं ने बार बार कहा है कि हमारी प्रशासकीय सेवाओं में तथा अन्य स्थानों में भी काफी भ्रष्टाचार है, पर जो बातें कही गई हैं, उन से जितना भ्रष्टाचार वास्तव

में है, उस से बढ़ा-चढ़ा हुआ मालूम देता है । मेरा विचार है कि उच्च सेवाओं में कर्मचारियों का स्तर काफी ऊंचा है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि भ्रष्टाचार के मामले होते ही नहीं ।

जब से हम ने विशेष पुलिस विभाग स्थापित किया है, उसे (इस विभाग को) इस सम्बन्ध में काफी सफलता मिली है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य विशेष पुलिस विभाग के मासिक विवरणों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो संसद् पुस्तकालय में रखे जाते हैं, पर्याप्त ध्यान देते हैं कि नहीं । खैर नया वार्षिक प्रतिवेदन लगभग १ महीने में आने वाला होगा ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : पुलिस विभाग की ईमानदारी, सन्देह से मुक्त नहीं मानी जा सकती ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि कभी कभी माननीय सदस्य न्याय व्यवस्था पर भी सन्देह करने लगें । हमारे गुप्तचर विभाग भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ कर उन पर मुकदमा आरम्भ करते हैं इस सम्बन्ध में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं । मैं विशेष पुलिस विभाग के "१९५९ में किये गये कार्य का सिंहावलोकन" नामक एक टिप्पण को सभा पटल पर रख रहा हूं ।

घूस, भ्रष्टाचार आदि सम्बन्धी मामलों की सख्या १९५९ में ९१७ थी, जिस में गत वर्ष के विचाराधीन मामले भी सम्मिलित हैं । १९५९ में १६७१ मामलों की छानबीन की गई । इन में से २६४ मामलों में मुकदमा चलाया गया । ५०१ मामलों को विभागीय कार्यवाही के लिये भेजा गया और १०१ मामलों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि सबूत नहीं मिल सके । जिन मामलों में मुकदमे चलाये गये, उन में से १९० में अभियुक्तों को सजायें हो गयीं । विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये ३६३ मामलों में से ३२५ मामलों में दण्ड दिया गया । १९५९ के नये मामलों में ११६४ सरकारी कर्मचारी जिन में २०७ गज़टेड आफिसर थे, अन्तर्ग्रस्त थे । ११८ सरकारी कर्मचारियों को, जिन में १० गजटेड आफिसर भी थे, न्यायालय द्वारा सजा दी गयी । जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सजा दी गई, उन में रामकृष्ण डालमिया और हरिदास मून्दड़ा भी थे, जैसाकि सभा को पता है । विशेष पुलिस विभाग के काम के सम्बन्ध में मासिक प्रेस विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं और इन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को भी भेज दी जाती हैं ।

इस सिलसिले में एक न्यायाधिकरण, स्थायी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने का सवाल उठाया गया । उस सभा में और इस सभा में भी प्रश्नों के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि मैं इस सुझाव को उचित और व्यवहार्य नहीं समझता । कुछ बड़े-बड़े लोगों ने भी, जिन के पास न्याय संबंधी और अन्य प्रकार की बड़ी-बड़ी योग्यतायें हैं, मुझे परामर्श दिया है कि भारत के संविधान के अन्तर्गत भी यह प्रस्थापना व्यवहार्य नहीं है । संवैधानिक कठिनाई के अतिरिक्त भी मैं नहीं समझता कि यह प्रस्थापना कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है । मैं समझता हूं कि यदि कोई न्यायाधिकरण बना दिया गया और उस ने सम्पूर्ण देश से शिकायतें मांगीं, तो इतनी शिकायतें आयेंगी कि उन से शासन का सारा काम ठप्प हो जायेगा और कोई भी काम नहीं हो पायेगा और देश के सभी लोगों का दिमाग तथा उन की शक्तियां आरोपों तथा प्रत्यारोपों तथा तर्क में उलझ जायेंगी । अत: मैं इस प्रस्थापना को ठीक नहीं समझता । मैं यह बात मान सकता हूं कि जो विशेष आरोप लगाया गया है, उस की जांच किसी उचित न्यायाधिकरण द्वारा कराई जाये । वह बात तो ठीक है ।

इस समय हमारे सामने पुलिस व कानून आदि कुछ साधन हैं । कोई भी व्यक्ति किसी आरोप के सम्बन्ध में किसी को न्यायालय में ले जा सकता है । मैं मानता हूं कि ये साधन धीमे हैं और उन को

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तेज बनाने के लिये हमें आप की सहायता व आप के सुझाव चाहियें। यदि अन्य कोई प्रस्थापना हो, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि छानबीन या जांच तभी हो सकती है, जब कोई स्पष्ट आरोप हो। केवल अस्पष्ट बातों या गोलमोल आरोपों पर कोई छानबीन या जांच नहीं की जा सकती।

मुझे याद है कि कई साल पहले मेरे मित्र श्री त्यागी ने भ्रष्टाचार की बात उठाई थी और उस समय मेरे पुराने साथी श्री चि० द्वा० देशमुख ने श्री त्यागी को उत्तर दिया था कि अस्पष्ट आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है, आप भ्रष्टाचार के विशेष और ठोस मामले लाइये, तो हम इन की जांच करेंगे।

†**श्री त्यागी** : उस समय मैं मंत्री नहीं था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि वह मंत्री होते, तो ऐसी बात कहते ही नहीं। इस सरकार ने और इस सभा ने पहले कई महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में छानबीन की है, जिन में देश के कुछ बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वाद-विवाद के दौरान में कुछ आरोप लगाये गये हैं, क्या प्रधान मंत्री उनकी जांच कराने के लिए कोई न्यायाधिकरण बनाने के लिए तैयार हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने मुझे याद दिला दिया। मुझे स्मरण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री का जिक्र किया था और बताया था कि उसके बेटे को एक ठेका दिया गया है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मंत्री का नाम लेने की अनुमति मुझे नहीं दी गयी थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मामले की याद दिला दिया। जब यह मामला उठाया गया था, तुरन्त ही मैं ने मुख्य मंत्री, सम्बद्ध मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों को इसके बारे में लिखा——जैसा कि मैं सामान्यतः करता हूं। जब इस मामले में छानबीन की जा रही थी, उसी बीच उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने यह आरोप लगाया था, एक मानहानि का मामला शुरू हो गया। दोनों मामले अभी चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यह मामला कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयुक्त के पास आया था। उस पर भी विचार हो रहा है। मैं ने अपने ढंग से उस मामले की जांच की। मेरा ढंग संतोषजनक है या नहीं, इसका निर्णय सभा को करना है जब मामला न्यायालय में चल रहा था, तो मैं उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। मैं ने सभी आरोप तथा आरोप लगाने वालों से उन के सबूत इकट्ठे किये। फिर मैं ने उन आरोपों के उत्तर मंगवाये। मैंने उन उत्तरों को विधि मंत्री के पास भेज दिया। विधि मंत्री ने उन का सूक्ष्म परीक्षण किया और उस पर अपना एक टिप्पण भेजा। उस टिप्पण को मैं ने संबद्ध मुख्य मंत्री के पास भेज दिया यह टिप्पण उन व्यक्तियों को दिखाया गया, जिन्होंने आरोप लगाये थे। वह टिप्पण राज्यपाल को भी दिखाया गया। मेरे सामने एक कठिनाई थी। चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, अतः मैं उस टिप्पण को प्रकाशित नहीं कर सका। यह मामला अभी भी न्यायालय में है। मैं कानून के रास्ते में नहीं आना चाहता पर चूंकि मुझ से पूछा गया है अतः मैं बताना चाहता हूं कि उस टिप्पण में....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो यह ठीक न होगा कि प्रधान मंत्री उस के सम्बन्ध में कुछ भी कहें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे रोका जा रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ भी न बताऊं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस समय अपना निष्कर्ष न बतायें ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : क्या पंजाब से भी ऐसे किसी मामले की शिकायत मिली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, अनेक शिकायतें मिली थीं ; जिनकी जांच हो गयी है और उन की रिपोर्टें भी निकाली जा चुकी हैं । एक-दो मामले अभी पिछले कुछ सप्ताहों में आये हैं और उनकी छानबीन की जा रही है ।

†**श्री त्यागी** : राज्यों के मंत्रियों के संबंध में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा जो शिकायतें आती हैं, उनकी छानबीन करने का प्रधान मंत्री को कोई अधिकार नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह वैधानिक अधिकार की बात नहीं है । मैं तो केवल इतनी ही छानबीन करता हूं कि प्रत्यक्षतः कोई मामला है या नहीं । इस के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता । मैं किसी को दण्ड नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र की ज़िम्मेदारी यह ज़रूर है कि वह देखता रहे कि राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था का ठीक प्रकार पालन हो रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभी उस दिन स्वतंत्र दल के एक नेता, श्री वी० पी० मेनन ने कहा कि कांग्रेस मंत्रियों के मामले में पक्षपात बरता जाता रहा है । जब ऐसी बात हमारे सामने आती है, तो मैं सम्बद्ध दल से कुछ जानकारी मांगता हूं । अतः तुरन्त ही मैं ने श्री मेनन को पत्र लिखवाया कि वह बतायें कि किस मामले में ऐसा हुआ है । उन्होंने जो उत्तर भेजा वह कुछ अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि उन्होंने पत्र में कहा था, "मुझे फाइलें आदि देखनी होंगी ।" देखिए क्या स्थिति है बिना सम्बद्ध पत्रों को देखे हुये लोग ऐसी बातें कह देते हैं । खैर, मैंने पता लगा लिया है । उन्होंने जिस मामले की ज़िक्र किया है वह १२ साल पुराना है अर्थात् १९४८ का है । यह मामला उसी मंत्रालय से सम्बन्धित है, जिसके वह सचिव थे और सरदार पटेल जिसके मंत्री थे । यह मामला पुरानी मध्य भारत सरकार और विन्ध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के बारे में था । मैं इस के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा । हमने इस मामले की जांच कराई थी । हम ने इस संबंध में मुकदमा चलाने का निश्चय किया था । मुझे अच्छी तरह पता नहीं है कि मुकदमें शुरू किये गये थे या नहीं । पर इस मामले पर अच्छी तरह विचार किया गया था । मेरा ख्याल है कि मामला सालिसिटर जनरल और अटार्नी जनरल के पास भी भेजा गया था । सरदार पटेल तथा श्री राजगोपालाचारी ने भी इस पर विचार किया था । उन्होंने मेरे पास एक टिप्पण भेजा था, जिस में उन्होंने कहा था "हम ने इन मामलों पर पूरी तरह विचार कर लिया है ; इन में कोई सार नहीं है" । अटार्नी जनरल ने भी यही प्रतिवेदन दिया था कि इन मामलों को आगे न बढ़ाया जाये । मैंने, इन वरिष्ट साथियों तथा अटार्नी-जनरल की राय मान ली । कर ही क्या सकता था ? ये मामले

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

बड़े छोटे-मोटे थे—यात्रा भत्ते आदि के बारे में कुछ गलतफहमी थी। अतः इन मामलों को वापस ले लिया गया।

एक और मामला सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह के बारे में था। बाद में वह बीमा संबंधी गोल माल के एक बड़े मामले में भी थे और फरार हो गये थे। काफी समय तक वह फरार रहे और बाद में पकड़े गये व जेल भेज दिये गये। आप देखिये, अब १२ साल बाद स्वतंत्र दल के उत्तरादायी नेता श्री मेनन यह आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों का आचरण खराब था और वे अनुचित काम करते थे। हमें छानबीन के बाद पता लगा कि यह १२ साल पुराना मामला है जब श्री मेनन स्वयं मंत्रालय के सचिव थे; सरदार पटेल भी उस समय थे। श्री राजगोपालाचारी तथा अटार्नी जनरल की राय ली गयी थी। और कार्यवाही की गई थी। यह अनुचित है कि इन आरोपों की अब इस तरह चर्चा की जाये या उनका जिक्र किया जाये।

मैंने काफी समय ले लिया है लेकिन आयोजन के संबंध में मुझे अभी कुछ कहना है। श्री अशोक मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा का कोई उल्लेख नहीं है और न यह उल्लेख है कि वह सभा के सामने कब उपस्थित की जायेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक १९ या २० मार्च को होने वाली है, आशा है कि योजना आयोग अप्रैल के अन्त से पहले ही तीसरी योजना की रूपरेखा का मसविदा संसद् के विचार के लिए प्रकाशित कर देगा। इस बीच, जैसा कि सभा को पता है —सभी दलों के संसद्-सदस्यों की एक अनौपचारिक समिति है, जिसकी बैठकें यदाकदा तीसरी योजना पर विचार करने के लिए होती रहती हैं। तीसरी योजना की अस्थायी रूपरेखा इस प्रकार है (१) राष्ट्रीय आय में कम से कम ५ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि; (२) ९९५० करोड़ रु० का कुल विनियोजन; (३) सरकारी क्षेत्र में लगभग ५९५० करोड़ रु० का विनियोजन, और कुल ७००० करोड़ रु० का विकास व्यय; जब कि दूसरी योजना में मूलतः यह राशि ४८०० करोड़ रु० रखी गयी थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, आवास व्यवस्था तथा संगठित उद्योग सहित कुल विनियोजन लगभग ४००० करोड़ रु० होगा जब कि दूसरी योजना में इसका अनुमान ३३०० करोड़ रु० है।

इस समय उद्योग संबंधी योजना तैयार हो रही है—पूरी अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये। हमें ठोस लक्ष्य निर्धारित करने हैं। लक्ष्यों को सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में बांटने की बात बाद में आयेगी — इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन मामलों में सरकार की व्यापक नीति क्या है। हमें कार्य को पूरा करना है और सरकार की मोटी नीति को ध्यान में रखते हुये हम उसे जितनी जल्दी कर लें, उतना ही अच्छा है। अब सरकार उन उपायों के बारे में विचार कर रही है, जिनके द्वारा सामान्य जनता को उद्योग तथा तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में राज्य-उपक्रमों की पूंजी में एक सीमा तक अपना अंशदान देने का अवसर दिया जा सके।

जाहिर है कि इस के लिए बड़े प्रयत्नों की जरूरत है। इस संबंध में योजना आयोग ने जो कुछ कहा है उसे मैं दोहरा देना चाहता हूं अर्थात् निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ेगा :— (१) कृषि उत्पादन में वृद्धि (२) सभी सरकारी उपक्रमों को किफायत तथा निपुणता से, अधिकतम संभव लाभ उठाते हुये, चलाया जाना (३) निर्माण कार्यक्रम में लागत न्यूनतम रखना (४) प्रशासन संबंधी कार्य में निपुणता व शीघ्रता और (५) मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना।

कठिनाइयों के होते हुये भी हमने जो तरक्की की है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है । औद्योगिक विकास तथा आयोजन की मिसालें और भी मिल सकती हैं । पर हमारे देश में कठिनाइयों के होते हुए भी आयोजन को जो सफलता मिली है उसकी कोई मिसाल नहीं है । इस में कई कठिनाइयां हैं । अति विकसित देशों में वहां के व्यवस्थात्मक सुधारों ने वहां कल्याणकारी राज्य बनाया और वहां प्रगतिशील करों की प्रणाली को चलाया, जिस ने असमानता को बढ़ने से रोका क्योंकि जब औद्योगीकरण होता है, तो इस से असमानता बढ़ती है —यदि उस पर रोक थाम न रखी जाय । धनी लोग अधिक धनी होते जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते जाते हैं ।

यह बात मैं यहां इस लिये बता रहा हूं कि हमारी सभा में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें वर्तमान विचार धाराओं तथा स्थितियों का पता नहीं है और वे यथेच्छाकारिता की बात कहते हैं अर्थात् वे चाहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था ऐसी हो, जिस में कोई आयोजन या नियंत्रण न हो । मेरा मतलब है कि अति विकसित देशों में जहां व्यवस्थात्मक सुधार के कारण कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है वहां निरन्तर प्रगतिशील कर भी बढ़ाये गये हैं क्योंकि इस प्रकार की रोक लगाये बिना असमानतायें बढ़ती जातीं । कार्मिक संघों आदि का दबाव इन असमानताओं को बढ़ने नहीं देता । अन्यथा गरीबों व अमीरों में अन्तर बढ़ता ही जाता । यही कठिनाई है । यदि हम बिना किसी आयोजन के औद्योगिक उन्नति को बढ़ने देंगे, तो अमीरों व गरीबों का अन्तर बढ़ता ही जायेगा । इसी लिए अनेक प्रकार के व्यवस्थात्मक परिवर्तनों तथा नियंत्रणों की आवश्यकता है ।

राष्ट्र के भीतर तो हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई नियंत्रक शक्ति नहीं है और इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय असमानतायें बढ़ रही हैं । हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी धनी देश अधिक धनी होते जा रहे हैं और गरीब देश अधिक गरीब होते जा रहे हैं ।

साम्यवादी देशों में हमने एक खास बात देखी है और वह है—जन-शक्ति का निर्दय व निरन्तर उपयोग । निस्सन्देह वहां जनता का संगठन किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति की जाती है । लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते । पर अब हमारे सामने भी जनशक्ति को संगठित करने का प्रश्न है, उतना तो नहीं लेकिन एक उचित्त सीमा तक ।

इस वाद विवाद के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिये गये एक भाषण का जिक्र किया । मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो सवाल उठाया था, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और हमें ध्यान रखना है कि मजूरी तथा मूल्यों आदि का बढ़ना एक भयंकर चीज है । इस से हमारी योजनाओं पर असर ही नहीं पड़ता, बल्कि सच पूछा जाये, तो कोई आयोजन हो ही नहीं सकता । इन बातों का सामना हम सामाजिक नीतियां तैयार कर के कर सकते हैं — चीजों को मनमाने ढंग से चलने देने द्वारा नहीं—ऐसी सामाजिक नीतियों को जन्म देना, जिन से अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति हो सके । इसी को आयोजन कहते हैं । श्री मसानी तथा उनके साथियों ने यथेच्छाकारिता की जो बात कही, वह पुरातन-पंथी तरीका है ।

मेरा ख्याल है कि श्री ब्रजराज सिंह ने नालागढ़ समिति प्रतिवेदन का जिक्र किया था । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि योजना आयोग ने हमें सूचित किया है कि उसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और आगामी वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है । इसके ब्योरे के बारे में मुझे पता नहीं है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री खाडिलकर ने श्री लिपमैन के एक लेख का जिक्र किया। वह एक बड़ा दिलचस्प लेख था। वे हमारे सामने विचार के लिए एक समस्या उपस्थित करते हैं। भारत के बारे में लिखते हुये वह कहते हैं कि "तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्रातिकारी उद्देश्यों तथा भारतीय राजनैतिक प्रणाली की सामान्यता के बीच असमानता पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं ने स्वयं अपने से पूछा कि क्या महान आर्थिक क्रान्ति को संसदीय राजनीतिज्ञों तथा असैनिक कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जा सकता है ––बिना परिवर्तनशीलता और अनुशासन अथवा संगठित जन आन्दोलन के।"

हमारे सामने यही समस्या है, जिसे हमें हल करना होगा।

हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्यायें हैं; भीषण कार्य हैं। हम उसके लिए योजना तैयार करते हैं और योजना तैयार करना वैसे कोई बुरी बात नहीं है। योजना बड़े-बड़े कामों को पूरा करने के लिए होती है। पर प्रश्न यह है कि क्या हमारी वर्तमान व्यवस्था ––मेरा मतलब बुनियादी संसदीय प्रणाली से नहीं है बल्कि इस से है कि यह कैसे चलती है ––काफी है। मैं समझता हूं कि बुनियादी व्यवस्था पर्याप्त है या इसे पर्याप्त बनाया जा सकता है। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यवस्था इस समय जिस प्रकार चल रही है, वह पर्याप्त नहीं है। मैं इस संसद् में जिस प्रकार काम होता है, उस के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा हूं ––मैं संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में हूं और मेरा विश्वास है कि यह प्रणाली बहुत अच्छी व हमारे उपयुक्त है। अतः मैं उस मूल आधार को बुरा नहीं बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लगभग उसी ढंग से काम कर रहे हैं––जिसे श्री लिपमैन ने विक्टोरियन युगीन की प्रणाली कहा है––हम अपनी समस्याओं की गंभीरता और अविलम्बनीयता को नहीं महसूस कर रहे हैं।

हमारी प्रशासकीय व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था है लेकिन धीमी व्यवस्था। हम भरसक विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इस व्यवस्था को शीघ्रगामी बनायें; कैसे लोगों को अधिक जिम्मेदारी दें, ताकि वे शीघ्रता से निश्चय कर सकें। ब्रिटिश काल में जो समस्यायें थीं, वे सरल थीं और अंग्रेजों ने त्रुटिहीन व्यवस्था बना रखी थी, जिस में सभी बातों की रोक थाम अपने आप होती रहती थी। व्यवस्था तो हमारे सामने भी वही है, पर हमारी सामाजिक समस्यायें बहुत जटिल हो गयी हैं और रोक-थाम संबंधी उपायों के फलस्वरूप हर काम में बहुत देर होती है। इस समस्या को हल करने का एक ही तरीका है––साम्यवादी व पूंजीवादी दोनों इस बात से सहमत हैं––कि लोगों को अधिक जिम्मेदारी देकर मामलों को जल्दी-जल्दी निवटायें। हो सकता है इस से हानि हो, काम गलत हो जायें पर किसी भी राष्ट्र को समय की बरबादी से बढ़ कर और कोई हानि नहीं हो सकती। धन की दृष्टि से भी यह मंहगा पड़ता है पर सब से महंगी बात तो यह पड़ती है कि आप जिन समस्याओं को हल कर रहे हैं उन पर आप काबू नहीं पाते हैं।

मैं सभा का बहुत समय ले चुका हूं। इन सभी मामलों में आप देखेंगे कि–– चाहे सीमा संबंधी कठिनाई का प्रश्न हो या अन्य कोई बात हो––आर्थिक प्रगति का बड़ा महत्व है। आर्थिक प्रगति ही हमें शक्ति देती है, जिस से हम बाहर के और देश के भीतर के, सभी तरह के खतरों का सामना कर सकते हैं। और इस काम में सफलता तभी मिल सकती है, जब सभा संगठित हो कर पथ-प्रदर्शन करे––एक दूसरे को नीचे घसीटने से कुछ लाभ नहीं होगा।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** माननीय सदस्य को दूसरे अवसर मिलेंगे। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि नियम ३४३ के अन्तर्गत संशोधन संख्या ५५ और १४१ नियम विरुद्ध हैं क्योंकि भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में १२ फरवरी, १९६० को श्री ब्रजराज सिंह ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा होनी है। कुछ चर्चा हो भी चुकी है। इनमें इस चर्चा की प्रत्याशा की गई है।

शेष संशोधनों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि किसी संशोधन को अलग से मतदान के लिये रखा जाये ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जिसे उन्होंने ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त अभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९-६०

†**अध्यक्ष महोदय:** सभा में अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, वे उन कटौती प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, सभा पटल पर भेज दें। यदि ये प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल हुए तो, मैं उन्हें प्रस्तुत मान लूंगा।

अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
११	प्रतिरक्षा सेवायें, सक्रिय—वायुसेना	५,९९,७८,०००
१८	वैदेशिक कार्य	५८,१२,०००
२१	वित्त मंत्रालय	६,२०,०००
२९	टकसाल . .	१५,००,०००
३१	निवृत्ति भत्ते और पेंशनें . . .	३४,२५,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१,०००
३४	संघ और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	१,७१,०००
३८	कृषि . .	१,५१,०२,०००
५१	जनगणना	१५,०७,०००

†मूल अंग्रेज़ी में

१	२	३
		रुपये
५३	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते .	७९,०००
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय .	१,०००
६२	प्रसारण . .	२४,५०,०००
६४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय .	६०,०००
६७	श्रम और रोजगार मंत्रालय	६०,०००
७०	विधि मंत्रालय . . .	५९,०००
७३	विस्थापित व्यक्तियों और अल्प-संख्यकों पर व्यय .	१,७०,००,०००
७६	भारतीय सर्वेक्षण विभाग . .	४५,५८,०००
७९	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य . . .	३४,६२,०००
८४	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय .	८,८९,०४,०००
८६	भारतीय डाक और तार विभाग	१,००,००,०००
९१	उड्डयन .	५,२३,८१,०००
९३	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . .	२८,५३,०००
९४	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१५,००,०००
९६	सम्भरण .	१६,९२,०००
९७	अन्य असैनिक निर्माण-कार्य .	१,९१,५६,०००
१११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	१०,३४,०००
११७	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	१,०००
११८	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम धन	१६,००,००,०००
१२०	अन्न की खरीद . .	१७,७५,००,०००
१२५	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं का पूंजी परिव्यय	१,०४,००,०००
१२६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	४,००,७४,०००
१२९	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	३४,६२,०००
१३०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	१४,२१,७७,०००
१३१	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं देय)	१,०००
१३४	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	५०,००,०००

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१८	२९	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	तिब्बत के शरणार्थियों को शरण देने का प्रश्न	१००
१८	१०	श्री तंगामणि	तिब्बत के शरणार्थियों पर आवर्त्तक तथा अधिक व्यय	१००
५३	११	श्री तंगामणि	राजाओं के रिश्तेदारों के भत्तों का उचित निर्धारण करने में असफलता	१००
८६	१२	श्री तंगामणि	वर्ष की समाप्ति पर डाक तथा तार नवीकरण रक्षित निधि में अंशदान बढ़ा देने की अवांछनीयता	१००
९३	१३	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर मदुरै के निकट सड़क की मरम्मत तथा उसका पूरा बनाया जाना	१००
१२०	१४	श्री तंगामणि	खाद्यान्नों के आयात के लिये अतिरिक्त धनराशि का व्यय किया जाना	१००
९३	६	श्री दशरथ देव	वर्षा ऋतु में त्रिपुरा की सड़कों की बुरी दशा	१००
९७	७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में अपर्याप्त निर्माण सामग्री	१००
११७	८	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में चाय उद्योग के विकास के लिये चाय बागानों को अपर्याप्त वित्तीय सहायता	१००
३८	१५	श्री ले० अचौ सिंह	सिंचाई के नलकूप खोदने में धीमी प्रगति	१००
३८	१६	श्री ले० अचौ सिंह	कृषि उत्पादों तथा मछलियों का अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
५३	१७	श्री ले० अचौ सिंह	राजाओं के रिश्तेदारों के भत्तों का उचित निर्धारण करने में असफलता	१००
८४	१८	श्री ले० अचौ सिंह	लोहा तथा इस्पात समानीकरण निधि का कार्यवहन	१००
९१	१९	श्री ले० अचौ सिंह	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में हुई हानियों के लिये सहायतानुदान	१००
९३	२०	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में राष्ट्रीय राजपथों की देख भाल	१००
९७	२१	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में निर्माण सामग्री का अपर्याप्त संभरण	१००
१३१	२२	श्री ले० अचौ सिंह	आसाम में निर्बाधित्त तार संचार सेवा की आवश्यकता	१००
१३४	२३	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की असंतोषजनक दशा	१००
११	२४	श्री मोहम्मद इमाम	पौंड की विनियमन दरों का सही अनुमान लगाने में असफलता	१००
३८	२५	श्री मोहम्मद इमाम	भूमि के नीचे पानी की खोज सम्बन्धी योजना में प्रगति	१००
६०	२६	श्री मोहम्मद इमाम	प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी को नागपुर अथवा हैदराबाद में स्थापित करने की आवश्यकता	१००
८४	२७	श्री मोहम्मद इमाम	लोहा समानीकरण अधिभार कम करने की आवश्यकता	१००
१८	२८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	तिब्बत के शरणार्थियों पर अधिक व्यय	१००

१	२	३	४	५
				रुपय
३८	३०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	टी० सी० ए० कार्यक्रम के अधीन भूमि के नीचे पानी की खोज	१००
५१	३१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कृषि उत्पादन तथा मत्स्यपालन के कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों को अनुदान	१००
५१	३२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों वाले क्षेत्रों में भाषावार वर्गों की गणना	१००
५३	३३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]	बोध की रानी को भत्ते का भुगतान	१००
५३	३४	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	राजाओं के रिश्तेदारों तथा आश्रितों को भत्ते दिये जाने की अवांछनीयता	१००
१२०	३५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	खाद्यान्नों की खरीद सम्बन्धी योजना	१००
१२०	३६	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	चावल तथा धान की समाहार नीति की असफलता	१००
१३०	३७	श्री त० ब० विट्ठल राव	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य संचालन	१००
१३४	३८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	अन्तर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों का निर्माण	१००

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या २९ प्रस्तुत करता हूं। मैं मांग संख्या १८ का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय देने के लिये ३९.८९ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में तिब्बती शरणार्थियों की कितनी संख्या है। क्या तिब्बत से और भी शरणार्थी भारत आने वाले हैं तथा क्या इस व्यय में दलाई लामा के ऊपर किया गया व्यय भी शामिल है अथवा उनके लिये पृथक व्यय की व्यवस्था की गई है।

†मूल अंग्रेजी में]

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

ज्ञात हुआ है कि शरणार्थियों को सड़क निर्माण के काम में लगाया गया है और कुछ शरणार्थियों को सिक्किम भेजा गया है मेरे विचार से उन्हें सीमांत से दूर के इलाकों में भेजना अधिक उचित है।

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाने के लिये क्या किया जा रहा है। उनमें से कुछ को गृह उद्योगों में खपाया जा सकता है सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

अब मैं मांग संख्या १२० को लेता हूं। उसमें कहा गया है कि उड़ीसा में अनाज की वसूली करने के कारण अग्रिम धन देने के लिये यह राशि व्यय की गई। जब उड़ीसा में खाद्यान्नों का व्यापार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है तो यह अग्रिम धन देने की क्या आवश्यकता थी। उड़ीसा में सरकार स्वयं खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसे ऐसा नहीं करने दिया परिणाम यह हो रहा है कि उड़ीसा से सारा खाद्यान्न बंगाल को चला गया लेकिन यह खाद्यान्न बाजार में न जा कर मुनाफाखोरों के हाथों जा रहा है जिसके फल स्वरूप उड़ीसा तथा बंगाल दोनों राज्यों में खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई हैं।

अब मैं मांग संख्या ५३ को लेता हूं जिसमें राजाओं की निजी थैलियों में दी जाने वाली धन राशि के लिये अनुदान मांगा गया है। समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के लक्ष्य को स्वीकार करने के पश्चात् सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह समाज के उच्च वर्ग को यह विशेषाधिकार प्रदान न करे। वस्तुतः संविधान में दी गई प्रतिभूतियां आज की स्थिति और वातावरण के प्रतिकूल हैं। भारत सरकार इस व्यवस्था को कब तक कायम रखना चाहती है। इस मद में प्रतिवर्ष ६ करोड़ रुपया व्यय किया जाता है। सरकार को चाहिये कि वह संसद् में यह घोषणा करे कि भविष्य में इन राजाओं को निजी थैलियां नहीं दी जायेंगी और इस प्रकार देश के सभी नागरिकों के साथ समानता का बर्ताव किया जाय।

अब मैं जनगणना के कार्य को लेता हूं। जनगणना का प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है। मैं नहीं जानता कि क्या हमारे निर्वाचन क्षेत्रों को इस आगामी जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान सीमा पर रहने वाले अल्प-संख्यकों की ओर दिलाता हूं। सरायकेला और खरसांवा में रहने वाले उड़ीसा भाषा-भाषी लोगों को प्रारम्भिक स्कूलों में अपनी मातृभाषा सीखने की भी सुविधा नहीं दी गई है। इस प्रश्न पर अल्प-संख्यक भाषा आयुक्त से बात की गई है। आगामी जन-गणना में इस समस्या पर विचार किया जाय और कोई हल निकाला जाय। दूसरा हल यह है कि राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवादों के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिये। सरकार को कम से कम इतनी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये कि जनगणना के दौरान तथ्यों का उल्लेख सही सही किया जाय और उनके सम्बन्ध में किसी को शिकायत करने का मौका न मिले।

†श्री मोहम्मद इमाम (चितलद्रुग) : वित्त मंत्री ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के रूप में सभा से ८९ करोड़ रुपयों की स्वीकृति मांगी है। इसके पूर्व हम अनुपूरक अनुदानों के रूप में ९ करोड़ रुपये पहिले ही स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार बहुत बड़ी राशि अनुपूरक अनुदानों के रूप में मांगी जा रही है। वस्तुतः यह राशि कुल बजट का छटा हिस्सा है। अनुपूरक अनुदानों के रूप में राशि मांगने की एक सीमा होनी चाहिये। इतनी बड़ी राशियां मांगने का यह परि-

†मूल अंग्रेजी में

णाम होता है कि हमें केन्द्र तथा राज्यों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगने पाता । दूसरे यह कि इनके सम्बन्ध में हमें पूरी-पूरी जानकारी नहीं दी जाती । अनुदानों की अधिकांश राशि ऐसी है कि उनके सम्बन्ध में सरकार को पहले से ही पता रहना चाहिए । इन बातों का परिणाम यह होगा कि बजट में घाटा होगा जिनके फल स्वरूप लोगों पर कर लगाया जायगा फल-स्वरूप मूल्यवृद्धि होगी ।

मैंने इस सम्बन्ध में चार कटौती प्रस्ताव रखे हैं । पहले मैं गृह-मंत्रालय सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव लेता हूं । मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन एकादमी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है । इस संस्था में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी एक वर्ष तक प्रशिक्षण लेंगे । मेरे विचार से यह संस्था मसूरी के स्थान में नागपुर या हैदराबाद में स्थापित होनी चाहिये थी, क्योंकि ये स्थान भारत के केन्द्र में अवस्थित हैं । तथापि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को धुर उत्तर में स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । अब भी समय है हमें चाहिये कि हम इस संस्था को कहीं अन्यत्र स्थापित करें ।

अब मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न लेता हूं । यह प्रश्न लोहे की कीमतों का है । हमारे देश में भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर में इस्पात का काफी उत्पादन होगा । तथापि लो की कीमतो में वृद्धि होती जा रही है । इसका कारण यह है कि लोहे के उत्पादन पर ११० रुपया प्रतिटन लोहा समीकरण अधिकर और ५० से ६० रु० उत्पादन अधिकर लगता है इसलिये मेरा सुझाव है कि इन करों में कमी की जाय जिससे कि किसानों और सामान्य जनता को लोहा कम कीमत में उपलब्ध हो सके ।

भूमिगत जल का पता लगाने के लिये जो कर्मचारी, टेक्नीकल सहकारिता मिशन के अधीन भारत में काम कर रहे हैं, उन्हें दूसरी योजना के अंत तक रखने का निश्चय किया गया है । उन्होंन पंजाब ने उत्तर प्रदेश व बिहार में कुछ उपयोगी कार्य किया है और ३००० नल कूप खोदे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक नल कूप में कितना व्यय होता है और संस्थापन व्यय के अतिरिक्त इस कार्य में कितना व्यय किया गया । मेरा सुझाव है कि भारत के अन्य भागों में जहां वर्षा नियमित रूप से नहीं होती है वहां भी नलकूप खोदने की संभावना पर विचार किया जाय ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : सबसे पहले मैं मांग संख्या १२० को लेता हूं । यह १७.७५ करोड़ रुपये की खाद्यान्न खरीदने के लिये अनुपूरक मांग है । मूल आय व्ययक के समय मंत्री महोदय ने १८६.३८ करोड़ रुपय की मांग अनाज के आयात के लिये रखी थी । यदि अनुपूरक मांग की राशि भी इसमें मिला ली जाय तो यह कुल मिला कर २०३ करोड़ की राशि हो जायगी । और इतनी राशि का हम खाद्यान्न आयात करेंगे । १९५८–५९ में हमने १९१ करोड़ का खाद्यान्न बाहर से मंगवाया । १९५१–५२ में हमने सब से अधिक राशि का खाद्यान्न बाहर से मंगवाया और यह राशि १२८.१२ करोड़ थी । उससे अगले वर्ष यह १६१.२८ करोड़ हो गई । १९५६–५७ से यह राशि काफी तेजी से आगे बढ़ रही है । परन्तु ऐसा सुना गया था कि इस वर्ष फसल काफ़ी अच्छी हुई है । परन्तु खाद्यान्न के आयात पर किया जाने वाला व्यय तो कम हुआ नहीं । अतः मैं चाहता हूं कि जितना मात्रा में गेहूं और चावल आयात किया गया है उसके वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किये जाये । तथा उनकी कीमत भी बताई जाय ।

अब मैं मांग संख्या ३१ की ओर आता हूं । इसका सम्बन्ध निवृत्ति वेतनों से है । उचित लोगों को यदि अधिक निवृत्ति वेतन दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । ऐसा लगता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

अधिक निवृत्ति वेतन अथवा भत्ता देने के सम्बन्ध में १७ प्रतिशत के लगभग भूल हो गई है । सदन को यह बताया जाना चाहिये कि इस दिशा में विभिन्न अधिकारियों को दिये जाने वाले निवृत्ति भत्ता अथवा अतिवयस्कता वेतन में क्या वृद्धि की गई है । यदि ऐसा नहीं हुआ तो मूल अनुमानों में १७ प्रतिशत की कमी बड़ी गम्भीर बात है और इस पर विचार किया जाना चाहिये तथा इस दिशा में कोई निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर लेना चाहिये । क्योंकि सरकार के पास बहुत से अभ्यावेदन आये हैं जिनमें इन सुविधाओं के पाने वाले अधिकारियों ने इनके बढ़ाने के लिये निवेदन किया है ।

मांग संख्या १८, तिब्बती शरणार्थियों के सम्बन्ध में है । पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि तिब्बत से लगभग १२००० शरणार्थी भारत आये हैं । उन पर अक्तूबर तक २३.२६ लाख रुपये व्यय हुए और भविष्य में २६.६३ लाख रुपये व्यय होने की संभावना है । इसलिये ३९.८९ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी है । परन्तु उन पर किये जाने वाले व्यय का अनुमान बहुत ही कम लगाया गया है । ऐसा क्यों हुआ इस पर उपमंत्री महोदय द्वारा प्रकाश डाला जाना चाहिये । क्या यह व्यय की मद आवर्ती है ? मांग संख्या ५३ के सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है कि भत्तों को किसी राजनीति का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये । भत्तों के बारे में पहले से अनुमान न लगाना एक भयंकर भूल है । मांग संख्या ८६ के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि वर्ष के अंत में, डाक तार नवीकरण रक्षित निधि के स्थायी कोष के लिये एक करोड़ की मांग करना उचित नहीं । मांग संख्या ९३ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजपथ संख्या ७ जोकि मदुराई नगर के पास है सड़क को मोड़ने उसकी देखभाल करने तथा उसको पूरा करने के लिये काफी समय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक उसके निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । मंत्री महोदय को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिये कि इस दिशा में क्या कठिनाइयां हैं । क्या राज्य सरकार ने कोई रुकावट डाली है अन्य गैर-सरकारी अड़चनें इस कार्य की देरी के लिये जिम्मेदार हैं ?

राजपथों के लिये इस वर्ष काफी खर्च किया गया है । लगभग १६.५ करोड़ सड़कों के निर्माण पर खर्च किया गया है परन्तु राजपथ संख्या ७ अभी तक अपूर्ण ही पड़ा है । ऐसा क्यों है, और इतने वर्षों से यह कार्य निलम्बित क्यों हैं ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मैं सब से पहले मांग संख्या ५३ का उल्लेख करना चाहता हूं । इसका सम्बन्ध भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों से है । गत सत्र में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि इन मामलों का निर्णय राजनीतिक प्रभाव में आकर किया जाता है । कई मामले जो विधान सभा में सर्वसम्मति से तय हो गये थे, उन्हें भी गृह मंत्री के एक गुप्तपत्र के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया । राजाओं के परिवारों को भत्ता देने का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है । माननीय गृह मंत्री ने एक बार कहा था कि हम राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों को निजी थैलियां देने के लिए बचन बद्ध हैं । परन्तु इस पर भी आज के वातावरण में इस निर्णय को बदलने का प्रयत्न राजनैतिक आधार पर किया जा रहा है । जो उचित नहीं है ।

खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों के उल्लेख के समय मैं खाद्य क्षेत्रों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं । जब से इन क्षेत्रों का निर्णय हुआ है और बंगाल और उड़ीसा का एक क्षेत्र बना

---

†मूल अंग्रेजी में

है, तब से बाज़ार में अनाज का आना एक प्रकार से बन्द हो गया है और यहां अनाज की कीमतें बहुत ही बढ़ गई हैं। दो तीन मास बाद उड़ीसा में चावल के बारे में स्थिति और भी कठिन हो जायेगी। उड़ीसा सरकार के लिये ७५,००० टन खाद्यान्न को स्टोर करना बहुत ही कठिन हो जायेगा। सरकार के पास गोदामों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यदि उन्हें बनाया भी जाय तो दो वर्ष तो लग ही जायेंगे। अतः सरकार को उड़ीसा में इस प्रकार की गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने के लिये सचेत होना चाहिये। और यह क्षेत्र निर्माण करने का निर्णय समाप्त कर देना चाहिये। सरकार को उड़ीसा की सरकार से अनुरोध करना चाहिये कि उनके पास जो भी फालतू खाद्यान्न हो उसे बंगाल को दे देना चाहिये और इस बात की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये कि कीमतें न बढ़ें और लोगों को काला बाजार न करने दिया जाय। उड़ीसा सरकार के खाद्य सचिव ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि क्षेत्रों का निर्माण करते ही एक दम अनाज की कीमतें बढ़ गईं। और चावल का मूल्य एक दम से ३ रु० प्रति मन बढ़ गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब संगठन तथा रीति विभाग के वर्ष १९५८-५९ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा होगी। श्री हरिश्चन्द्र माथुर चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा संगठन तथा रीति विभाग के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो १८ दिसम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

संगठन तथा रीति विभाग का निर्माण शासन में कार्यदक्षता और मितव्ययता लाने के उद्देश्य से किया गया था जिनकी पंच वर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बड़ी आवश्यकता है। परन्तु खेद है कि वह अपने उद्देश्य में असफल रहा है। मैंने ९ दिसम्बर, १९५८ को पिछले प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इसी प्रकार की चर्चा का सूत्रपात करते हुए तथ्यों तथा आंकड़ों को उद्धृत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि यह विभाग हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर सका है। माननीय गृह मंत्री ने उत्तर देते हुये मेरी आलोचना को अनुचित बताया था। मेरा निवेदन है कि मेरी आलोचना निराधार नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रशासकीय यंत्र में सुधार किए जाने की बहुत गुंजाइश है।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्रशासकीय यंत्र को बहुत अधिक कार्यभार संभालना होगा। इस दृष्टि से शासन की कार्यक्षमता बढ़ाना और भी अधिक आवश्यक है। यदि आप प्राक्कलन समिति के पचपनवें प्रतिवेदन को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि मैंने जो आलोचना की थी वह सर्वथा सही है। मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि संगठन तथा रीति विभाग अपने कार्य में असफल रहा है परन्तु प्राक्कलन समिति ने तो यहां तक कह डाला है कि संगठन तथा रीति विभाग सहायक होने के बजाय एक भार सिद्ध हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक कड़ी आलोचना नहीं की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

सब से पहले मैं कार्यदक्षता अथवा कार्यकुशलता को लेता हूं। मैंने पिछले दिन यह बताया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने प्रधान मंत्री को १९५५ में एक पत्र में यह लिखा था कि कुछ नियमों तथा विनियमों का पुनरीक्षण आवश्यक है। ये नियम बहुत पुराने हो गए हैं और कार्य की गति में बाधक हैं। इसके उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया कि १९५९ में एक समिति इस कार्य के लिये नियुक्त की गई थी परन्तु अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ है।

व्यापारी वर्ग शासकीय यंत्र की ढिलाई की हमेशा शिकायत करता रहा है। माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने पिछले दिन निर्यात संवर्द्धन की चर्चा करते हुए यह स्वीकार किया था कि प्रशासकीय यंत्र का पुनर्नवन आवश्यक है ताकि कार्य शीघ्रता से हो सके। यही नहीं स्वयं सरकारी कर्मचारी भी एक दूसरे के विभाग में होने वाले विलम्ब की शिकायत करते हैं। ऊपर के अधिकारी नीचे वालों की शिकायत करते हैं और नीचे वाले ऊपर के अधिकारियों की। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। बड़े दुःख की बात है कि स्वयं प्रशासन के प्राधिकारी शिकायत करते हैं मानो सुधार करने के लिये कोई और व्यक्ति आएगा।

मैंने इस प्रतिवेदन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मेरा निवेदन है कि इससे मैं तनिक भी प्रभावित नहीं हो सका हूं। यह विभाग कैबिनेट सचिवालय के अन्तर्गत है जो प्रत्यक्ष प्रधान मंत्री के अधीनस्थ है परन्तु उसमें प्रधान मंत्री जैसी गतिशीलता का सर्वथा अभाव है। मैं समझता हूं कि यह विभाग कुछ भी नहीं कर सका है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत नहीं कर रहा हूं परन्तु मेरा विचार है कि विभाग के अधिकारी अपने कार्य में सर्वथा असफल रहे हैं। विभाग के संयुक्त सचिव भी लाल फीताशाही के चक्कर में पड़कर असमर्थ सिद्ध हुए हैं। इसलिये एक उच्च सत्ता निदेश समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसमें गृह मंत्री, प्रधान मंत्री तथा संसद् के दो सदस्य हों। मैंने पिछली बार भी यह सुझाव दिया था और अब उसे दुहरा रहा हूं।

मेरा निवेदन है कि शासन की पहली असफलता यह है कि देश में जो क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जायें तो ज्ञात होगा कि वहां की जनता का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। कुछ समय पहले तक ऐसा होता था कि एक दरोगा गांव के सब लोगों को दिन भर खड़ा रख सकता था और कोई भी व्यक्ति शिकायत करने का साहस नहीं करता था। परन्तु हाल में राजस्थान के एक पिछड़े स्थान में जब श्री सु० कु० डे दौरे पर गये तो उनके लौटते ही मुझे कुछ शिकायतें मिलीं कि श्री डे ने जो समय दिया था उस पर नहीं पहुंचे और लोगों को दिन भर उनका इन्तजाम करना पड़ा। यह बात मैं इसलिये बता रहा हूं कि शासन में इस परिवर्तन के अनुकूल समायोजन किया जाना चाहिये। खेद है कि शासन में समय की गति के अनुकूल परिवर्तन नहीं किया जा सका है। समस्त प्रशासकीय संगठन का पुनरीक्षण आवश्यक है। यह कार्य संगठन तथा रीति विभाग नहीं कर सकता है वरन् एक उच्च सत्ता समिति द्वारा ही किया जा सकता है जो उचित निदेश दे सके।

प्रतिवेदन में काम के निपटारे के जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जिन लोगों को दफ्तर के काम की थोड़ी भी जानकारी है वे जानते हैं कि किसी पत्र का निपटारा क्या होता है। यहां जो आंकड़े दिये गये हैं वे सर्वथा निरर्थक हैं।

शासन में कुछ इकाइयां ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनका उल्लेख न करना अन्याय होगा। वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत एस० आर० यू० डिवीजन एक ऐसी ही इकाई है। मैंने उसके कार्यकरण का अध्ययन किया है। वहां हर मामले की बड़ी गहराई में छानबीन की

जाती है। अनेक विभागों ने उनसे अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की थी परन्तु उनसे कहा गया कि उनके वर्तमान कर्मचारी ही आवश्यकता से अधिक हैं। इसी प्रकार लन्दन के उच्चायुक्त के कार्यालय के व्यय में ३५ लाख रुपये की कमी की गई। इस डिवीजन के काम का ढंग यह है कि संबंधित संगठन के प्रधान से प्रत्यक्ष चर्चा की जाती है और उसे यह समझाया जाता है कि अमुक प्रक्रिया अपनाने से वर्तमान कर्मचारियों से ही काम चल जायेगा। इस प्रकार इस डिवीजन का कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है।

मैं जानता हूँ कि २० प्रतिशत पदाधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत और सच्चाई से काम करते हैं और उन्हीं पर हमारा प्रशासकीय यंत्र टिका हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो ठीक तरह काम नहीं करते हैं। वेतन आयोग के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि गैर-सरकारी कर्मचारियों से हमारे कर्मचारियों को वेतन अधिक मिलता है परन्तु वे काम उतना नहीं करते हैं।

इसके बाद में मितव्ययता पर आता हूं। मैंने पिछली बार यह कहा था कि प्रशासकीय व्यय में २० प्रतिशत कमी की जा सकती है और केवल केन्द्रीय सचिवालय में ४० से ५० करोड़ रुपए तक की बचत की जा सकती है। इसके संबंध में मेरा दृढ़ विश्वास है क्योंकि एस० आर० यू० डिवीजन जहां भी गया है वहीं २० प्रतिशत या अधिक कमी की गई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन जगहों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं उनको वहां से हटाकर इस डिवीजन में प्रशिक्षण दिलाना चाहिए। यदि प्रत्येक मंत्रालय के एक उपसचिव को इस डिवीजन का काम सिखाया जाय तो वे अधिक मितव्ययता ला सकेंगे। मेरा निवेदन है कि मितव्ययता का क्रम निरन्तर चलेगा क्योंकि वह काम एक बार में नहीं समाप्त हो जाता। जिन विभागों में एस० आर० यू० डिवीजन एक बार हो आया है उनके काम का पुनरीक्षण भी समय-समय पर किया जाना चाहिए ताकि उसमें और सुधार किया जा सके।

यह बड़े खेद की बात है कि संगठन तथा रीति विभाग ने प्रशासन की मुख्य समस्याओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। जिस प्रकार काम होता है उससे ऐसा मालूम होता है कि उनके हित भिन्न-भिन्न हों। नीचे के कर्मचारी अपने अधिकारियों का समुचित सम्मान नहीं करते हैं। यह अनुशासन की कमी के कारण है। मेरा विचार है कि सेवाओं में परिवार जैसी भावना होनी चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके हित भिन्न नहीं हो सकते। नीचे के लोगों को यह समझना चाहिए कि ऊपर के अधिकारी उनके हितों की देखभाल रखते हैं। वेतन आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में मैंने यह कहा था कि कर्मचारियों में असंतोष छाया हुआ है। यह असंतोष की भावना दूर की जानी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकार अधिक खर्च करने में असमर्थ है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं किया गया है।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि संगठन तथा रीति विभाग को समाप्त कर दिया जाय। जब वह अपना कार्य करने में असफल रहा है तो उस पर व्यय किया जाना व्यर्थ है। उसके स्थान पर एक उच्च सत्ता समिति अथवा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रशासकीय यंत्र के पुनर्गठन के प्रश्न की विस्तृत छानबीन करे। यही नहीं, एस० आर० यू० डिवीजन की भी जांच की जानी चाहिए और उसका विस्तार किया जाना चाहिए। हमें अभी से इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में हमारा काम पिछड़े नहीं।

मैं प्रतिवेदन की विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। विभाग को स्थापित हुए पांच वर्ष हो गए हैं इसलिए उसके कार्य के संबंध में विचार करना

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

आवश्यक है। प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि संगठन तथा रीति विभाग और एस० आर० यू० डिवीजन को एक में मिला दिया जाना चाहिए और उसे वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

प्रशासन के विरुद्ध दूसरी शिकायत भ्रष्टाचार की है। इसके संबंध में बहुत कुछ कहा जाता है। मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार है या नहीं पर यह स्पष्ट है कि जनता का शासन में विश्वास नहीं रहा है। राजस्थान में हाल में पंचायत राज का प्रयोग हुआ है। उससे स्थिति में थोड़ा सा सुधार अवश्य हुआ है परन्तु जब तक समस्त प्रशासकीय यंत्र में सुधार नहीं होता तब तक विशेष लाभ नहीं होगा। पटवारी लोग बेईमानी करते हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं इसके ब्यौरा में तो नहीं जाना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ जब तक कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी इस प्रकार की शिकायतें जारी रहेंगी।

प्रशासन का पहला काम देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है कि लोग यह समझें कि शासन जनता की सेवा करता है। परन्तु खेद है कि जनता में इस प्रकार का विश्वास अभी तक उत्पन्न नहीं हो सका है। इसलिए हमें ऐसे उपाय करने चाहिएं जिससे जनता में यह भावना उत्पन्न हो सके कि प्रशासन जनता का सेवक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : संगठन तथा रीति विभाग का उद्देश्य कार्य की गति बढ़ाकर जनता का प्रशासन में विश्वास उत्पन्न करना है। मेरा विचार है कि हमारे कार्यालयों में जो कार्य प्रक्रिया है वह बहुत लम्बी है। जब किसी मंत्री को कोई अभ्यावेदन भेजा जाता है तो वह सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव, अवर-सचिव आदि के हाथों घूमता फिरता है। मेरा विचार है कि इस प्रक्रिया से कार्य के निपटारे में बहुत समय लगता है। इसलिए इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह बात भी उल्लेखनीय है कि जब कोई संसद्सदस्य प्रश्न पूछने की सूचना देता है तो उसका उत्तर दस दिन में आ जाता है परन्तु जब साधारण व्यक्ति कोई पत्र भेजता है तो उसका उत्तर महीनों में मिलता है। इस समय को कैसे कम किया जा सकता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार की विलम्बित कार्यवाही से लोगों का प्रशासन पर से विश्वास उठता जा रहा है। यदि संगठन तथा रीति विभाग इस विश्वास को वापस जमाने में असमर्थ है तो कोई अन्य तरीका निकाला जाना चाहिए।

माननीय श्री माथुर ने कहा कि विकेन्द्रीकरण से शासन में सुधार होगा। इसके समर्थन में उन्होंने राजस्थान का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता परन्तु यह विचार मेरा भी है कि पूर्ण केन्द्रीयकरण विलम्ब का कारण बन जाता है।

मेरा सुझाव है कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए और कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए कि न्याय करने में देर भले ही हो जाय पर अन्याय न हो। आज लोगों की यह भावना सी बन गई है कि बिना किसी बड़े आदमी की सिफारिश के सरकार से लिखापढ़ी करने का कोई लाभ नहीं होगा। यह भावना कैसे उत्पन्न हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

में समझता हूं कि लोगों का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाना देश के लिए हितकर नहीं है।

इसके लिए इस सभा की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। वह सारे प्रश्न की जांच करके सरकार को प्रतिवेदन दे। यदि कोई उच्च सत्ता आयोग नियुक्त किया जाता है तो अच्छा है। परन्तु मेरा विचार है कि कभी-कभी समितियों अथवा आयोगों का परिणाम भी कुछ नहीं निकलता है।

शासन पर से जनता का विश्वास उठ जाना बड़ी गंभीर बात है क्योंकि यह विश्वास ही शासन की रीढ़ होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सभा की एक समिति नियुक्त की जाय जो प्राक्कलन समिति तथा इस विभाग के विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार करके एक विस्तृत प्रतिवदन प्रस्तुत करे जिसमें ऐसे मार्गोपाय बताए गए हों जिनसे प्रशासन की कार्य-दक्षता बढ़ सके। मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री, जिन्हें जनता का पूरा विश्वास प्राप्त है, इस बात का भरसक प्रयत्न करगे कि प्रशासन को जनता का खोया हुआ विश्वास फिर प्राप्त हो सके।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़े अहम मसले की तरफ इस हाउस का ध्यान दिलाया है और इसके साथ ही साथ देश की तवज्जह इसकी तरफ खींची है। यह कोई मुबालगे की बात नहीं है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में काफी कसर है। अभी हाल ही में बंगलौर में कांग्रेस का सालाना इजलास हुआ था और वहां भी इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिस से साफ जाहिर है कि हमारी हकूमत और हमारे लीडरान का ध्यान एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारने की तरफ बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारा जाए। पेशतर इसके कि हम उन स्टेप्स की तरफ ध्यान करें यह जान लेना जरूरी है कि हमारी मशीनरी में क्या कसर है।

मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वह हमारे देश हिन्दुस्तान की जो समाज है, उसका अक्स है। जैसे हमारी समाज है उसी का रिफलैक्शन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में है। बहुत पुराने जमाने से हमारे यहां चार जातें चली आ रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और इसी तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में चार क्लासिस हैं, क्लास १, क्लास २, क्लास ३ और क्लास ४। जातों की तरह से ही यहां भी एक सिलसिला चलता है। ला एंड आर्डर स्टेट के मुकाबले में जहां हम वैलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं और उसके लिए जिस तरह की मशीनरी की जरूरत है, उसी तरीके से हमें समाज को भी, जो कि प्रिविलेजिज पर बनी हुई थी, पेशा पर बनी हुई थी, बदलना है। उस समाज को बदलने में यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो कि बहुत कुछ उस समाज का अक्स थी, किस हद तक काम कर रही है और किस हद तक हम उसमें तबदीली ला सके हैं और ला सकते हैं, यह देखने वाली बात है। चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है इस वास्ते मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं कहना चाहता हूं और कुछ प्वाइंट्स ही आपके सामने रखना चाहता हूं और साथ ही साथ अपनी कुछ सजैशंस देना चाहता हूं।

मूवर महोदय ने कहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक्शन लेने में बड़ी कमजोर साबित हुई है। चेयरमैन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वह इस मामले में कमजोर साबित हुई

[श्री मू० चं० जैन]

है। लेकिन यह क्यों हुआ, जब तक हम इसका पता नहीं लगा पायेंगे तब तक इसको सुधारने में कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। जब हमें इसकी इस कमजोरी का पता चल जाएगा तभी हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चुस्त कर सकेंगे, तेज कर सकेंगे। यह क्यों इस मामले में कमजोर साबित हुई है, इसके बारे में मैं दो तीन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहली चीज तो यह है कि हमारी कांस्टीट्यूशन को तबदील किये जाने की जरूरत है। कांस्टीट्यूशन में आफिसर्स को इतने बड़े अख्तयारात दिये गये हैं कि वे कई-कई बरसों तक एक मामले को लटकाये रख सकते हैं, कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट में। मेरे पास बहुत वक्त नहीं है कि मैं इस प्वाइंट को डिवेलेप कर सकूं, मगर मैं महसूस करता हूं कि जब तक कांस्टीट्यूशन में जो पब्लिक सर्वेंट्स को राइट्स दिये गये हैं, उनके मुताल्लिक कुछ न कुछ करटेलमेंट नहीं होगा—किस तरीके से और कहां तक हो, यह डिटेल्ड एग्जेमिनेशन का सवाल है—तब तक जिस तरह का हम सुधार चाहते हैं वह हो नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके कोलीग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुधारना चाहते हैं और उसको इस वैलफयर स्टेट के मुताबिक एडजेस्ट करना चाहते हैं तो लाजिमी तौर पर कांस्टीट्यूशन को इस प्वाइंट पर एमेंड करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी हमारे देश में आजादी के बाद आई है, हम सब इसके दिल दादा हैं, इसको यहां रायज करने का हमने खुद फैसला किया था, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारे देश में चलने लगी है, वे डेमोक्रेटिक फोर्सिस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी कमजोर बनाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक मशीनरी है, जो डेमोक्रेटिक सेट अप है, यह तबदील हो जाए। लेकिन इस डेमोक्रेटिक सेट अप में जो-जो नुक्से हैं, उनको बहुत सख्ती से हमें चेक करना होगा। मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूं। इन मिसालों को देते वक्त मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। मुझे जाती तौर पर पता है कि किसी जिले के अफसर ने एक क्लर्क को तबदील किया। अब वह जो क्लर्क तबदील किया जाता है वह किसी बड़े अफसर के पास नहीं जाता है, सीधे मिनिस्टर के पास पहुंचता है मिनिस्टर तक वह पहुंच सकता है और मिनिस्टर हुक्म दे देता है कि यह चीज मुनासिब नहीं और इसको यहां से तबदील न किया जाए। मैं यह सूबे की मिसाल दे रहा हूं, मेरे नोटिस में सैंटर की मिसाल नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे दूसरे कोलीग्स के पास सैंकड़ों मिसालें इस तरह की होंगी जिन से पता लगता हो कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के काम में दखल होता है किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट के आफिसर्स होते हैं वे पैरेलाइज हो जाते हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं अगर कोई क्लर्क गड़बड़ कर रहा होता है, या कोई नाजायज बात कर रहा होता है और उसको वे बदलना चाहते हैं तो वे यह भी नहीं कर सकते हैं। यह चीज हर जगह और हर लेवेल पर हो गई है। सैंटर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि यहां का मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, केवल दो तीन साल का तजुर्बा है लेकिन स्टेट्स में यह चीज होती है। एम० एल० ए० और एम० पी० ये जो डेमोक्रेसी की फार्सिस हैं इनको भी चैक में रखना होगा। मैं तो समझता हूं कि पार्टी इन पावर जो है, कांग्रेस पार्टी की रूलिंग पार्टी की हैसियत है, वह इसको चैक करवाये और दूसरे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों के जो एम० एल० ए० और एम० पी० हैं वे पार्टियां भी इस तरह के मामलों को देखें और कुछ चैक लगायें। अगर ऐसा हुआ तब तो हालत काफी सुधर सकती है नहीं तो इसमें ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती है। सभी पार्टियों को इस चीज को चैक करवाने की तरफ कदम उठाने होंगे। जब तक यह चीज नहीं होगी, जब तक इसके बारे में बहुत सख्त कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसमें सुधार होना मुश्किल है, फिर चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवेल हो, चाहे स्टेट लेवेल हो और चाहे सैंट्रल लेवेल हो।

जहां तक इस आर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिविजन का ताल्लुक है, इसका ज्यादा तर सम्बन्ध तो सैक्रेटेरिएट के काम से है और उसका काम यह देखना है कि वहां पर कार्य एफिशेंसी के साथ हो। मैं नहीं समझता कि जैसा माथुर साहब ने कहा कि सारे का सारा काम बेकार है फिजूल है और इसको मुकर्रर किया जाना कोई मानी नहीं रखता है, यह बात ठीक है। १९५४ से लेकर आज तक इन पांच छः बरसों में जो काम इस डिवीज़न ने किया है, मैं समझता हूं कि अच्छा काम किया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो तजुर्बे इसने हासिल किये हैं सैंटर के लेवल पर उन तजुर्बों का फायदा हर स्टेट को मिलना चाहिये और चाहे कैबिनट सैक्रेटेरिएट की तरफ से हो और चाहे किसी और की तरफ से हो ये हिदायतें स्टेट्स को जानी चाहियें कि जो लाभ इसकी सजैशंस को अमल में लाने से यहां के मुख्तलिफ महकमों को हुए हैं, उन चीजों को स्टेट्स के जो सैक्रेटेरिएट्स हैं, वहां पर भी लागू करके फायदा उठाया जाये। यदि ऐसा हुआ तो इससे और भी अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

कोरप्शन का भी यहां जिक्र किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरप्शन उतनी नहीं है जितनी कि कहा जाता है कि है। लेकिन देश में एक वातावरण ऐसा पैदा हो गया है कि बहुत कोरप्शन है और लोगों के पांवों के नीचे से ज़मीन सरक गई है और वे कहने लग गए हैं कि किसी पर भी शक किया जा सकता है, यह चीज़ अच्छी नहीं है। इससे गलतफहमी की गुंजाइश भी हो सकती है। हमारे लीडर्स का ऐसा खयाल मालूम देता है कि नीचे के लेवल पर कोरप्शन ज्यादा है लेकिन ऊपर के लेवल्स पर कम है और मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी खयाल के हैं। लेकिन आज उन्होंने प्रेज़ीडेंट साहब के एड्रेस के सिलसिले में हुई बहस का जवाब देते हुए कुछ फिगर्ज दिए हैं जिन से यह ज़ाहिर होता है कि ऊपर के लेवल पर भी कोरप्शन कम नहीं है। मुझे याद है कि उन्होंने तकरीबन १०५ या ११० कनविकशंस बताई हैं जिन में से १० कनविकशंस गजेटिड आफिसर्स की थीं। अब अगर दस परसेंट कनविकशंस गज़ेटिड आफिसर्स की होती हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने गज़ेटिड आफिसर्स हैं क्लास १ और क्लास २ के और कितने हैं क्लास ३ और क्लास ४ के सारे हिन्दुस्तान में, स्टेट्स के और सैंटर के, और हिसाब लगाने के बाद अगर यह पता चलता है कि १० परसेंट से अधिक गजेटिड आफिसर्स को सज़ायें होती हैं, तो कैसे यह कहा जा सकता है कि ऊपर के लेवल पर कोरप्शन कम है। मैंने देखा है कि आई० सी० एस० आफिसर्स तक ऐसे काम करते हैं, ऐसे नीच काम करते हैं, कि देख कर शर्म महसूस होने लगती है। श्री चौधरी, आई० सी० एस० ने हमारे रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के बारे में इनक्वायरी की थी कि पंजाब में किस तरह से रिहैबिलिटेशन हुआ है और उन्होंने बताया कि बड़े-बड़े आफिसर्स तक ने, जो बड़े-बड़े रिफ्यूजी आफिसर्स थे, उन्होंने किस तरह से फर्जी तौर पर बोगस एलाटमेंट्स कराई हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको गौर करना होगा। यह ठीक है कि बड़े आफिसर्स में अच्छे आदमी भी हैं और छोटे आफिसर्स में भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन अगर यह खयाल हो कि बड़ों में कोरप्शन कम है, तब इस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता है जितना होना चाहिये।

मैं फिर डेमोक्रेटिक फोर्सिस पर आता हूं। मैं समझता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से कोरप्शन और इनएफिशेंसी तब तक कम नहीं की जा सकती है जब तक कि उनको—कंट्रोल करने वाला मिनिस्टर बिल्कुल एबव एप्रोच, एबव रेप्रोच न हो। अंग्रेज़ी में कहावत है सैजर्स वाइफ मस्ट बी एबव ससपिशन। उसका कारेक्टर ऐसा होना चाहिये, उस पर पब्लिक का इतना कानफिडेंस होना चाहिये कि कोई भी उस पर उंगली उठाकर न देख सके। जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यह पता हो कि फलां पब्लिक का आदमी ऐसी बात करता है कि जो नाजायज़ है, उनके ऊपर बैठा हुआ आदमी ऐसी बात करता है, तो कोरप्शन किस तरह से रुक सकती है। इस लिये

[श्री मू० चं० जैन]

एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ठीक करने का जहां तक सवाल है, यह अफसरों और पब्लिक के आदमी दोनों पर लागू होता है, अगर आप एक पहलू को टच करते हैं तो दूसरे को भी आपको टच करना पड़ेगा और अगर आपने ऐसा किया तभी कु छ सुधार किया जा सकता है। अफसर और पब्लिक सर्वेंट दोनों दो बाजू हैं और दोनों ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आफिशल साइड कोरप्ट है और नान-आफिशल साइड जो है वह धर्मात्मा है, बिल्कु ल ठीक है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लीडर्स का ध्यान, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ध्यान दोनों तरफ जाना चाहिये और दोनों के सुधार के लिये कदम उठाये जाने चाहियें और अगर ऐसा किया गया तो मुझ विश्वास है कि जो चीज़ हमारे लिये बड़ी परेशानी और फिक्र की साबित हो रही है, वह फिक्र और परेशानी की नहीं रह जायगी और उसमें बहुत जल्दी सुधार सम्भव हो सकेगा ।

† **श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : संगठन तथा रीति विभाग प्रशासनिक व्यवस्था में तत्परता लाने में बिल्कुल असफल रहा है। व्यवस्था में सक्रियता लाने के लिये किसी अन्य साधन को अपनाना पड़ेगा। प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९५६-५७ के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। तथापि ऐसा रवैया अपनाना उचित नहीं है, क्योंकि वस्तुतः मंत्रालयों और कुछ विभागों की अवस्था बहुत बुरी है उदाहरणार्थ रेलवे विभाग की अवस्था अत्यंत शोचनीय है और वहां १९५६-५७ के मुकाबले ८.५% की वृद्धि हुई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी कर्मचारियों को नवीन ढंग से शिक्षित किया जाय तथा उनके विचार व्यवहार और दृष्टिकोण में अंतर लाया जाय। केवल कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिय ऊंचे से नीचे प्रत्येक कर्मचारी को शिक्षित करना होगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सरकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम लागू किया जाय और प्रत्येक वर्ष में कुछ दिनों वे जनता के साथ खेतों या कारखानों में काम करें, इससे सरकारी कर्मचारियों में जनता के प्रति एकता की भावना आयेगी। यदि इस सम्बन्ध में सरकारी नियमों के कारण कुछ बाधा हो तो उसे दूर करना होगा। केवल यही आवश्यक नहीं है कि कोई ज्येष्ठ अधिकारी उन्हें प्रशिक्षण देवे अपितु हमारे मंत्रियों, नेताओं तथा संसद् सदस्य को स्वयं यह प्रशिक्षण देना चाहिये ।

अब मैं एक दूसरा पहलू लेता हूं । वस्तुतः सरकारी कर्मचारियों के लिये इतने नियम और उपनियम बनाये गये हैं कि उनमें कोई मानवीयता नहीं रह गई है। इन्हीं नियमों का यह फल हुआ कि डा० जोसफ को आत्महत्या करनी पड़ी। वस्तुतः हमारे देश में कई व्यक्तियों की अवस्था डा० जोसफ की तरह है । लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि वे सब आत्महत्या नहीं करते हैं।

एक नियम है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने बड़े अधिकारियों या मंत्री से सीधे नहीं मिल सकता है । इस नियम को हटा देना चाहिये और प्रत्येक कर्मचारी को अपने बड़े अधिकारियों से सीधे मिलने की इजाजत होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछली बार इसी प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान मैं ने यह भी सुझाव दिया था कि अच्छा काम करने वालों के लिये पारितोषिक निश्चित किये जाने चाहियें। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : सभा के लिये यह उचित है कि वह प्रशासनिक समस्याओं पर विचार करे। देश में चाहे किसी भी राजनैतिक दल की सरकार हो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार का कार्य कुशलता पूर्वक और सुचारु तरीके से चले। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को तत्पर और कुशल होना चाहिये।

प्रतिवेदन सामान्य तरह का ही है जिस में आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि विलम्बों में कितनी कमी हुई है। तथापि प्रतिवेदन से ही यह ज्ञात होता है कि लगभग १४ विभागों में जमा हुए काम की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि इस विभाग की स्थापना १९५४ में की गई थी तथापि अभी तक उसने कोई ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की या किसी ऐसी प्रणाली का अविष्कार नहीं किया जिस से प्रशासन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होता।

इस विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि इस से प्रशासन में कुशलता के साथ-साथ मितव्ययता भी आयेगी। लेकिन इस प्रतिवेदन में कोई ऐसा सुझाव या प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

हमारे प्रशासन का ढांचा बहुत पुराना हो गया है और वह लोकतंत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस व्यवस्था में क्रांति लाई जाय। अक्सर हम एक दूसरे को दोष देते हैं। सरकार के मंत्री जनता से कहते हैं कि वे अमुक योजना क्रियान्वित करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन इस में बाधक सिद्ध होता है। अतः सरकार को, जनता को यह बताना चाहिये कि वह प्रशासन में सुधार करने के लिये क्या निश्चित कदम उठा रही है। यह कहा गया है कि प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। आंध्र तथा राजस्थान में पंचायत राज्यों की स्थापना हो चुकी है इसका अन्य राज्यों में भी अनुकरण किया जायेगा। तथापि वहां भी वही नौकरशाही चल रही है इसका कारण यह र कि वहां इस संबंध में जो नियम या कानून बने हैं उनके कारण पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोटी-छोटी बातों के लिये स्थानीय अधिकारियों का मुंह देखना होता है। अतः जब तक इन नियमों को सरल नहीं बनाया जायेगा तब तक ये सार्वजनिक संस्थायें सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं।

अब मैं एक दूसरे विषय को लेता हूं। उच्च पदों को लोग अपना दायित्व टालने का प्रयत्न करते हैं। जीवन बीमा निगम के मामले में ही हमने देखा कि वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव का कथन था कि उसे ऐसा करने का अनुदेश दिया गया। भले ही वह लिखित रूप में हो या मौखिक। तत्पश्चात् मामला जहां का तहां है।

गृह मंत्री ने कुछ दिनों पूर्व यह कहा था कि हम मंत्री तथा सचिव के संबंधों के बारे में कुछ नियम बनाना चाहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि उस संबंध में क्या किया गया है।

वस्तुतः शक्तियों को प्रत्यायोजित करने का कार्य इस प्रकार किया जाय कि शक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति निशंक हो कर उसका उपयोग कर सके तथा उसे अपने पर भरोसा हो। उस की जरा सी चूक के लिये उसे दण्ड न दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : भारत की असैनिक सेवाओं का संगठन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ है । किसी बाहरी आदमी के लिये उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि इस प्रणाली में कुछ गोपनीयता भी बरती जाती है । मुझे सरकार के साथ काम करने का मौका मिला है अतः मैं यह बात पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं वस्तुतः यह सेवा व्यवस्था किसी दल विशेष की नहीं है भले ही सरकार किसी दल की हो व्यवस्था यही रहेगी । अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि सेवाओं में निष्पक्षता बरती जाय तथा उन के कार्य में हस्तक्षेप न किया जाय । मेरा यह सुझाव है कि हमें संसद् में यह परम्परा कायम करनी चाहिये कि सेवाओं पर अनुचित रूप से आरोप न किया जाय क्योंकि इन से उन पर अनुचित प्रभाव पड़ता है । वस्तुतः हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमें अंग्रेजों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है जो उन के सैकड़ों वर्षों के अनुभव का फल है । अतः मैं प्रधान मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि व्यवस्था संबंधी नियमों में जल्दबाजी से कोई परिवर्तन न किया जाय । उन में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है विलम्ब का कारण दूसरा है । मेरे विचार से इसका कारण यह है कि स्वयं मंत्री के हृदय में अनिश्चय तथा अविश्वास विद्यमान रहता है । यदि वह पूरे विश्वास से अपने सचिव से कोई बात करवाना चाहें तो वह कार्य सरलता से हो जायेगा ।

गृह-मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि मंत्री और सचिव के बीच के संबंधों के बारे में कुछ नियम बनाये जायेंगे । मेरे विचार से ऐसा करना अनुचित है । हमारी सेवाओं में पर्याप्त सच्चाई और अनुशासन विद्यमान है, मंत्री व सचिव के सम्बन्ध पति पत्नी की तरह होते हैं जहां कोई नियम नहीं चल सकते हैं । यदि नियम बनाये गये तो मौखिक रूप से कोई भी काम करना संभव नहीं हो सकेगा ।

सेवाओं के संबंध में इस प्रकार में के नियम इत्यादि बनाये गये हैं कि कोई भी अधिकारी किसी अधीन कर्मचारी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है । इस से सेवाओं में अनुशासन की कमी आ गई है । यदि हम यह चाहते हैं कि कार्य में शीघ्रता लाई जाय तो प्रत्येक अधिकारी को अपने से ऊपर वाले अधिकारी का विश्वास प्राप्त करना चाहिये । तभी सेवाओं में अनुशासन की भावना भी आ सकती है ।

सरकार को चाहिये कि वह अपनी नीति पर दृढ़ रहे । भूख हड़ताल इत्यादि के कारण नीति में परिवर्तन कर देना उचित नहीं है । जब सरकार अपनी नीतियों का इस दृढ़ता से पालन करेगी तभी सरकार पर कर्मचारियों का विश्वास रह सकता है ।

यह संगठन तब तक अपेक्षित कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि हमारी नीति आवश्यकताओं के अनुरूप न हो । सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में उचित समायोजन नहीं है । वे पृथक विभागों के रूप में काम करते हैं । वस्तुतः सभी मंत्रियों को इस संबंध में अपना दायित्व अनुभव करना चाहिये और सेवाओं में मितव्ययता लाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में १९५५ से १९५८ तक १९,८१० की वृद्धि हुई हैं । ४०,०८५ अन्य कर्मचारी रखे गये । चपरासियों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई है । हमारे प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत कर्मचारियों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है । यद्यपि वे स्वयं इसके विरुद्ध हैं । गृह-मंत्री को चाहिये कि वे उनकी इच्छानुसार उनके कर्मचारियों की संख्या में कटौती करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालयों में मितव्ययिता आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये । एक बार यदि यह आन्दोलन चल पड़ेगा तो उस में पर्याप्त सफलता मिलेगी । अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें प्रशासन व्यवस्था की मनमानी आलोचना नहीं करनी चाहिये । हमें अपनी सेवाओं पर गर्व है और हम आशा करते हैं कि वे हमारी आशाओं के अनुरूप कार्य करेंगे ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, संगठन और कार्यविधि विभाग जैसे संगठन का कुछ उद्देश्य होना चाहिये । ऐसा लगता है, खास तौर से इस रिपोर्ट से, कि उस का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कुछ कागज का खर्च कम हो, कुछ पैंसिलों का खर्च कम हो। इस तरह की कुछ बात मालूम होती है । उस का मूल उद्देश्य क्या है, किस तरह भ्रष्टाचार को दूर करना है, किस तरह से हमें अपनी मशीन को ठीक करना है, इस तरह की कोई बात उस से मालूम नहीं होती है । अभी मेरे योग्य मित्र श्री त्यागी ने सर्विसेज की, सरकारी सेवाओं की बहुत आलोचना न की जाय इस पर बहुत बल दिया है । जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, यह ठीक है कि सरकारी सेवकों की आलोचना न हो और जनतंत्र में हमेशा मिनिस्टरों की ही आलोचना हो, यही उचित होगा । लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी सेवाओं का जो दूर दृष्टिकोण बना हुआ है, जिस स्टील फ्रेम की श्री त्यागी जी बहुत प्रशंसा करते हैं, हमें ब्रिटेन से मिली है, उस के सैकड़ों सालों के तजुर्बे से मिली है, वह आज की बदली हुई परिस्थितियों में कहां तक ठीक है ? वह दृष्टिकोण आज काम दे सकता है या नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी सेवाओं का जो दृष्टिकोण है, जो कि पहले से चला आ रहा है वह इस तरह का है जो कि हमारी बदली हुई परिस्थितियों में ठीक नहीं है । हमारे जो नये सिद्धान्त बन रहे हैं शासन के, जनतंत्र के और समाजवाद के, जो कि आज का तकाजा है, उस में कोई ठीक नहीं बैठते हैं । मैं आप को उदाहरण दूं । इस देश में जहां पर जनतंत्र चल रहा है, जनता को अपने वोटों के जरिये सरकार चुनने का अधिकार है, मिनिस्टर की जो हैसियत है वह निश्चित रूप से किसी सिविल सर्विस के आदमी से ऊंची होनी चाहिये । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस देश में प्रधान मंत्री को छोड़ कर, जिन की इस देश की राजनीति में अपनी कुछ परम्परायें रही हैं, किसी भी मिनिस्टर की हैसियत जनता की निगाह में जिले का जो कलेक्टर होता है, उस से ज्यादा नहीं है । जिले का कलेक्टर किसी भी मंत्री से बड़ा समझा जाता है । प्रधान मंत्री को छोड़ दिया जाय क्योंकि उन की विशेष परिस्थिति है जैसे कि महात्मा गांधी की बिना मिनिस्टर बने हुए ही विशेष परिस्थिति थी, वरना किसी भी मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्री की हैसियत जो जिले का कलेक्टर होता है, उस से कम ही होती है । अगर इस तरह की बात होती है तो हम अच्छे परिणाम की आशा नहीं कर सकते ।

श्री मू० चं० जैन : यह आप के यू० पी० में होता होगा ।

श्री ब्रजराज सिंह : जहां तक देश की जनता के दृष्टिकोण का प्रश्न उठता है, उस में जरूर परिवर्तन आना चाहिये । यह ठीक है कि जो नीति बनाई जायेगी सरकार के ज़रिये, उसे अमल में लाने का काम सरकारी सेवाओं का है । लेकिन यदि सिविल सर्विस राजा बन जाय और जो वाकई राजा है--और वाकई राजा है जनता देश की क्योंकि वह सरकार को चुन कर भेजती है, और वे लोग नीति बनाते हैं--वह राजा न रहे, नौकर बन जाये, तो यह आज की परिस्थिति में ठीक नहीं बैठता ।

यहां भ्रष्टाचार का ही प्रश्न नहीं है, उद्देश्य की बात है। जिस तरीके से ब्रिटेन ने सिविल सर्विसेज को हमारे देश में बनाया, उस का उद्देश्य ही दूसरा था, अगर आज हम उस उद्देश्य को ले कर चलें तो उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है । उस से जनता में हमेशा यह भावना बनी

[श्री ब्रजराज सिंह]

रहेगी कि कोई भी आ जाय, कितनी ही सरकार बदलती रहे, लेकिन असली मालिक देश का वही है जो कि कलेक्टर है। राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में आज भी विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई है या नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहां किस हद तक विकेन्द्रीकरण लाया जा सका है। मेरे मित्र श्री माथुर ने बतलाया, और प्रधान मंत्री ने भी एक दिन कहा था कि अब वहां एस० डी० ओ० या कलेक्टर को कोई ताकत नहीं है। ऐसा हो तो अच्छा है लेकिन मैं चाहूंगा कि हर एक प्रदेश में एसा हो। ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीकरण हो और जहां पर विकेन्द्रित व्यवस्था हो, वहां राज्य के जितने सरकारी अधिकारी हैं उन की भरती, उन को सजा देना और उन को निकालना राज्य के हाथ में ही हो। आज कल यह व्यवस्था बनी हुई है कि हमारा जो भी प्लैनिंग का काम चलता है या दूसरा काम होता है उस की सारी जिम्मेदारी एक आदमी पर ही होती है और वह कलेक्टर की तरफ से ही चलता है। नतीजा यह होता है कि जो जिले की जनता है वह यही समझती है कि जो कुछ है वह कलेक्टर है। वह एक ग्रान्ड मोगल बना हुआ है। आज देश के बहुत से भागों में उस का ग्रान्ड मोगल समझा जाता है और इस कारण न तो देश में जनतंत्र की भावना पनप सकती है और न वह भावना पनप सकती है जो कि हर एक आदमी के दिल में होनी चाहिये। इस लिये प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारा इस तरह का आर्गेनाइजेशन ऐंड मेथड्स डिवीजन हमारे देश की जनता के दृष्टिकोण में और सरकारी सेवाओं के दृष्टिकोण में वह परिवर्तन कर सकता है या नहीं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह का काम इस डिवीजन से नहीं हो सकता है। इस डिवीजन का काम है कि कहीं थोड़ी सी एकानमी कर दे, मितव्ययिता कर दें, कहीं थोड़ा सा सुधार हो जाय, लेकिन इस से हमारा काम चलने वाला नहीं है।

हमें यह सिद्धान्त तय करना होगा कि सरकार के पास जितना धन आता है टैक्सों से, उस धन का कितना फीसदी हमारी सरकारी सेवाओं की तन्ख्वाहों पर खर्च किया जा सकता है। जब तक इस तरह को कोई नियम नहीं बनता है तब तक मैं समझता हूं कि कभी भी सरकारी सेवाओं के खर्चे को, जिसकी की तरफ अभी श्री त्यागी जी ने ध्यान दिलाया है, हम कम नहीं कर लेंगे। इस तरह का निश्चित सिद्धान्त हो कि २० फीसदी या २५ फी सदी से ज्यादा रुपया कभी भी सरकारी सेवाओं की तन्ख्वाहों पर खर्च नहीं होगा। जब तक इस तरह का सिद्धान्त नहीं होगा, तब तक हम अपनी विकास योजनाओं को सफल नहीं बना सकेंगे। चूंकि हम बहुत सी योजनाओं को ले कर चलते हैं इस लिये अलग से भरती शुरू हो जाती है। बार बार यह निश्चिय होता है कि नई भरती नहीं होगी लेकिन जब भी आप बजट को देखेंगे तो उस में नई भरती होती हुई मिलेगी। इस तरह से अगर यह भरती चलती रहती है तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिये जहां तक मितव्ययिता का प्रश्न उठता है, सरकारी सेवाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रश्न उठता है, देश की आज की परिस्थिति में जो सिद्धान्त लागू किये जाने वाले हैं बराबरी और समता के, उन को लागू करने का प्रश्न उठता है, उनके लिये नई सिविल सर्विस की जरूरत है, उसके लिये इस तरह का डिवीजन काम नहीं कर सकेगा। इस लिये मैं श्री माथुर के इस सुझाव का स्वागत करूंगा कि इस डिवीजन को छोड़ कर कोई इस तरह की कमेटी बने--वह किसी भी नाम से हो, इस के लिये मुझे कोई जिद नहीं है--जिस में ऐसे व्यक्तियों का भी कुछ हाथ हो जो कि सिविल सर्विस से नहीं आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं। खुशी की बात है कि इस विभाग में कुछ इस तरह की बात करने की कोशिश की गई है कि हम इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि जो स्टील फ्रेम चला आ रहा है उस में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। लेकिन वह परिवर्तन आप उन के द्वारा नहीं ला सकते, उन लोगों के द्वारा कोई सुझाव इस के बारे में नहीं आ सकता जो कि इस स्टील फ्रेम के अन्दर रह चुके हैं। वह लोग जनता का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। यह कह कर मैं यह

तो नहीं कहना चाहता इस सिविल सर्विस को खत्म ही कर दिया जाय, लेकिन इस सर्विस में जो मौलिक परिवर्तन लाने की जरूरत है, उन के सुझाव देने के लिये जरूर इस तरह की कमेटी बननी चाहिये। आप इस कमेटी में इस पार्लियामेंट के मेम्बर रक्खें, और अगर उन को न रक्खें तो और लोग हो सकते हैं, आप प्रान्तीय विधान मंडलों से लोगों को ले सकते हैं जिन को आप रख सकते हैं। उन के अलावा और लोग भी हो सकते हैं जो कि सिविल सर्विस की जगह पर रक्खे जा सकते हैं और उन की भरती हो। उन के सुपुर्द हम इस काम को कर सकते हैं कि वह देखें कि जो आज हमारा स्टील फ्रेम बना हुआ है उस के उद्देश्यों में मौलिक परिवर्तन लाने की जरूरत है या नहीं। मैं समझता हूं कि यह मौजूदा डिवीजन यह काम नहीं कर सकेगा।

मुझे याद आता है कि यह जो डिवीजन है उस को जो लोग सेंट्रल सेक्रेटेरियट के अन्दर हैं वह एक अजीब नाम से पुकारते हैं। हो सकता है कि वह मजाक में ऐसा कहते हों, लेकिन वे इस आर्गनाइजेशन ऐंड मेथड्स डिवीजन का **आर्यलिंग ऐंड मैसार्जिंग डिवीजन** कहते हैं। इस के पीछे भावना क्या है, मैं इस में नहीं जाना चाहता। हो सकता है कि कुछ असन्तुष्ट लोग हों और शायद वे यह नाम देते हों, लेकिन अगर किसी के दिमाग में इस तरह की बात आती है, तो इस से यह जरूर साबित होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को सुधारा जाना चाहिये। अगर आप लोग यह समझें कि सिर्फ इस तरह का डिवीजन मुकर्रर करने मात्र से हमारा काम बन जायगा और हम अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य इस स्टील फ्रेम से पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं निवदन करूंगा कि जहां एक तरफ विकेन्द्रीकरण की जरूरत है, विकेन्द्रित शासन व्यवस्था कर के हमें जनता को अधिक से अधिक अधिकार देने की जरूरत है, वहां जनता के दिमाग में यह भावना भी भरने की जरूरत है कि न सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नीति बनाने वाले हैं बल्कि अगर नीति के अमल में कोई मौलिक गल्तियां होती हैं तो वे उन को सुधारने वाले भी हैं। आज इस तरह के लोग नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि नीति बनाने वाले हम हैं, वह लोग तो आते हैं और उन को चलाते हैं। कलेक्टर साहब मौजूद हैं सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उन को तो काम करना ही होगा। उन को इस नीति को कामयाब बनाना ही होगा। यहां पर दलील दी जाती है कि आखिर काम तो उन लोगों को ही करना है। हम फैसला कर देंगे कि और नीति को अमल में वे लोग लायेंगे। हमारे त्यागी जी कहते हैं कि अगर यह स्टील फ्रेम हम भंग कर देते हैं तो इस से मुल्क की बहुत हानि हो सकती है। मैं बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता में अगर अपने शासन को चला लेने का विश्वास होगा तो एक नहीं दस स्टील फ्रेम भंग हो जायें, देश की जनता अपने शासन को चलाने में समर्थ होगी। मैं मानता हूं कि देश में जिस जनतंत्र और समाजवाद की भावना को बनाना है, उस भावना को और मजबूत बनाने के लिये आवश्यक है कि जो स्टील फ्रेम पुराना है उसे परिवर्तित करके, मैं नहीं कहता कि तोड़ कर के, उस के उद्देश्यों में परिवर्तन करना होगा। जब तक वह हम नहीं करते तब तक नई परिस्थितियों के उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर सकेंगे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपाध्यक्ष जी, श्री माथुर को मैं बधाई दूंगा कि वह इस प्रस्ताव को लाए। इसके मानी यह नहीं हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उससे सहमत हूं, बल्कि यह सवाल ऐसा है कि इस पर अक्सर हमारा ध्यान आना चाहिए। सवाल क्या है? अभी मैं श्री ब्रजराज सिंह का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि मूल उद्देश्य क्या है। जहां तक मैं समझा हूं, उन्होंने जो मूल उद्देश्य ब्यान किया है उससे कोई सम्बन्ध इस सवाल का नहीं है। वह बहुत माकूल बात है अपनी जगह पर लेकिन इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने एक किस्सा बयान किया कि प्रधान मंत्री को छोड़ कर और मंत्रियों की इज्जत नहीं होती जितनी कि एक एस०डी०ओ० की होती है। मैं नहीं जानता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह बात कहां तक सही है। मेरा ख्याल था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता बल्कि इसका उलटा होता है। इस को सुनकर मुझे एक कहानी याद आयी। एक लड़के पर फौजदारी का एक मुकदमा था। वह मुकदमा अपील में हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट के जज ने उसको छोड़ दिया, तो उसकी मां ने कहा कि हुजूर कोतवाल हों। आप ने बड़ा इन्साफ किया है। उस बेचारी औरत के सामने तो कोतवाल ही रहता था हर वक्त, वह उससे परेशान रहती थी, वह क्या समझ सकती थी कि कोतवाल के भी कोई ऊपर हो सकता है। तो हो सकता है कि जिनको रोजमर्रा छोटे अफसरों से काम रहता हो उन्होंने उनको परेशान किया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि अब हिन्दुस्तान में इस बारे में बहुत कम लोगों को गलतफहमी रही होगी कि मिनिस्टर की क्या हैसियत है। अब यह और बात है कि कोई मिनिस्टर ही निकम्मा आदमी हो और वह अपने इल्म से और अपने काम से असर न पैदा कर सकता हो, तो यह और बात है। यह तो हर आदमी की क्वालिटी पर होता है कि उसका कितना असर हो। लेकिन मिनिस्टर की जगह क्या है इसको आज सब जानते हैं।

तो उन्होंने जिक्र किया था मूल उद्देश्य का और इस बात पर जोर दिया कि यह स्टील फ्रेम है और यह है वह है। एक और सदस्य शायद श्री जैन ने कहा कि यह ब्योरोक्रेसी है। आज अजीब शब्द हमारे दिमाग में फंस गया है जिसके आज कल के जमाने में कोई खास मानी नहीं हैं। हर दफ्तरी कार्रवाई ब्योरोक्रेसी है। हर गवर्नमेंट के दफ्तर में ब्योरोक्रेसी है। आजकल की गवर्नमेंट बड़ी पेचीदा है और उसमें और भी ज्यादा ब्योरोक्रेसी होती है। जितना समाजवाद आएगा उतनी ही ब्योरोक्रेसी बढ़ेगी। लेकिन जब हम पुराने जमाने में ब्योरोक्रेसी की शिकायत करते थे वह तो इसलिए करते थे कि वह हमारी छाती पर बैठी थी, इसलिए नहीं कि वह ब्योरोक्रेसी थी। तो इन दोनों बातों में फर्क है। तो आज ब्योरोक्रेसी शब्द के कोई मानी नहीं हैं। यह जो आजकल इसका बार बार इस्तैमाल किया जाता है यह गलत है। आजकल का समाज बहुत पेचीदा है। गवर्नमेंट के मुलाजिमों के अलावा और भी बहुत से लोग समाज के काम में लगे हैं। आपकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और कारखाने बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आप इन कामों के लिए ट्रेंड इंजीनियरों को भेजते हैं, इसी तरह से इस पेचीदा मामले में गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एपेरेटस में ट्रेंड आदमियों की जरूरत है। इसके लिए जब बहुत ट्रेंड आदमी हों तभी काम चल सकता है। अब आप आडीटर जनरल को लीजिए। अगर आप कहें कि इस काम के लिए ट्रेंड आदमी न लीजिए बल्कि जनता के प्रतिनिधि लीजिए तो यह कहां तक सही होगा। जनता के प्रतिनिधि आडीटर जनरल का काम किस तरह से कर सकेगा, वह कुछ नहीं कर सकेगा, घबरा जाएगा और परेशान हो जाएगा। आप किसी खाने में लीजिए यही बात आपके सामने आएगी। गवर्नमेंट का काम बड़ा पेचीदा है। इसको ट्रेंड आदमी ही कर सकते हैं। हां, उसूल की बातों की दूसरी बात है। उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के काम के लिए जितने ज्यादा आदमी ट्रेंड होंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें न ब्योरोक्रेसी से मतलब है और न जनता से मतलब है। जनता तो हुक्म देने वाली है। लेकिन काम करने वाले तो दूसरे ही होंगे। जनता के प्रतिनिधि मिनिस्टर हैं लेकिन आम तौर से मिनिस्टर यह नहीं करते कि बस बैठ गए और एक आदमी का ट्रांस्फर कर दिया किसी को मुकर्रर कर दिया और किसी को निकाल दिया। यह काम मिनिस्टर का नहीं है। यह तो गवर्नमेंट का है। यह तो इतना अदना काम है कि यह तो आपके पबलिक सरविस कमीशन तक के सामने नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल गवर्नमेंट का काम पेचीदा है, आप किसी खाने में जाइये, जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं सभी में यही हाल है। मिनिस्ट्रीज क्या हैं वह तो बड़े बड़े

सामाज्य हैं, यह मैं उनके फैलाव के लिहाज से कहता हूं। इतना इतना फैलाव हो गया है कि उसको दिमाग में रखना मुश्किल है। चुनांचे आपको इस काम के लिए ट्रेंड आदमी चाहिएं। आजकल की दुनियां का काम ट्रेंड आदमी ही चला सकते हैं, चाहे वह काम प्राइवेट सेक्टर का हो या पबलिक सैक्टर का हो। और हमारी दिक्कत यह है कि जिस तेजी से हमारा काम बढ़ा है उस तेजी से ट्रेनिंग नहीं बढ़ी है। ट्रेनिंग नहीं बढ़ी है इसके क्या मानी? हमारे जो ऊपर के लोग हैं ब्योरोक्रेसी में, वह ज्यादातर अच्छे हैं। और इतने अच्छे हैं कि अपनी तरह के किसी भी मुल्क के आदमियों का मुकाबला कर सकते हैं। जाहिर है कि मैं हर एक के बारे में यह चीज़ नहीं कह सकता। लेकिन इनमें एवेरेज लोग काफी अच्छे हैं। उनमें भी कभी कभी कुछ कसर हो सकती है उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जो दिक्कत हुई वह यही कि हमारा काम तेजी से बढ़ा और दफ्तर तेजी से बढ़े और जो लोग उनमें भरती हुए उनकी ट्रेनिंग कोई खास अच्छी नहीं है, सिर्फ नकल करने के और फारवर्ड करने की उनको ट्रेनिंग है। तो जरूरत से ज्यादा भरती जब हो जाती है और काम जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो पर्चे भी बहुत इधर से उधर जाते हैं। इसके अलावा जो पुराने कायदे कानून थे वह छोटे स्टाफ के लिए तो ठीक थे। पहले छोटा और अच्छा ट्रेंड स्टाफ था, वह एक दूसरे से मशविरा कर लेते थे और नोट भी भेज देते थे। लेकिन जब दो आदमियों की जगह दस आदमी हो जाएंगे तो काम भी दस गुना बढ़ जाएगा और नोट भी ज्यादा लिखे जाएंगे। तो गरज यह है कि जहां काम इतना ज्यादा बढ़ा है तो उसकी क्वालिटी कम हो गयी है, और ऐसा होना ही था। इसके मानी यह नहीं हैं कि जो ऊपर के काम करने वाले हैं उनकी क्वालिटी कम है। उनकी क्वालिटी बहुत ऊंची है। लेकिन जब एक चीज़ को फैलाया जाता है तो वह पतली हो जाती है, वस थिन आउट हो जाती है। हजारों आदमी हमारे यहां काम करते हैं, हर किस्म के लोग हैं। अच्छे दिमाग के हैं, कम दिमाग के हैं, आखिर सब एक से दिमाग के तो हो नहीं सकते। लेकिन सब मिलाकर उनकी क्वालिटी कम होती जा रही है, हालांकि ऊपर की क्वालिटी अच्छी है। उनकी क्वालिटी में जो एक बुराई हो सकती है वह यह कि वह अभी तक एक ढंग के आदी थे। अब दूसरा ढंग आ गया है। उसमें एडेप्टेशन में वक्त लगता है। और यह एडेप्टेशन भी बहुत कुछ हो गया है। उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तो यह सवाल है और इसके लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह स्टील फ्रेम है और इसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं यह बात नहीं है। लेकिन जो सवाल हमें परेशान करता है वह यह कि जो काम करने का पुराना ढंग था वह खासा अच्छा था, लेकिन पुराने जमाने के लिए। लेकिन वह ढंग आजकल के फैलाव के काम में और बड़े टैक्निकल और इंडस्ट्रियल कामों में काफी नहीं है। एक तो देरी होती है। उसके लिए भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ काफी होशियार हो गयी हैं। फर्ज कीजिए कामर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है। मैं सारी मिनिस्ट्री के लिए नहीं कहता, कहीं देरी हो सकती है, लेकिन जो ऊपर के अफसर हैं वह काफी होशियार हैं। काफी अच्छा काम करते हैं और दुनियां में उनका किसी से मुकाबला किया जा सकता है। वह नम्बर दो पर नहीं हैं। तो आजकल हमारी मिनिस्ट्रीज़ में अच्छे अच्छे लोग हैं। इसी तरह से आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को लीजिए।

तो दिक्कत हो रही है दो तरह से। एक तो पुराने काम करने के तरीकों की वजह से। वह तरीके बहुत माकूल थे पुरानी दुनियां के लिए। पुरानी दुनियां से मेरा यह मतलब नहीं कि मैं ब्योरोक्रेसी वगैरह की बात लाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जिस दायरे में वह काम करते थे, जो बातें उनके सामने थीं उनको वह अच्छी तरह से करते थे। आसानी से करते थे, बगैर दौड़ धूप के करते थे। लेकिन अब उस तरह का काम नहीं है। एक शख्स ने मुझ से कहा था मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है, मुझ से सिविल सर्विस के एक सीनियर आदमी ने कहा था कि पुराने जमाने के मुकाबले में आज काम सौ गुना बढ़ गया है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ख्याल कीजिए कि हंड्रेड टाइम्ज़ बढ़ा है। और उसी के सिलसिले में बहुत सारे लोग नए नए भरती हुए, जिन को ट्रेनिंग नहीं थी, और बहुत सारे प्रोमोशंज हुए, वगैरह। तो क्वालिटी काम की कुछ कम हो गई। हल्के हल्के वह बराबर ही जायगी। और हमारे सामने नए किस्म के काम आए। फ़र्ज कीजिए कि हमारे सामने एक काम है, हमारा पब्लिक सैक्टर बढ़ रहा है और उस में ऊंचे दर्जे के लोग, जेनरल मैनेजर्ज़ और डायरेक्टर्ज वगैरह चाहिएं। अब आम तौर से वह पेशा तो नहीं था पुराने जमाने के लोगों का। यह नया पेशा है। यह नहीं कि वे नया पेशा नहीं कर सकते, लेकिन यह नया पेशा है। इस किस्म के सवाल उठते हैं। एक तो महज बड़े हो जाने के। लेकिन ये सवाल खाली हिन्दुस्तान के नहीं हैं। हर बड़े मुल्क में, जहां पिछले ज़माने में सरकारी काम बढ़ गया है, यह सवाल आ रहे हैं। आप पढ़िए। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं। हर मुल्क से रिपोर्ट्स निकल रही हैं। अमरीका से, जहां देखो, वहां रिपोर्ट निकल रही है कि काम इतना बढ़ गया है कि कैसे उस का सामना करें। मामूली सवाल है। कहीं जरा अच्छाई से करते हैं, कहीं दिक्कत से। हमारे यहां चूंकि कई बातें साथ हुईं—इन्क्लाब हुआ, स्वराज्य आया, नए लोग आए, पार्टीशन हुआ—बहुत सारी बातों ने कुछ गड़बड़ी पैदा की, जिस से हम हल्के हल्के सम्भल रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि काम बहुत बढ़ गया है, और उस के लिए लोग काफी ट्रेंड नहीं हैं। घूम घाम कर बात उस पर आती है। माननीय सदस्य कहते हैं कि कमेटी बनाओ। मुझे कमेटी बनाने में क्या एतराज हो, लेकिन मैं आप से कहता हूं कि कमेटी इस जंगल से कभी निकल नहीं सकती। चार पांच कमेटी में बैठ कर सवाल करें। मैं दस बारह बरस में अब तक एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज की छोटी सी मिनिस्ट्री को नहीं समझा हूं—और लम्बी चौड़ी और मिनिस्ट्रीज़ हैं, सब हैं—क्योंकि मेरा दिमाग उधर नहीं जाता है। कुछ दिमाग तो जा सकता है, अगर वक्त दूं। मैं वक्त देने के लिए तैयार नहीं हूं कि छोटी छोटी एक एक कार्यवाही को मैं पकड़ूं और देखूं कि सैक्शन का हैड क्या करता है, कौन क्या करता है। लेकिन कोई कमेटी इस तरह बैठ कर करे, तो वह खो जायगी। हां कमेटी उसूल ले डाउन कर सकती है। कमेटी बातें माकूल कह सकती है। यह समझा जाता है कि बहुत बड़े बड़े उसूल की बातें हैं। उन को तय कर दें। तो सब ठीक हो जायगा। यह उसूल की बात तो है ही नहीं। इस में उसूल कहां है? एक आदमी एक काम को तेज़ी से, एफिशेन्सी के साथ किफायत के साथ करे, यह उसूल नहीं है। यह मामूली बात है, जो हर एक दफ्तर को करनी है, चाहे आप की कोई नीति हो, कोई पालिसी हो, कोई गवर्नमेंट हो। उसको वही लोग कर सकते हैं, जो तफसील में जायें, डीटेल में जायें। और कोई जरिया नहीं है उस को देखने के लिए।

इस बिचारे ओ० एण्ड एम० डिवीजन से आप नाराज होते हैं। यह ओ० एण्ड एम० डिविज़न है क्या चीज़? अव्वल तो, मुझे ताज्जुब होता है यह जान कर, यह कह कर कि जो चीज़ गवर्नमेंट आफ इण्डिया में शुरू होती है, वह फैलती जाती है नम्बर में, हर बात में। विचारे ओ० एण्ड एम० डिवीजन में एक अफसर हैं, दो उनके असिस्टेंट और दो मुहर्रिर—दो या तीन, जो कुछ हों। बिल्कुल छोटा सा ग्रुप है। जहां तक यह शिकायत है कि उस पर रुपया खर्च होता है, बहुत खर्च नहीं होता है, कम होता है और उसका काम यह है कि वह और मिनिस्ट्रीज़ से जाकर मशवरा करे और यह कोशिश करे कि वे किफ़ायत करें। उसके वे बड़े बड़े काम नहीं हैं, जो कि माननीय सदस्य ने बताए हैं। उसका काम बिल्कुल महदूद है कि जो काम मिनिस्ट्रीज़ में होता है, वह कैसे ज्यादा एफिशेन्सी के साथ और किफायत के साथ हो। बस। श्री माथुर ने कहा कि इतने डिस्पोजल्ज़ होते हैं, दस हज़ार, बीस हजार। यह मैं मानता हूं कि इस नम्बर के कोई खास मायने नहीं हैं, सिवाये इसके कि इसका भी कुछ न कुछ ऐवेरेज

सिखा देता है। एक फ़िगर नहीं सिखाता, लेकिन अगर आप दस बारह महीने बाद दस बरस का देखें, तो उससे आप कुछ जज कर सकते हैं कि काम बढ़ा है या नहीं। ऊंच नीच बराबर हो जाती है। आप नहीं कह सकते कि किसी औरत को जो बच्चा होने वाला है, वह मेल होगा या फ़ीमेल होगा। कोई नहीं कह सकता है। कोई ज्योतिषी भी नहीं कह सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : हमारे देश में कहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : लेकिन आप नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन आप यह डेफीनेटली कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान में क्या परसेंटेज होगी मेल बच्चों की और क्या फ़ीमेल बच्चों की। काफ़ी आक्युरेसी के साथ आप कह सकते हैं कि ५१ परसेंट होगी यह, क्योंकि जब आप लार्ज एरिया को देखते हैं, तो मैथेमैटिकल प्राबेबिलिटी के लाज़ आ जाते हैं। एक केस में नहीं आते हैं। कोई ज़रिया नहीं है। इसलिये डिस्पोज़ल्ज़ के वे फ़िगर्ज़ भी आप को कुछ न कुछ बताते हैं, हालांकि बहुत अहमियत नहीं रखते हैं। लेकिन ओ० एण्ड एम० डिवीजन का मतलब यह है कि उस काम को जो करते हैं——उस की जो बुनियाद है, उसको आप तय कीजिये, उसके उद्देश्य को आप तय कीजिए——जो काम होता है, वह ज्यादा एफ़िशेन्सी से और ज्यादा फुर्ती से हो। मेरा ख्याल है कि इस काम में उन्होंने कुछ कामयाबी दिखाई है। मुझे कोई शक नहीं है। वह मेरी मिनिस्ट्री में आए। मैंने देखा कि हमारी मिनिस्ट्री से उनके मशवरा करने से, उनकी राय पर चलने से कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ, किफ़ायत हुई। इसमें कोई शक नहीं है। यह काग़ज़ पर है जितना आप चाहते हैं, उतना न हुआ हो, यह अलग बात है, लेकिन कुछ किफ़ायत हुई और कुछ तेज़ी से काम होने लगा। हमने उनके मशवरे से, जो एक दूसरे को रेफ़रेंस होते हैं, वे दो तीन निकाल दिए, ख़त्म कर दिये हैं। अब छलांग मार कर एक छोटा अफ़सर दूसरे के पास जाता है। काफ़ी न हुई हो, लेकिन कुछ तरक्की हुई। यह कहना कि वह एक ड्रैग हो गया, छाती पर बैठ गया, दबाता है काम को, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री त्यागी : वह मिनिस्ट्रियों से जो इत्तिला मांगता है, वह तमाम इन्फ़ार्मेशन सप्लाई करने से उन पर काम बहुत बढ़ जाता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है। मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई ख़ास शिकायत तो आई नहीं।

असल में उसी का एक चचेरा भाई है, जिसका ज़िक्र इन्होंने किया। उसका नाम है एस० आर० यू०। तो वे तो साथ मिल कर काम करते हैं। वह फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में है और यह होम मिनिस्ट्री में है, लेकिन रिश्ता करीब का है। उसने शुरू किया है, जिसको कहते हैं वर्क्स स्टडी। मैं नहीं जानता कि यह कहां शुरू हुई, अमरीका में या इंग्लैण्ड में, लेकिन शायद——ठीक मालूम नहीं——यह प्राइवेट इण्डस्ट्री में शुरू हुई अमरीका में, जहां कि बहुत ज़ोरों की एफ़िशेन्सी की ज़रूरत होती है। हाथ इधर से उधर दो दफ़ा न जाये, एक दफ़ा जाये, क्योंकि इससे मास प्रोडक्शन में फ़र्क हो जाता है। उसमें यह आई। होते होते अब वह गवर्नमेंट में आने लगी। तीन चार बरस हुए मैं इंग्लैण्ड में था, तो मैं उस में गया। मैंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में वर्क्स स्टडी का क्या नतीजा है। उसे देख कर मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकारी दफ्तरों में उन्होंने कितनी किफ़ायत की है, कितने लोग उनके ज्यादा हो गए, ज़रूरत से ज्यादा। मैंने ब्रिटिश नेवी में देखा——वैसे आर्मी और नेवी में यह बातें शायद कम देखी जाती हैं। लार्ड माउण्टबेटन ने तवज्जह दिलाई, उन्होंने दिखाया कि कैसे उनका नेवी का दफ़तरी काम एक चौथाई हो गया——काम उतना ही हुआ, आदमी कम हो गए, ख़र्च कम हो गया। वर्क्स स्टडी का मैथड यह है

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कि क्लोज़ली स्टडी करना--इसमें उसूल की बात नहीं है--कि क्या काम करते हैं, कैसे ज्यादा आसानी से, वक्त बचा कर काम हो सकता है । वह हमने यहां स्टडी किया । किसी सदस्य ने बताया कि उसी की वजह से हाई कमीशन, लन्दन में काफी किफ़ायत हुई । और जगह में हो रही है । ये सब प्रासेसिज़ एक्सपर्ट प्रासेसिज़ हैं, जिन का सिद्धान्त से, मूल उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है, कि जो कोई काम कहा जाये, वह कैसे किया जाये, दफ़्तरी स्टेप्स क्या हों, जिससे वह जल्दी हो और किफ़ायत से हो । उसकी तरफ़ हमें हमेशा ध्यान देना चाहिये और हम दे रहे हैं ।

मेरा ख्याल है कि वर्क्स स्टडी और ओ० एण्ड एम० दोनों मिल कर कुछ न कुछ पेश करेंगे । यह मैं मानता हूं कि किसी काम को भी आप शुरू करें, पहले वह ज़रा ज्यादा जान दिखाता है, फिर हल्के हल्के वह ठण्डा होने लगता है, कुछ आम ढर्रे में पड़ जाता है । हो सकता है कि ओ० एण्ड एम० डिविज़न भी उसी ढर्रे में पड़ गया हो । हालांकि अब कुछ फिर उसमें ताज़गी आ रही है, कुछ नए लोग वहां गए हैं । लेकिन यह समझ लिया जाना चाहिये कि कुछ महदूद सा काम है और दो चार आदमी ही हैं जो यह काम करते हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि किफायत जो हुई है वह लाखों की हुई है, दस गुना और पचास गुना किफायत हुई है और काम तेज़ी से होने लगा है । लेकिन यह काफी नहीं है ।

श्री माथुर ने कहा कि शिकायतें हुई हैं और उन्होंने कुछ शिकायतें की भी हैं जो कि सही हो सकती हैं । मैं मानता हूं कि हमारे आफिशल्स को कोशिश करनी चाहिये कि जो नए नए तरीके निकलें उनको वे करें । इस वक्त मैं चाहता हूं कि जो वर्क स्टडी का सिलसिला हो रहा है, इसको ज़रा पक्के तौर से हम देखें, आज़मायें, कहां कहां क्या हो रहा है और उसमें आप अगर कोई तजवीज़ पेश करें, कोई इशारा करें, कोई खराबी बतायें तो फौरन ध्यान दिया जाएगा । मुझे कमेटी या कमीशन मुकर्रर करने में कोई एतराज़ नहीं है लेकिन सारे मैदान में कमीशन का मुकर्रर करना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । अगर एक खास बात को पकड़ कर उसकी जांच करनी है, तो कमेटी बैठे और इसकी जांच करे, लेकिन सारी गवर्नमेंट की कार्रवाई की जांच करे, इस जंगल में वह जांच करे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

यहां पर कुछ मिसालें दी गई हैं और स्टेट्स का हवाला दिया गया है । इनसे हमारे ओ० एण्ड एम० का कोई मतलब नहीं है । गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जो दफ्तर हैं यहां या और जगहों पर उनसे ही इसका मतलब है, इस वास्ते मैं उन मिसालों की तरफ जाना नहीं चाहता हूं । त्यागी जी ने कहा कि मिनिस्टर अगर हुक्म दे दे और सैक्रेटरी कर दे तो वह हो जायगा यह बात हमेशा तो नहीं लेकिन आम तौर से सही है । मगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई है । मिनिस्ट्रीज़ जैसा मैंने कहा इतनी बड़ी हैं--सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर--कि वे साम्राज्य हैं, एम्पायर्स की तरह फैली हुई हैं । फिर वे एक दूसरे को ओवरलैप भी करती हैं, कभी अखत्यारात के मामलों में कभी दूसरे मामलों में जिससे कुछ दिक्कत और डिले भी होती है और यह तब होता है जब दो मिनिस्ट्रीज़ का जोड़ हो जाता है किसी मामले में । उस वक्त एक इधर खींचती है और दूसरी उधर खींचती है । मिनिस्टर के पास तो वह चीज़ देर से आती है, नीचे ही वह खींचतान होती रहती है । बमुश्किल फिर वह मिनिस्टर के पास आती है तो या तो तय हो जाती है या फिर मैं बीच में आता हूं या कैबिनेट बीच में आती है तो उन बातों को हटाने की जरूरत है । इन चीज़ों को हटाने की कोशिश होनी चाहिये । इस वक्त हमेशा हमारी कोशिश एक तो किफायत करने की होनी चाहिये और दूसरे काम को जल्दी करने की कोशिश होनी चाहिये । तो इस वक्त खास तौर से उधर हमारी तवज्जह गई और परेशानी हुई । इसका कारण यह है कि हमारी पंचवर्षीय योजना है और दूसरे दूसरे काम हैं और उनके बारे में हमने देखा है कि काम चलता नहीं है इस तरह से और खास तौर से हमारा ख्याल यह था कि जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं, उनके बारे में चीज़ों का यहां आना, इजाज़त

लेना कि यह हो, यह न हो, दस हजार रुपया खर्च करना चाहते हैं और किसी बात पर मामला एक महीने भर टंगा रहा, तो ये बातें फिजूल की हैं देखने में। हमारे जो पुराने कायदे हैं जिनकी त्यागी जी ने बड़ी तारीफ की है, उनकी मैं उतनी तारीफ करने के लिये तैयार नहीं हूं। पुराने कायदे बहुत माकूल थे उस ज़माने के लिये जबकि काम महदूद था। लेकिन जब दस हजार रुपया बचाने के लिये आप दस लाख रुपया खर्च कर देते हैं तो आम तौर से अक्लमन्दी की यह बात नहीं गिनी जाएगी। हमारे जो कायदे और कानून थे उनके बारे में हमारी कोशिश थी कि वे परफेक्ट हों और कोशिश थी कि न इधर से और न उधर से कोई गलती हो। इतनी ब्रेक्स लगाईं, इतने चैक्स लगाए कि काम रुक जाता है और जब काम रुक जाता है तो आप जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। बड़े बड़े काम हैं, भाखड़ा नंगल है और उसको अगर हम रोक दें तो एक महीने के बाद दिवाला निकल जाए। काम ऐसे हैं जिनको रोका नहीं जा सकता हैं। भाखड़ा नंगल में आठ लाख रुपया रोज़ मज़दूरी में दिया जाता है लोगों को और आप ख्याल करें कि ज़रा भी अगर वह रुकता है तो उसका नतीजा पैसे में क्या होता है, दूसरी जिन बातों में हो सकता है, उसको आप छोड़ दीजिये। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिम्मेदारी को बांटा जाए, चाहे उसमें कुछ गलती की गुंजाइश ही क्यों न हो। अच्छा है, उस गलती को बाद में देख लिया जाएगा, उसको सम्भाल लिया जाएगा। काम रुके नहीं कहीं, इस पर काफी गौर हो रहा है। खास तौर पर पिछले चन्द हफ्तों से, विलफेल तो हमारा आपस में हो रहा है, कभी कभी औरों से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कुछ अलग और कुछ साथ और कुछ इसमें गौर करने के अलावा कदम भी उठाये गए हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। नहीं तो, जैसा मैंने आज सुबह एक दूसरे ही सिलसिले में कहा था कि हमारे अच्छे से अच्छे उद्देश्य हों, काम चलता नहीं है।

अक्सर जो बहस होती है दो मिनिस्ट्रीज़ में वह क्यों होती है? असल में बात यह हो जाती है कि एक तो ओवरलैप कुछ पैसे का खर्चे का होता है और जहां पर पैसे के खर्चे का सवाल आता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ज़ाहिर है, बहुत लगाम लगाती है और लगानी चाहिए उसे यह लगाम। दूसरी तरफ से यह कहा जाता है कि साहब हमारी तालीम बिगड़ी जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ा जाता है, हमारा कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का काम बिगड़ा जाता है और बहस होती है कि रुपये नहीं दिये जाते हैं और इसके बारे में बहस होनी चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि फैसला जल्दी हो जाना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए।

घूम घाम के मैं फिर आप से कहना चाहता हूं कि हम जितनी जल्दी अपने लोगों को ट्रेन कर सकें, अच्छा है और उसका काम कुछ हो रहा है, वह काम कुछ बढ़ता जा रहा है।

श्री त्यागी : इस वक्त ३ लाख ९९ हज़ार १७२ चपड़ासी और दफ्तरी गवर्नमेंट आफ इंडिया में हैं, रेलवेज़ को छोड़ करके। उसके बारे में भी कुछ इकोनोमी की तरफ तवज्जह की जा रही है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इकनोमी की बात तो नम्बर एक बात है, अव्वल बात है। जो बातें मैंने कहीं हैं उनका उद्देश्य इकनोमी करना तो पहला है। अब होता क्या है यह मैं आपको बतलाता हूँ। आप जानते हैं कि कई महीने हुए कि हमने रोक दिया कि आइंदा कोई भी चपड़ासी क्लास ४ भरती नहीं किया जाए। थोड़े दिन बाद एक राऊंसी आवाज़ आती है कि बड़ा काम रुक जाता है और दो चार आदमियों की सख्त जरूरत है। खास काम है कि जिसके लिए चपड़ासी चाहियें। लम्बे लम्बे नोट्स होते हैं कि बिना चपड़ासी के काम नहीं चलता है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि चपड़ासियों की कौम यहां से हटाने की कोशिश हो रही है, यानी उस पेशे को उस ढंग से हटाने की कोशिश हो रही है और उसके बजाय जिसको मैसेंजर सर्विस कहते हैं करने की कोशिश हो रही है। चपड़ासियों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का जो सिलसिला है वह बिल्कुल गलत है। हम किसी को निकालना नहीं चाहते हैं, कहां उनको एवजार्व करें, इसमें करें या उस में करें, यह होगा और उसको मैसेंजर सर्विस कर देंगे। मैसेंजर होते हैं दफ्तर के। लेकिन यहां जो एक एक अफसर और एक एक मिनिस्टर के पीछे चपड़ासी होते हैं, पीछे कौम होती है, वह कोई जरूरी बात नहीं है, वह बिल्कुल गलत बात है। ये जो कोशिशें हो रही हैं, इनमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है, सभी माननीय सदस्यों की मदद की जरूरत है, और आप अपने तजुर्बे से बतायें कि कहां खराबी है और कहां नहीं है। कोशिश हम सभी की है कि इन सब चीज़ों को दुरुस्त किया जाए और इसमें कोई दो राय नहीं हैं। किसी खास बात के लिए कमेटी की जरूरत हो, तो कमेटी भी बिठाई जा सकती है लेकिन कमेटी इसमें कारामद नहीं होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री महोदय ने अभी वर्क स्टडी के सिलसिले में कुछ फरमाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर होगा ? टाइम एंड मोशन स्टडी मैस प्रोडकशन में सही हो सकती है लेकिन जो ड्राफ्ट लिखता है या पेपर डिसपोज़ करता है, उसको आप किस तरह से टाइम एंड मोशन स्टडी में अमली जामा पहनायेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ज़ाहिर है कि जिस गज़ से नापा जाएगा वह दूसरा होगा। यहां मैस प्रोडकशन नहीं हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : सिस्टम क्या होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सिस्टम यह कि एक आदमी का काम बहुत तफसील से देखा जाए, किस ढंग से काम करता है, उसमें डिटेल से जाया जाए और इस तरह से काम को देखने से बाज़ वक्त कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती है जिनको खत्म किया जा सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में यह बताया कि संगठन तथा रीति विभाग की जिम्मेदारियां अत्यन्त सीमित हैं और उस सीमित क्षेत्र में उसका कार्य संतोषजनक रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा निवेदन है कि स्वयं सरकार के एक सचिव ने प्राक्कलन समिति के समक्ष ऐसा मत व्यक्त किया था कि संगठन तथा रीति विभाग से जो आशायें की गई थीं वे पूरी नहीं हुई हैं। प्राक्कलन समिति ने भी उसके कार्य की जांच करके यही मत किया था कि वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि संगठन तथा रीति विभाग का प्रयोजन अत्यन्त सीमित है। विभाग के पहले प्रतिवेदन में उसका प्रयोजन सरकारी सेवाओं में कार्यदक्षता और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना बताया गया था और प्रत्येक प्रतिवेदन में इसको दुहराया गया है। मैं समझता हूं कि इन बातों के संबंध में यह विभाग कुछ भी नहीं कर सका है। दिल्ली की लोक प्रशासन संस्था के एक अध्यापक ने इस संगठन के संबंध में एक लेख में यह मत व्यक्त किया है कि उसका पूर्णरूपेण पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

देरी के संबंध में मैं श्री त्यागी से अंशतः सहमत हूँ। मैंने मंत्रियों की जिम्मेदारियों के संबंध में कुछ नहीं कहा वरन् अपनी बात प्रशासकीय यंत्र तक ही सीमित रखी थी। हमने इन वर्षों में यह आशा की थी कि संगठन तथा रीति विभाग ऐसे तरीके निकालेगा जिन से कार्य के निपटारे में देर न हो। परन्तु खेद है कि हमारी आशा पूरी नहीं हो सकी।

जहां तक आयोग की नियुक्ति का संबंध है, मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि वह एस० आर० यू० डिवीजन का काम करेगा। यह डिवीजन तो रहना चाहिए और इतना ही नहीं वरन् उसका विस्तार

---

†मूल अंग्रेजी में

भी किया जाना चाहिए। आयोग का प्रयोजन तो कुछ इस प्रकार का होगा जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्री रूज़वेल्ट के सभापतित्व में नियुक्त किए गए आयोग का था। सरकार ऐसे आयोग की नियुक्ति को अनुचित भले ही कहे पर मेरा तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्य की जांच करेगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हुए प्रशासकीय यंत्र में सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। यह विचार केवल मेरा ही नहीं है। जैसाकि मैंने बताया था नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने प्रधान मंत्री को नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि एक समिति अथवा आयोग नियुक्त किया जाय जो इन बातों पर विचार करे। विस्तृत छानबीन तो संबंधित अधिकारी ही करेंगे, आयोग तो केवल सामान्य निर्देशन करेगा कि प्रशासकीय यंत्र का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए।

वर्तमान व्यवस्था में काम होने में बहुत देर लगती है। उदाहरण के लिए आज शिक्षा का प्रसार हो रहा है। नई नई संस्थायें खोली जा रहीं हैं। सरकार धन की मंजूरी तो दे देती है परन्तु जिस स्थान पर वह व्यय होगा वहां तक उसके पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए अपने प्रयत्नों का समुचित लाभ नहीं होता। इसके लिए मैं सेवाओं को दोषी नहीं कह सकता क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया ही इस प्रकार की है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि प्रधान मंत्री प्रशासकीय यंत्र को सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने समिति नियुक्त करने से इन्कार नहीं किया वरन् केवल यह कहा है कि ऐसी समिति का विस्तारक्षेत्र सीमित होगा। हम निश्चय ही इसके संबंध में विचार करेंगे। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह वैसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे उद्देश्य एक ही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संगठन तथा रीति विभाग के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर जो १८ दिसम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : मैं कार्य मंत्रालय समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार २३ फ़रवरी, १९६०/४ फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, २२ फरवरी, १९६०

३ फाल्गुन, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९५३—७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६७	सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना	९५३—५५
२६८	बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने वाला दूसरा कारखाना	९५५—५७
२६९	डालमिया के संस्थापनों सम्बन्धी जांच आयोग	९५७—५८
२७०	समाचार-पत्रों में सरकारी विज्ञापन	९५८—६०
२७१	तम्बाकू का निर्यात	९६०—६२
२७३	सियालदाह स्टेशन पर विस्थापित व्यक्ति	९६२—६४
२७४	कपड़े के दामों में वृद्धि	९६४—६७
२७५	ऊन उद्योग का आधुनिकीकरण	९६७—६९
२७६	मैंगनीज़ श्रमिक कल्याण निधि	९६९—७०
२७७	अशोक और जनपथ होटल	९७०—७२
२७८	शाल और गुदमे	९७२—७३
२७९	उद्योगों में उत्पादन लागत	९७३
२८१	काली मिर्च का निर्यात	९७४—७५
२८२	कपड़ा मिल	९७५—७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		९७७—१००५
तारांकित प्रश्न संख्या		
२७२	विद्युत् परियोजनायें	९७७—७८
२८०	चलचित्रों का विवाचन	९७८
२८३	टेलीविज़न सेटों का निर्माण	९७८
२८४	'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में भारत का मानचित्र	९७८—७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
२८५	नैरोबी में अशान्ति	९७९
२८६	पश्चिमी बंगाल की कपड़ा मिलों के लिये कोयला . .	९७९
२८७	मिर्चों का निर्यात	९८०
२८८	आकाशवाणी	९८०
२८९	हैवी स्ट्रक्चरल वर्क्स . . .	९८१
२९०	दिल्ली में आवास-स्थान	९८१–८२
२९१	विदेशी सार्थों तथा बागानों का भारतीयकरण .	९८२
२९२	आणविक शक्ति केन्द्र .	९८२–८३
२९३	कॉफ़ी बोर्ड	९८३
२९४	पाकिस्तान से पटसन की कतरनों का आयात .	९८३
२९५	दण्डकारण्य प्रशासन . .	९८४
२९६	थर्मामीटर . .	९८४
२९७	पंजाब में वक्फ की सम्पत्ति . .	९८४–८५
२९८	अस्पृश्यता निवारण के बारे में चलचित्र . .	९८५
२९९	छावनी बोर्ड के कर्मचारी . .	९८५
३००	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों लिये मकान .	९८५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३०९	किंग्जवे कैम्प, नई दिल्ली के निकट मकान . .	९८६
३१०	हिमाचल प्रदेश में मकान निर्माण समितियां .	९८६
३११	पंजाब में सिलाई की मशीनों का निर्माण .	९८७
३१२	श्रीलंका में भारतीय .	९८७
३१३	पंजाबी भाषा के समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन . .	९८७
३१४	पाकिस्तान से हिन्दुओं का आप्रवास .	९८७
३१५	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाना	९८८
३१६	राजस्थान में खादी का उत्पादन	९८८
३१७	राजस्थान में बड़े पैमाने के उद्योग	९८९
३१८	मैसूर में रेशम कृमि पालन उद्योग .	९८९
३१९	मैसूर में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनायें	९८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३२०	कर्म समितियां	९९०
३२१	सस्ते रेडियो सेट	९९०–९१
३२२	चश्मों व दर्शन यंत्रों के शीशों का कारखाना	९९१
३२३	समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यकारी दल	९९१–९२
३२४	परिवहन नीति तथा समन्वय समिति	९९२
३२५	पंजाब में बिना बिका हथकरघे का कपड़ा	९९२
३२६	औद्योगिक सहकारी समितियां	९९२–९३
३२७	विद्युदेशिक मैंगनीज़	९९३
३२८	मेंगनीज़ डाइआक्साइड	९९३–९४
३२९	मैंगनीज़ धातु	९९४–९५
३३०	बेल्टिंग सीमेंट	९९५
३३१	एन्ज़ीमे बेट्स	९९५–९६
३३२	फ़ोम ग्लास	९९६
३३३	प्लाटों की झूठी रजिस्ट्रियां	९९७
३३४	रूस के लिये भारतीय कपड़ा	९९७
३३५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	९९७
३३६	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का दिल्ली उड्डयन विभाग	९९७–९८
३३७	मंडी में चाय का उत्पादन	९९८
३३८	भूमि अर्जन तथा विकास योजना	९९८
३३९	बालोपयोगी फिल्में	९९९
३४१	त्रिपुरा में ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनायें	९९९–१०००
३४२	पाकिस्तान में भारतीय स्वामित्व वाली सीमेन्ट फैक्टरियां	१०००
३४३	सिलाई की मशीनों के लिये निर्यात मार्केट	१०००–०१
३४४	रेडियो सेट	१००१
३४५	बाबर रोड कालोनी, नई दिल्ली	१००१
३४६	भारी मशीनरी	१००१–०२
३४७	सरकारी मकानों का सब-लैट किया जाना	१००२–०३
३४८	सरकारी दफ्तरों के लिये इमारतें	१००३
३४९	सरकारी बस्तियों में मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें	१००३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

३५० त्रिपुरा में रस्सी उद्योग . . १००४

३५१ मंडया (मैसूर) में कागज़ का कारखाना . १००४

३५२ नेफ़ा में जनगणना . १००४–०५

३५३ क्षेत्र प्रचार पदाधिकारी १००५

निधन सम्बन्धी उल्लेख १००५

अध्यक्ष महोदय ने लेडी माउंटबेटन के निधन का उल्लेख किया ।

तत्पश्चात् सदस्य गण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव १००५–०९

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना उन के आगे बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) असाम के मिकिर पहाड़ियाँ जिले में ३,००० विस्थापित व्यक्तियों का कथित निष्कासन — सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी, चिन्तामणि पाणिग्रही और हेम बरुआ द्वारा दी गई ।

(२) लद्दाख में चीनियों द्वारा नमक झील पर कथित अधिकार — सूचना श्री ब्रजराज सिंह द्वारा दी गई ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र . . १००९–१०

(१) आंकड़ों का संग्रह अधिनियम, १९५३ की धारा १४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३ में प्रकाशित आंकड़ों (केन्द्रीय) का संग्रह नियम, १९५९ की एक प्रति ।

(२) ३० जून, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में किये गये मितव्ययता उपायों के परिणाम बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

(३) केरल राज्य के बारे में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने वाली राष्ट्रपति की संविधान के अनुच्छेद

विषय पृष्ठ

१९५६ के खण्ड (३) के अन्तर्गत २२ फरवरी, १९६० को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति

(४) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९५८-५९ के लिये हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे सहित और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

(५) विशेष पुलिस विभाग द्वारा वर्ष १९५९ में किये गये कार्य का "सिंहावलोकन" नामक टिप्पण की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश १०१०

सचिव ने राज्य-सभा से निम्नलिखत सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(१) कि राज्य-सभा ने १८ फरवरी, १९६० को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ११ फरवरी, १९६० को पारित किये गये निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य-सभा ने १८ फरवरी, १९६० को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २२ दिसम्बर, १९५९ को पारित किये गये मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को संशोधनों सहित पारित किया है और लोक-सभा को इस प्रार्थना के साथ विधेयक वापस कर दिया है कि उन संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति राज्य-सभा को सूचित कर दी जाये ।

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक——सभा पटल पर रखा गया . १०११

सचिव ने मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जो राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटा दिया गया था, सभा पटल पर रखा ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन———उपस्थापित . . १०११

तेइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . १०११–१२

श्री अरविन्द घोषाल ने उत्तर प्रदेश में भरतपुर के निकट स्थित शरणार्थी शिविर में हाल में हुए अग्निकांड की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और एक वक्तव्व सभा पटल पर भी रखा ।

विधेयक—पुरस्थापित १०१२

त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१२–३५

राष्ट्रपति के अभिभाषणों पर प्रस्ताव और १५ और १६ फरवरी को प्रस्तुत किये गये तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० . . . १०३५–४३

आवव्ययक (सामान्य), १९५९-६० के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

संगठन तथा रीति विभाग के १९५८-५९ के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १०४३–६३

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने प्रस्ताव किया कि संगठन तथा रीति विभाग के वर्ष १९५८-५९ के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १०६३

अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार, २३ फ़रवरी, १९६०/४ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिए कार्यावलि—

आय-व्ययक (सामान्य), १९५९-६०, के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा ; दहेज निषेध विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार और आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन, विधेयक, १९५९ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करना तथा उसे पारित करना ।